खण्ड-183, अंक-2
सोमवार, 9 वैशाख, शक संवत् 1879
(29 अप्रैल, 1957 ई0)

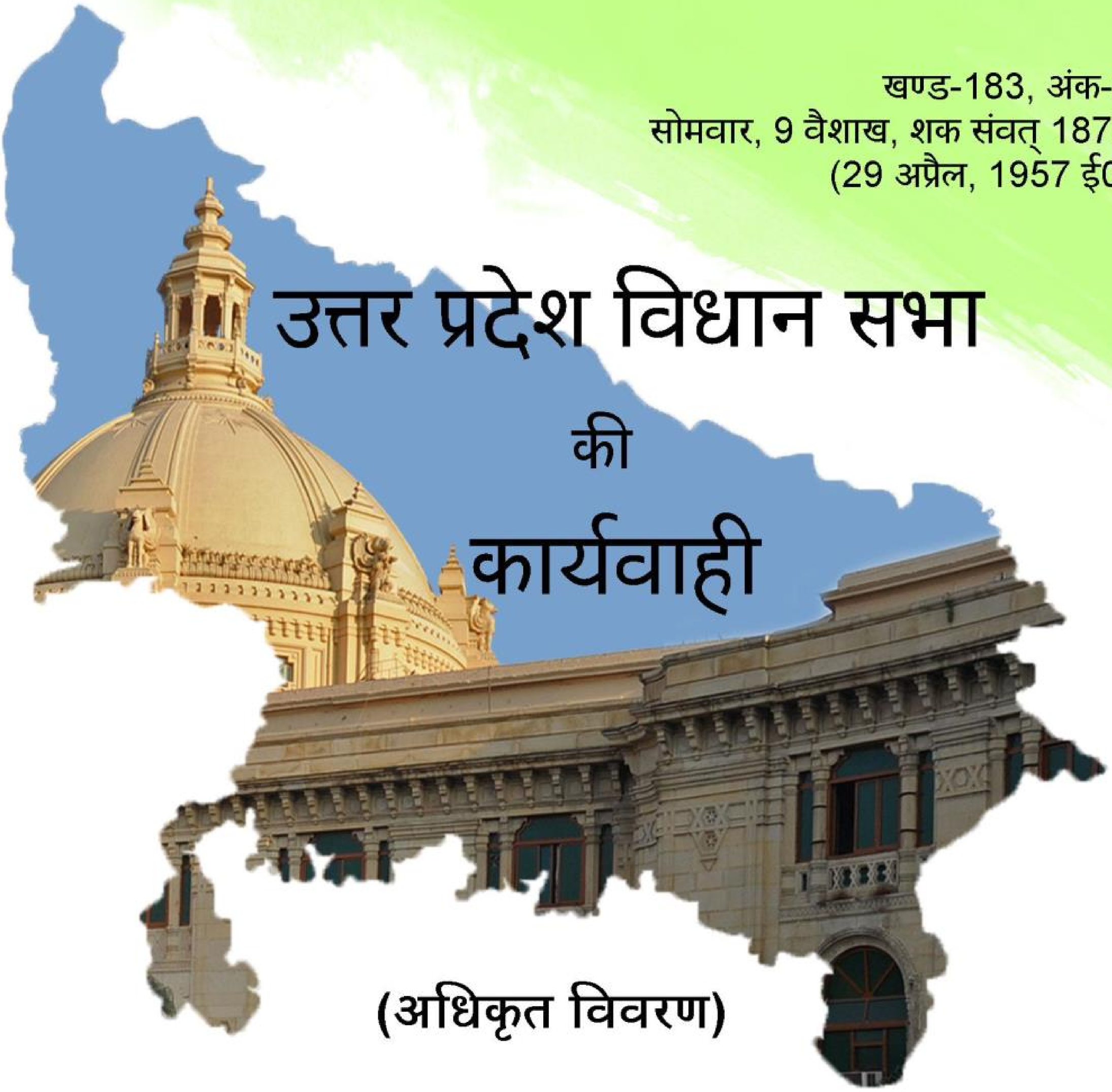

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 183 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
कानपुर काटन मिल को बन्द करने के निर्णय के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	७८–७९
श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७९–८०
कोयले के अभाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	८०
श्री जंगबहादुर वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	८०–८१
पूर्वी उत्तर प्रदेश में अन्नाभाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	८१
चकबन्दी से उत्पन्न कठिनाइयों पर विचारार्थ कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (विलम्ब से प्राप्त होने के कारण नहीं लिया गया) ..	८१
खाद्य स्थिति पर विवाद की मांग (जारी)	८१–८३
कार्यस्थगन प्रस्ताव की संबंध में जानकारी	८३
खाद्य स्थिति पर विवाद की मांग	८३–८४
उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अन्तर्गत प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	८५–८६
बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट एजकेशन के लिये सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	८६
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचार करने के प्रस्ताव तथा उसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के संशोधन पर विवाद जारी)	८६–१००
अधिष्ठाता मंडल के शेष दो सदस्यों के नामांकन की सूचना ..	१००
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक १९५७–(क्रमागत) ..	१००–१३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २९ अप्रैल, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता श्री द्वारका प्रसाद मित्तल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३६७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाकअली खां, श्री
असगरअली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री, उपनाम कमले
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री, उपनाम छुन्नन गुरू
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबलीशास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तर सिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयरामवर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयाल शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकरामशर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री

प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभूदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह ,श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूल चन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अबमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोती लाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरततेजबहादुरसिंह, श्री, उपनाम लाल साहब
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामबचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुलइस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर

सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार २९ अप्रैल, १९५७ ई०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पंचायतराज कार्यालय जिला आजमगढ़ में गबन

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)——क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास जिला पंचायत अधिकारी आजमगढ़ द्वारा इस प्रकार की कोई रिपोर्ट आयी है कि गत वर्षों में इस विभाग में लगभग ८० हजार रुपये का गबन हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट जिला पंचायत अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा नहीं आयी कि गत वर्षों में वहां ८० हजार का गबन हुआ है। हां, इस विषय में संचालक, पंचायत राज के कार्यालय में रिपोर्ट अवश्य आयी है तथा संचालक, पंचायत राज, इस गबन की पूर्ण जांच कराने के लिए उचित कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संचालक के कार्यालय में यह रिपोर्ट कब आयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला पंचायत कार्यालय, आजमगढ़ के एकाउन्ट्स की गड़बड़ी स्थानीय जांच में उप-संचालक, पंचायत राज को १२-१-५७ को ज्ञात हुई है। इसके अतिरिक्त सहायक जिला पंचायत अधिकारी ने भी उक्त गड़बड़ी के सम्बन्ध में सूचना संचालक पंचायतराज को भेजी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि सूचना आने के बाद क्या यह सही है कि सूचना अधिकारी ने जिन क्लर्कों और लिपिकों के विरुद्ध शिकायत की है वे अब भी काम पर लगे हुए हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में सरकार को अभी सूचना नहीं है, क्योंकि इन्क्वायरी जारी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जो ८० हजार का गबन हुआ है, यह एक ही किसी केस से सम्बन्धित है या अलग-अलग है ? अगर अलग-अलग है तो किस किस तारीख को तथा कितना-कितना गबन है ?

श्री रामस्वरूप यादव—काफी अर्से से इस सम्बन्ध में अकाउन्ट्स की गड़बड़ी थी जो आजमगढ़ से ही सम्बन्धित है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि सन् १९५० से अब तक जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय का आडिट नहीं हुआ है और जिसके कारण ही यह गबन हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में समय की आवश्यकता मालूम होती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि यहां से कोई आडिट पार्टी गयी थी और कुछ कागजात वहां के दफ्तर से इस सम्बन्ध में जब्त करके लाये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—आडिट पार्टी गयी थी और इस सम्बन्ध में कागजात भी कुछ लाये गये हैं। लेकिन पूरे कागजात अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि आडिट पार्टी की रिपोर्ट सरकार के पास आयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—हां, आडिट पार्टी की रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी है, लेकिन पूरे कागजात अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं लिहाजा रिपोर्ट अन्तिम नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या स्वशासन मन्त्री बतायेंगे कि जो रिपोर्ट ८० हजार के गबन की आयी है उसमें कुछ आफिसर्स को भी जिम्मेदार ठहराया गया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन आफिसर्स हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी इस सम्बन्ध में सदन को सूचना देना ठीक नहीं मालूम होता है, क्योंकि इन्क्वायरी अभी जारी है।

राबर्ट्सगंज जिला मिर्जापुर में मछुओं को पीटने की घटना

**२—श्री यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार का ध्यान राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) में ३ अप्रैल, १९५७ को स्थानीय पुलिस द्वारा मछुओं को पीटे जाने और उससे उत्पन्न स्थिति की ओर गया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—इस सम्बन्ध में कुछ खबरें अखबारों में प्रकाशित हुईं। छानबीन करने पर घटना का जो रूप पाया गया, वह संलग्न है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मन्त्री जी उस संलग्न विवरण को सदन को भी सूचना के लिए पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—यदि अधिष्ठाता महोदय आज्ञा दें, तो पढ़ दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—जी हां, आप पढ़ दीजिये।

श्री कैलाश प्रकाश—राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) के सशस्त्र पुलिस के एक कान्स्टेबुल तथा एक मछुए के बीच ३ अप्रैल, १९५७ की सुबह को मछली के दाम के भुगतान के सम्बन्ध में कुछ झगड़ा हुआ। लेकिन इस वाकये की न तो कोई रिपोर्ट थाने में लिखायी गयी और न कोई रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास भेजी गयी। उसी दिन शाम को ४ बजे के करीब वह कांस्टेबुल,

जन संघ के एक स्थानीय नेता की दुकान के सामने से गुजरा। उन्होंने कांस्टेबुल को बुलाकर सुबह की घटना की बाबत पूछताछ की जिस पर कुछ कहा सुनी हो गई। बाद में कहा जाता है कि कुछ लोगों ने मिल कर कांस्टेबुल को पीटा। इस सम्बन्ध में एक मामला भारतीय दण्ड विधान की धारा १४७/३४२/४५२/३२३ के अन्तर्गत कांस्टेबुल की रिपोर्ट पर थाने में दर्ज किया गया और अब कोर्ट में पेश किया जा चुका है। चूंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, अतः इसके सम्बन्ध में और कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास यह भी शिकायत आयी है कि कांस्टेबुलों ने या पुलिस ने मछुए को पीटा?

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं, अखबारों में यह प्रकाशित हुआ था किन्तु यह सही नहीं पाया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस सम्बन्ध में अधिकृत जांच करने के लिए किसी उच्च अधिकारी को घटनास्थल पर भेजने की कृपा करेगी?

श्री कैलाश प्रकाश—मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह विचाराधीन है, मुकदमा उसका दायर है और उस में सब चीजें आ ही जायेंगी।

तारांकित प्रश्न

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—[स्थगित किया गया।]

आगरा के पान विक्रेताओं की शिकायत

*२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार के पास लगे हुए पानों पर लगाये जाने वाले बिक्री-कर के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आयी हैं? अगर हां, तो सरकार उन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कर रही है?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)—आगरा के कुछ पान विक्रेताओं ने हाल ही में एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें लगे हुए पान पर बिक्री-कर का विरोध किया गया है। इस मामले पर सरकार द्वारा सावधानी से विचार किया जा चुका है और उसका विचार है कि लगे पान जैसी चीज को बिक्री-कर से मुक्त करना युक्तिसंगत नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार किसी ऐसे आल्टरनेटिव सुझाव पर विचार कर रही है जिससे सरकार की आमदनी में भी कमी न हो और तमोलियों की शिकायत भी दूर हो जाय?

श्री धर्म सिंह—इस समय तो केवल टैक्स ही लगा हुआ है, और जिससे कि आमदनी में कोई कमी न हो और वे मुक्त भी हो जाय इस प्रकार का कोई विचार इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बतलायेगी कि लगे हुए पानों पर बिक्री कर जो इस समय सरकार मुक्त करना युक्तिसंगत नहीं समझती तो वह किन युक्तियों के कारण ऐसा नहीं समझती?

श्री धर्म सिंह—उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि यह विलासिता की चीज है और बिना इसको इस्तेमाल किये हुए भी आदमी गुजारा कर सकता है। दूसरा कारण यह है

कि व्यापार की दृष्टि से यह बहुत ही लाभप्रद है। इसके साथ ही साथ जो लोग पान खाते हैं, वह बीड़ी इत्यादि और बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कोई बहुत ज्यादा अन्तर उससे नहीं पड़ता है जिसका कि कोई बोझ, जो आदमी इसको इस्तेमाल करता है, उस पर पड़े।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या वित्त मन्त्री जी जो वस्तुएं विलासिता की नहीं हैं जिनके बिना आदमी जिन्दा नहीं रह सकता उनके ऊपर से टैक्स घटाने की बात सोच रहे हैं ?

श्री धर्म सिंह---यह तो प्रश्न केवल पान से सम्बन्धित है और उसका उत्तर दिया जा चुका है।

*३---५---श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---[स्थगित किये गये।]

*६---७---श्री रामसुन्दर पांडेय---[स्थगित किये गये।]

श्री राजनारायण द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---आज मेरे पास करीब दस ऐडजर्नमेंट मोशन्स आये हैं। यों तो माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वे ऐडजर्नमेंट मोशन मूव करें, लेकिन जब मैंने रूल्स को देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि एक सिटिंग में एक से ज्यादा ऐडजर्नमेंट मोशन का मूव करना मुनासिब नहीं है। मुझे यह मालूम हुआ कि प्रिसिडेंस ऐसे हैं कि ऐडजर्नमेंट मोशन अगर मंजूर कर लिया जाय और तब वह पेश हो तो उसके बाद दूसरे ऐडजर्नमेंट मोशन पेश नहीं होने चाहिए और वह बाद को फिर दुबारा नेक्स्ट डे के लिए जा सकते हैं। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा मतभेद है। फिर भी क्योंकि प्रिसिडेंस ऐसा है, मैं उसको काम में नहीं लाता। रूल ६८ इस प्रकार है :---

"Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker."

इसमें शब्द "may be made" पर जोर दिया गया है, यानी स्पीकर की कन्सेंट के बिना एलाउ नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि एक सिटिंग में एक से अधिक ऐडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकता।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पब्लिक इम्पार्टेंस की चीज होनी चाहिए।

तीसरे उसमें यह है "The motion shall be restricted to specific matter of recent occurrence." अगर्चे मैं यह मानता हूं कि "रिसेंट" के मानी "immediate occurrence" के नहीं हैं, लेकिन "recent occurrence" होनी चाहिए। मेरे पास जो पहला ऐडजर्नमेंट मोशन आया है वह १३ अप्रैल के मामले के बारे में है। १३ अप्रैल के बाद सदन यहां बैठा, उस मौके पर इस विषय की यहां पर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन कोई चर्चा नहीं की गयी। इसीलिए मैं यह समझता हूं कि यह "immediate occurrence" की चीज नहीं है और न डेफिनिट चीज है। ऐसी सूरत में मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि "recent occurrence" की परिभाषा भी होनी चाहिए। १३ तारीख की घटना

है। अलीगढ़ में ६०० के करीब हरिजन गिरफ्तार हुए। उसकी खबर मेरे पास आयी। तो मैंने आदमी भेजा। उसकी इन्क्वायरी करायी और इन्क्वायरी की रपट मेरे पास आज आयी है। जब इन्क्वायरी की रपट आ गई कि आज तक इतनी गिरफ्तारी हो चुकी है तो वह बहुत ही "रिसेंट अकरेंस" है। मैं समझता हूं कि इस पर अगर आप आज रूलिंग न दें और कल के लिए रोक दें---सारा फाइल मेरे पास है और उससे हम आप को समझा सकते हैं---तो अच्छा होगा। आपको जानकारी अच्छी प्रकार होगी कि किसी ऐडजर्नमेंट मोशन के बारे में, माननीय स्पीकर जब चेयर पर होते थे, खूब चर्चा हो जाती थी। इसलिए आप भी पूरी जानकारी पहले हासिल कर लें तब फैसला दें। कल शाम को मेर पास इन्क्वायरी की रपट आई तो मैंने यह एडजर्नमेंट मोशन आज मूव किया। केवल अखबारों की खबर से कोई चीज हम यहां पर मूव नहीं कर सकते।

श्री अधिष्ठाता---मैं यह मानता हूं कि शायद आपको खबर न हुई हो; लेकिन १३ तारीख को कोई इंसिडेंट हो और उसकी खबर आपको कल मिले तो कल वह रिसेंट अकरेंस की बात नहीं कही जा सकती। आपके खबर होने पर ही तो कोई बात रिसेंट अकरेंस की बात नहीं मानी जा सकती।

साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिये एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट चीज होनी चाहिये। जब तक वह इम्पोर्टेन्ट न हो, उस वक्त तक एडजर्नमेंट मोशन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। तारांकित प्रश्न और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी किये जा सकते हैं। उनके लिये तीन रोज का टाइम है और उसमें वे पूछे जा सकते हैं। इसलिये मैं इसको मुनासिब नहीं समझता और जो मैंने पहले अपनी रूलिंग दे दी है, मैं उसी पर कायम हूं।

श्री राजनारायण---कल तक जब गिरफ्तारी हुई तो रिसेंट अकरेंस तो कल की ही है। १३ को वहां दुर्घटना हुई और कल तक गिरफ्तारी हुई।

श्री रामसिंह चौहान द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---दूसरा एडजर्नमेंट मोशन भी १४ और १५ अप्रैल की घटना से सम्बन्धित है और जो मैंने अपने वजूहात पहले एडजर्नमेंट मोशन को रिजेक्ट करने के लिये बताये वही इस पर भी लागू होते हैं। इसलिये इसको भी मैं मंजूर नहीं करता।

लखनऊ पेपर मिल के मजदूरों के निकाले जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---जहां तक तीसरे मोशन का ताल्लुक है, मैं इसको डफिनिट भी नहीं मानता और इम्पोर्टेन्ट्स की चीज भी नहीं मानता। इसमें कोई समय भी नजदीक का नहीं दिया हुआ है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या है श्रीमन्, मुझे मालूम तो हो जाय?

श्री अधिष्ठाता---"पेपर मिल्स लखनऊ के अधिकारियों द्वारा हाल में ३६ मजदूरों को काम से अलग कर दिये जाने के कारण उनमें महान् असन्तोष व्याप्त है जिससे किसी भी क्षण भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है।"

मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि न इसमें टाइम है और न अकरेंस नजदीक का है।

श्री उग्रसेन द्वारा कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता--चौथा एडजर्नमेंट मोशन जो है वह १८ अप्रैल की घटना के बारे में है। इसके बारे में भी तारांकित या अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा जा सकता था, लेकिन पूछा नहीं गया, इसलिये मैं इसको भी रिजेक्ट करता हूं।

चकबन्दी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता--अगला प्रस्ताव चकबन्दी के बारे में है। चूंकि अब चकबन्दी का बिल पेश है और इसमें काफी मौका मिलता है और मिल रहा है, लिहाजा इसके मुताल्लिक एडजर्नमेंट का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिये मैं इसको डिसएलाउ करता हूं।

श्री राजेंद्र सिंह (जिला हरदोई)-- चकबन्दी के सम्बन्ध में जो कामरोको प्रस्ताव अभी आपके पास भेजा गया है, उसके सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति बाहर खड़े हुए हैं। वे ३०-३० रुपया खर्च करके पश्चिमी जिलों से आये हैं। वे भूखे-प्यासे हैं, उनके लिये आज हमने प्रस्ताव किया है।

श्री अधिष्ठाता-- आप तशरीफ रखें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, नम्बर ५ पर जो कामरोको प्रस्ताव था १८ अप्रैल की घटना से सम्बन्धित .....

श्री अधिष्ठाता--उसके लिए मैंने रूलिंग दे दी, अब उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता।

श्री उग्रसेन--मैं प्रक्रिया नियमावली का एक नियम पढ़ना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--मैं इसकी इजाजत आपको नहीं देता, आप तशरीफ रखिये।

कानपुर काटन मिल को बन्द करने के निर्णय के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता--यह जो एडजर्नमेंट मोशन ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन के बारे में है, यह भी न रीसेंट अकरेंस की बात है, न डेफनिट है, इसलिये मैं इसकी भी कोई आज्ञा प्रदान नहीं करता, अपनी कोई स्वीकृति नहीं देता।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन के सम्बन्ध में सूचना आज की ही है। जो गम्भीर स्थिति कानपुर में पैदा कर दी गयी है उस पर वाद-विवाद की आवश्यकता है। अधिष्ठाता महोदय, इस बात को देख लें। इसमें विलम्ब जरा भी नहीं हुआ। आज ही यह सूचना मिली है, वहां स्थिति बहुत विषम पैदा हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता---"ब्रिटिश इंडियन कारपोरेशन की ओर से इस सम्बन्ध में निर्णय करने की वजह से कि कानपुर काटेन मिल्स बन्द कर दिया जाय, कानपुर के ५ हजार मजदूरों में जो विषम परिस्थिति तथा अनिश्चितता की हालत उत्पन्न हो गयी है, उस से कानपुर तथा इस प्रान्त में एक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। अतः सदन उपरोक्त गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिए आज अपना कार्य स्थगित करता है"।

मैंने इसीलिये इसको पढ़ा कि इसमें कहीं यह जाहिर नहीं होता है कि कब वाकया हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से डैफिनिटनेस आती है? न यह डैफिनिट है, न बहुत इम्पोर्टेन्स का है। इसलिये मैं इसको रिजेक्ट करता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---माननीय त्रिलोकी सिंह जी का ऐडजर्नमेंट मोशन इसी तरह का है, इसलिये मैं उन्हीं कारणों से इसकी भी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मेरे पास ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का ओरीजिनल आर्डर रखा हुआ है, उसको मैं दिये देता हूं।

श्री अधिष्ठाता---इसको आपको पहले ही मोशन के साथ भेजना चाहिये था।

श्री त्रिलोकी सिंह---मैंने लिख दिया था कि और यह जरूरी नहीं है कि डाक्यूमेंट्स उसके साथ भेजे जायं। मैं अभी आपके सामने पेश करता हूं।

यह २७ अप्रैल का वाकया है, कल इतवार था और आज २९ तारीख है। ५,००० आदमियों को नोटिस दिया गया है, इसलिये पेश्तर इसके कि आप कुछ तजवीज फरमायें यह मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---मैं ने इसको फिर दुबारा पढ़ा आपके कहने के बाद और मैं अब भी अपनी राय पर कायम हूं। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता हूं कि अपनी राय बदलूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---इस मसले पर गवर्नमेंट से तो पूछ लीजिये।

श्री अधिष्ठाता---अब तो मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूं, इसका सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं बहुत विनम्र निवेदन आपकी सेवा में कर रहा हूं और सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में भी, कि हम कुछ ऐसा देख रहे हैं, इधर ४-६ दिनों से जो कार्यवाही चल रही है, या यों कहा जाय कि माननीय अध्यक्ष महोदय के अस्वस्थ होने के कारण, ऐसा होता है कि प्रतिदिन एक-एक अधिष्ठाता बैठता है और उनकी जो रूलिंग्स होती हैं, जैसा कि श्री बेचनराम जी ने कहा था कि "मेरी व्यवस्था गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है", लेकिन हो गई तो हमें शिरोधार्य करनी पड़ती है। हमारी परेशानी श्रीमन्, यह हो गई है कि ५ वर्ष से माननीय अध्यक्ष के निर्णय के मुताबिक और व्यवस्था के मुताबिक यहां पर कामरोको प्रस्ताव आते रहे हैं। अब एक-एक निजी परिवर्तन हो रहे हैं। श्रीमन्, इसलिये या तो ऐसा किया जाय, अधिष्ठाता महोदय, कि हमें मालूम हो जाय और आध घंटे पहले हम आ जायं और डिस्कस कर लें।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य ने जो फरमाया, यह कुछ मुनासिब नहीं है। बहरहाल इस चेयर पर बैठ कर जिसको अधिकार दिया जाता है, वह अपनी अक्ल, नीयत और ईमानदारी के साथ निर्णय देता है और वह मान्य होना चाहिये और उस पर आक्षेप करना या किसी किस्म का रिफ्लेक्शन पास करना, न आपके लिये और न मेरे लिये कुछ ज्यादा मुनासिब बात है। इन वजूहात से मैंने अर्ज किया कि आप बैठ जाइये। इस किस्म की गुफ्तगू आपके लिये शोभा नहीं देती।

श्री त्रिलोकी सिंह---आपका यह फरमाना कि अधिष्ठाता के ऊपर रिफ्लेक्शन कास्ट करना या उनके निर्णयों को क्वेश्चन करना ठीक नहीं है, यह बात सही है और शिरोधार्य है लेकिन श्रीमन्, मैं बहुत ही अदब के साथ यह निवेदन करूंगा कि ऐडजर्नमेंट मोशन जब पेश किया जाता है तो जो माननीय सदस्य उसको पेश करता है, उसका यह हक है कि वह इस बात को जाने कि क्यों चेयर ने उसके ऐडजर्नमेंट मोशन को अनियमित करार दे दिया है।

जहां तक मेरे मोशन का सवाल है, मैं बहुत अदब के साथ यह गुजारिश करता हूं कि हुजूर ने न तो यह फरमाया कि वह अनिश्चित है, न यह फरमाया कि वह अर्जेन्ट नहीं है, न यह फरमाया कि वह कोई रीसेन्ट अकरेन्स का नहीं है। फिर भी मैंने आपके हुक्म को माना। लेकिन मैं बहुत अदब के साथ यह गुजारिश करूंगा कि चेयर का यह कर्तव्य है और इस धृष्टता को करने के लिये आप इजाजत दें कि जब किसी मोशन को आउट आफ आर्डर किया जाय तो जो भी अधिष्ठाता हों, अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, वे इस बात का लिहाज रखें कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है, उस कारण को साफ-साफ कह दें।

श्री अधिष्ठाता---मैं आपकी यह बात मानता हूं कि कारण देने चाहिये ताकि सदस्य को उसमें सैटिस्फैक्शन हो, लेकिन मैंने आपके एडजर्नमेंट मोशन के बारे में यह कहा था कि जो रीजन्स मैं पहले एडजर्नमेंट मोशन पर दे चुका हूं वही रीजन्स इस पर भी लागू हैं और इसलिये मैं समझता हूं कि वे काफी हैं।

कोयले के अभाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---अब माननीय रामनारायण त्रिपाठी का जो एडजर्नमेंट मोशन है, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं :---

> "प्रदेश भर में कोयले के अभाव के कारण निजी तथा सहकारी धन्धों के ईंट के भट्ठों को करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ रही है। प्रदेशीय सरकार की इस असफलता से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विवाद के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसके अन्दर न तो कोई डेफ़िनिटनेस है, न इसमें कोई अर्जेन्ट इम्पोर्टेन्स की चीज है। इसलिये मैं इसको नामंजूर करता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---जहां तक अगले एडजर्नमेंट मोशन का ताल्लुक है, यह चकबन्दी के मुताल्लिक है और चकबन्दी के बिल पर इस सदन में बहस हो रही है, उसमें वे कह सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---किसका है मोशन, श्रीमन्, नाम तो पढ़ दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--श्री जंग बहादुर वर्मा का है। इसलिये मैं इस एडजर्नमेंट मोशन की स्वीकृति नहीं देता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में अन्नाभाव से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता--श्री झारखंडेराय और चन्द और सदस्यगण ने यह एडजर्नमेंट मोशन दिया है। मैं इसको पढ़ देना चाहता हूं :--

"गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी के जिलों में इस वर्ष खरीफ़ और रबी, दोनों फस्लों के सूखे, बाढ़, अति वर्षा, देर से बोआई, तेज पछुवा हवा, अनेक कीड़ों और रोगों के लगने तथा ओला-वृष्टि से बर्बाद हो जाने एवं औसतन चार आने से ज्यादा रबी के न होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश म इन्सानों तथा पशुओं, दोनों के लिये भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाने से उत्पन्न अत्यन्त संकटापन्न एवं गम्भीर खाद्य स्थिति पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसके मुताल्लिक मेरा यह खयाल है कि माननीय सदस्य प्रश्न के द्वारा इन बातों को पूछ सकते थे। इसके अन्दर कोई ऐसी इम्मीडियेट इम्पार्टेंस की चीज नहीं है। डेफिनिटनेस भी नहीं है और न रिसेंट अकरेंस की ही चीज है, इसलिये मैं इसकी आज्ञा नहीं प्रदान करता।

चकबन्दी से उत्पन्न कठिनाइयों पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता--एक और ऐडजर्नमेंट मोशन है जो समय के बाद आया है। इसलिये इसको कल ही अगर माननीय सदस्य लाना चाह तो ला सकत हैं।

खाद्य स्थिति पर विवाद की मांग

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात पेश करना चाहता हूं। यद्यपि आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी यू० पी० में जो खाद्य स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके लिये इस सदन के सभी माननीय सदस्य, चाहे वे इस तरफ बैठे हों या उस तरफ, चिन्तित हैं। अखबारों से जो खबरें आ रही हैं और हमने गत ७ या ८ दिनों में पूर्वी जिलों का दौरा करने के बाद जो जानकारी हासिल की है, उससे हम कहना चाहते हैं कि इस समस्या की ओर इस सदन का और विशेषकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है और इसलिये भी यह जरूरी है कि सरकार इस बात का अवसर हमको प्रदान करे कि हम जो खास करके पूर्वी यू० पी० के सदस्य हैं, वे अपने विचार प्रकट कर सकें और सरकार को भी स्थिति अवगत हो।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि आपकी व्यवस्था के बाद पुनः यह कह कर कि यद्यपि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लम्बी चौड़ी स्पीच दी जा रही है। यदि झारखंडे राय जी को आपकी आज्ञा शिरोधार्य है तो उनको स्पीच नहीं देना चाहिए।

श्री झारखंडेराय--अधिष्ठाता महोदय, एक दिक्कत और हमारे सामने यह है कि आप जब स्वयं खड़े हो करके एक व्यवस्था देते रहते हैं तो उस बीच में खड़े होकर आपको टोकना तो अनुचित है। तो जो भी हम कहना चाहते हैं वह आपकी व्यवस्था हो जाने के बाद ही कहेंगे वरन् बीच में ही खड़े हो जायं, यह भी आपके सम्मान के विरुद्ध है। इसीलिये बाद में अपनी बात मैंने कही है। मैं चाहता हूं कि आपका और सरकार का ध्यान इस ओर खींचूं।

श्री अधिष्ठाता--माननीय मंत्री जी इस स्थिति के बारे में कहना चाहते हों तो फरमा सकते हैं।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर--अधिष्ठाता महोदय, यह मसला एक बार पहले भी इस सदन के सामने उठा था और उस वक्त जो अधिष्ठाता महोदय थे उन्होंने कहा था कि यह मुनासिब होगा कि यहां की जो खाद्य स्थिति है उस पर कुछ वादविवाद हो जाय। चुनांचे, जहां तक मैं जानता हूं, उसके लिये कल की तारीख मुकर्रर हो गई है और कल प्रश्नों के बाद इस मसले पर बहस होगी और उस वक्त जो आज स्थिति है, उसके मुताल्लिक जो कुछ सरकार की तरफ से अर्ज करना है, सदन के सामने अर्ज करूंगा।

श्री अधिष्ठाता--पहाड़ी इलाकों के बारे में भी कुछ जिक्र होगा या ईस्टन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में ही आप कर रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर--पूरी जो खाद्य की व्यवस्था इस सूबे में है, मैंने सोचा था कि कुल के मुताल्लिक अर्ज कर दूंगा ताकि हाउस को पूरा मौका मिल जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, कल की बहस के लिये जो माननीय मंत्री जी ने सूचना दी है उसकी सफाई नहीं हो पाई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कल सारे सूबे में जो खाद्य स्थिति है उसके सम्बन्ध में बहस होगी। माननीय मंत्री जी की बात को काटते हुये आपने यह बतलाया कि केवल पहाड़ी इलाकों के बारे में ही बात होगी। तो जरा यह सफाई हो जाय तो कल उसके बारे में हम भी पूरे आंकड़े लेकर तैयारी के साथ आवें, क्योंकि सरकार के पास तो जो सूचना होगी वह पूरी रखेगी और जो वस्तुस्थिति है इलाकों की, उसके बारे में कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा।

इसलिये मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य मंत्री जी जो यह कह रहे हैं कि सारे प्रदेश की खाद्य की स्थिति के संबंध में बहस होगी, वही वस्तुस्थिति है क्या? उसी के मुताबिक बहस होगी या पहाड़ी इलाके के बारे में बहस होगी?

श्री अधिष्ठाता--माननीय मंत्री जी इस संबंध में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री सैयद अली जहीर--मेरा यह खयाल था कि उस प्रोग्राम में जो लिखा गया है वह यह है कि प्रश्न के बाद शायद दो घंटे का वक्त खाद्य की स्थिति पर बहस के लिये रखा गया है और उस दो घंटे में मैं समझता था कि जितने हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके मुतल्लिक खास-तौर से और बाकी और जो खाद्य की स्थिति अपने प्रदेश में है उसके ऊपर आम तौर से अगर कुछ ख्यालात हाउस के माननीय सदस्य चाहेंगे तो वह जाहिर कर सकेंगे। इतना ही वक्त रखा गया था और इसलिये मैं समझता था कि उसी सिलसिले में उस पर भी बातचीत हो जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--जो मैंने उस दिन मोशन किया था वह नियम १७२ के अनुसार था और मैं समझता हूं कि दो घंटे के समय में अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति पर ही विचार कर सकें तो पर्याप्त होगा। तो या तो सारा दिन उस पर बहस

के लिये रख दिया जाय तो ठीक होगा या फिर उसके लिये अलग से समय निश्चित किया जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि दो घंटे में उस सारी स्थिति पर विचार करना मुश्किल होगा। इसलिये या तो सारा दिन उस पर बहस के लिये रखा जाय या फिर नियम के अनुसार कोई और समय निश्चित किया जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, मैं ऐसा सोचता हूं कि जैसा माननीय नारायणदत्त जी ने अभी कहा कि दो घंटे का समय तो कुमायूं क्या, केवल एक जिले की स्थिति पर ही बात करने के लिये रखा गया था और जो अवस्था इस समय है उस पर विचार करने के लिये अगर आप पांच-पांच, दस-दस मिनट का समय भी देना चाहते हैं दस पांच आदमियों को, तो बड़ी दिक्कत हो जायेगी कि वे अपना विचार पूरी तरह से व्यक्त कर सकें। मैं समझता हूं कि यह एक इतनी बड़ी समस्या है, हो गई है कि जिस पर कम से कम एक दिन का समय विचार करने के लिये हमें निकालना चाहिये और इस तरह की कई बार मांग की गई है और सरकार उसको मानने से किसी न किसी वजह से हमेशा इनकार करती रही है। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि अगर सरकार दूसरों की मदद से और सलाह से फायदा उठा सकती है तो उसे इनकार नहीं करना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि एक दिन का वक्त इस पूरी समस्या पर विचार करने के लिये निकाला जाय और इस पर जल्दी से जल्दी विचार किया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, मैंने परसों ही एक एडजर्नमेंट मोशन पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति पर विचार के लिये, देवरिया के अकाल के विषय में दिया था और उस रोज, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, यह आश्वासन दिया गया था कि यह दोनों बहस में रखे जायेंगे। इसलिये एक दिन का समय रखा जाय और उस पर काफी सदन के लोग, ट्रेजरी बेंचेज के और विरोधी पक्ष के, अपनी बात कहेंगे और काफी समय लग जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि दो घंटे की बात इसमें दी हुई है। माननीय मंत्री जी से आप इस बारे में तय कर लें और अगर वह ज्यादा समय दे सकें तो ठीक है, जो अधिष्ठाता होंगे वह अगर मुनासिब समझेंगे तो वक्त बढ़ा देंगे। तो आप मंत्री जी से बात कर लें और मैं भी मालूमात कर लूंगा और आप लोगों को इत्तला कर दूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के संबंध में जानकारी

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—जो मोशन आपको समय में नहीं प्राप्त हुआ उसका क्या विषय है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—उसका पढ़ना मेरे लिये अनिवार्य नहीं है।

आचार्य दीपंकर—इतना तो मालूम हो जाय कि वह किसके बारे में है?

श्री अधिष्ठाता—चकबन्दी के बारे में है।

खाद्य स्थिति पर विवाद की मांग (क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो दो घंटे का समय दिया गया है कल का, उसके मुताबिक यह समय अल्मोड़े जिले की खाद्य-स्थिति के संबंध में विचार करने के लिये है। मैं आपका अधिक समय न लेकर केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि वहां की हालत इतनी खराब हो गयी है कि ५०० कुनबे वहां से माइग्रेट करके तराई भावर में आ चुके हैं। वहां के लोग पेड़ की खाल और पत्ती खाकर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। इतना ही नहीं गरब्यांग नाम का एक गांव डूब रहा है और धरती के अंदर प्रवेश कर रहा है।

श्री अधिष्ठाता—मैं उसके बारे में कह चुका हूं, वही ठीक है और वह बदस्तूर कायम रहेगा यानी यह कि माननीय मंत्री जी से बातचीत कर ली जायेगी कि और ज्यादा वक्त इसके लिये जरूरी है या नहीं। अगर उस वक्त के अधिष्ठाता ने यह मुनासिब समझा कि ज्यादा वक्त दिया जाय तो उसके बारे में बाद को अर्ज कर दिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—मैं यह कहना चाहता था कि दो घंटे का समय कुमायूं के लिये दिया गया और पूर्वी जिलों के लिये यदि आपकी आज्ञा हो तो तभी समय दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—प्रदेश की कोयले की स्थिति के बारे में जो कामरोको प्रस्ताव था उसके बारे में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या यह महसूस नहीं कर रही है कि सरकार कोई स्पष्टीकरण इस स्थिति के बारे में प्रदेश की जनता और माननीय सदस्यों को दे ताकि सही स्थिति मालूम हो सके? तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह कोई स्पष्टीकरण इस सम्बन्ध में देना चाहते हैं या नहीं?

श्री अधिष्ठाता—अब तो वह वक्त निकल गया और उसके बारे में यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो सभापति जी ने व्यवस्था दी है कि दो घंटे का समय दिया जायेगा, तो मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि यह समय प्रक्रिया नियमावली के किस रूल के अन्तर्गत दिया गया है? क्योंकि जो १७२ नियम मेरे सामने है, उसमें तो एक दिन या उस से अधिक समय ही एलाट किया जा सकता है, जिस पर जरूरी प्रश्न पर विवाद किया जा सकता है और हमारे लिये यह मजबूरी है कि हम माननीय मंत्री जी से पूछें कि वह इसके लिये और कितना समय देना चाहते हैं?

श्री अधिष्ठाता—मैं यह अर्ज करता हूं कि इसमें तो यह है कि "will allot a day or days" इसका मतलब यह है कि सालिम दिन भी नहीं हो सकता। यह जो दो घंटे का समय दिया गया है मैं इसके विषय में स्वयं विचार करूंगा। लंच के बाद बतला दूंगा कि कितना समय इसके लिए नियत किया जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—श्रीमन्, मैं यह बतला रहा हूं कि.....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि श्री रामसिंह चौहान तीन बार उठे। मुझे मालूम नहीं कि वह आपका ध्यान आकर्षित कर पाये या नहीं। उन्होंने भी अपना एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था जो कि समय के अन्दर था। वह तीन बार खड़े हुये कि मालूम करें कि उस मोशन का क्या हुआ? उस पर बिना अपनी सम्मति प्रकट किये आप दूसरे को बोलने के लिये कहने जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—मैंने पहले ही इसके बारे में अपनी व्यवस्था दे दी है। इसका नम्बर दो था और मैं पहले ही इसको डिसअलाऊ कर चुका हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न दूसरा है। आपने एक बार श्री चन्द्रसिंह जी रावत को बोलने के लिये कहा, वह खड़े हुये और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो फिर उनको बिठा कर माननीय मंत्री जी को बोलने के लिये कहना उचित या ठीक नहीं मालूम होता।

श्री अधिष्ठाता—चेयर को अधिकार है कि प्रोसीज्योर या प्रोसीडींग्स में किसी किस्म का भी इन्टरफिरेंन्स करे, वह बोल रहे थे। जो उससे पहले होना चाहिये उसकी तरफ मेरी तवज्जह बाद में दिलाई गई। आइटम २ को मैं प्रीसीडेन्स देता हूं, वह पहले होगा।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अन्तर्गत प्रख्यापित संशोधन*

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७५७/३३-४२—५५, दिनांक ९ अगस्त १९५६, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन को मेज पर रखता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—मुझे इसके बारे में कुछ अर्ज करना है। सरकार की ओर से जो गैरकानूनी काम हुआ है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—कहिये।

श्री गेंदा सिंह—ये नियम ९ अगस्त, सन् १९५६ को लागू हुये और उनके मुताबिक़ पंचायतराज विभाग उस समय से काम कर रहा है। जहां तक कानून का सवाल है, उसमें तो स्पष्ट है कि जिस समय नियम बनाया जाय, उसके बाद ही जो सदन का अधिवेशन हो, उसमें नियम को आ जाना चाहिये। इसका एकमात्र यह कारण है कि अगर हम चाहें तो इसे बदल सकते हैं या बिलकुल ड्राप कर सकते हैं। लेकिन ९ अगस्त, १९५६ से यह नियम लागू है और आज २९ अप्रैल, १९५७ है। इस बीच में नहीं मालूम कितने अधिवेशन सदन के हो चुके हैं, लेकिन आज तक पंचायतराज विभाग ने या सरकार ने उचित नहीं समझा कि वह इसे हमारे सामने लाती। मैं समझता हूं कि यह नियम का बहुत बड़ा उल्लंघन है और इस सदन के अधिकारों का अपहरण या अपमान है। मैं समझता हूं कि आपको इस पर उचित निर्णय देना चाहिये।

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—इसकी बाबत देखकर कल मैं अपना निवेदन करूंगा। अगर इतना समय दे सकें तो आपकी और हाउस की महानता होगी।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि १६ दिसम्बर को हाउस में यह नियम रखे जा चुके थे, लेकिन उसमें यह दिक्कत हुई कि हाउस प्रोरोग हो गया और दोबारा उनको रखना पड़ रहा है, कुछ १४ दिन की मुद्दत पूरी नहीं हुई। जहां तक इसके असर का ताल्लुक है, वह फ़ौरी, बनते ही हो जाता है और नियम लागू हो जाते हैं। यदि हाउस चाहे तो वह तब्दीली कर सकता है। लेकिन रूल बनाने का जो अधिकार सरकार को है उससे नियम के बनते ही वह लागू हो जाता है।

श्री गेंदासिंह—तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो इसके बारे में कल कुछ कहने के लिये कहा, उसे तो आप कायम ही रखें कि देखा जाय कि सरकार की ओर से इसके लिये क्या कहा जाता है? यद्यपि आपकी इस रूलिंग के बाद मेरा काम कुछ कठिन जरूर हो जाता है लेकिन सरकार को आप एक्सप्लेनेशन देने का मौका रखें।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि जो बात मैंने कही है, वही कानून के मुताबिक दुरुस्त है और मैं समझता हूं कि जब एक ऐक्ट के अन्दर दफा बना दी जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से कवायद बना दिये जाते हैं तो जो नियम गवर्नमेंट बनाती है वह लागू होता है और सदन को अधिकार है कि अगर कानून के अन्दर यह बात नहीं हो रही है और वह उसमें कुछ रद्दोबदल करना चाहता है तो जब तक रद्दोबदल न हो, उस वक्त तक वह नियम लागू रहेगा।

---

* छापे नहीं गये।

श्री गेंदा सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मेरी बड़ी परेशानी हो जाती है जब आप इस तरह की बात कहते हैं। अगर कोई मिनिस्टर इनचार्ज इस प्रकार की बात कहता तो मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लेता, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मैं उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता। आप जो कुछ भी कहें, वह आज्ञा के तौर पर मुझे शिरोधार्य है। अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि यह नियम किस वक्त सदन के सामने रखा गया था और रखा भी गया था या नहीं रखा गया था ?

श्री अधिष्ठाता---१६ दिसम्बर को रखा गया था और फिर दोबारा रखा जा रहा है।

बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट एजूकेशन के लिये सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट एजूकेशन में जिसकी ३ साल की अवधि २७ जून, १९५७ को समाप्त होगी तथा जिसे पुनः संगठित करना है, कार्य करने के लिये इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा ३ की उप-धारा (१) के खंड (एम) के अनुसार इस सदन के दो सदस्यों को निर्वाचित करे।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, बोर्ड आफ हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट एजूकेशन में जिसकी तीन साल की अवधि २७ जून, १९५७ को समाप्त होगी तथा जिसे पुनः संगठित करना है, कार्य करने के लिये इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (एम) के अनुसार इस सदन के दो सदस्यों को निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत†)

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बता रहा था कि आज के लेजिस्लेशन के अन्दर जो इतनी कमियां और खामियां हैं उनका होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपूर्ण दुनिया के अन्दर रहने वाले हैं, तो यहां की व्यवस्था तो अपूर्ण होगी ही। अगर हम परफेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिये हमें इमपरफेक्ट के बजाय परफेक्ट दुनिया को लाना होगा। इसीलिये मैंने यह दरख्वास्त की थी कि जो कमियां हमारे आज के इमपरफेक्ट लेजिस्लेशन के अन्दर हैं वे परफेक्ट हो जाने के बाद न होंगी क्योंकि कम्पलशन आफ दि फोर्सेज आफ दि सरकमस्टेंसेज के वशीभूत होकर एक व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन जब दो व्यवस्था हमारे सामने नजर आती है इविल के रूप में, तो छोटी कमी को स्वीकार करना ही हमारे लिये लाजिमी हो जाता है। इसलिये अननेसेसरी इविल को एडाप्ट करने के लिये हमको मजबूर होना पड़ता है। ऐसी दशा में लेजिस्लेशन में कमियां रह जाती हैं। तो आज की इमपरफेक्ट दुनिया को परफेक्ट बनाना जरूरी है।

आगे चलकर मैं बतलाना चाहता हूं कि मैंने कल माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े गौर से सुना। जैसे हमारे माननीय मित्र पालीवाल जी ने इस सदन में जिस तरह से अपनी स्पीच में इसको डील किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। इसमें कोई

---

* १८ अप्रैल, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

† २७ अप्रैल, १९५७ की कार्यवाही से।

शक नहीं कि बड़े सुन्दर शब्दों में और बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। मैं उनकी तमाम उन बातों का स्वागत करता हूं। उनके अलावा एक और माननीय सदस्य माननीय दुबे जी ने भी अपनी विद्वता का परिचय दिया है और बहुत शास्त्रीय भाषा में उन्होंने अपनी बात कही है और मैं उसकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव माननीय सदस्य सदन में देते हैं उनका अवश्य असर होता है और हम सच्ची और सही बातों का स्वागत करते हैं, हम इसको मंजूर करते हैं कि कमियां हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ-साथ मैं बताना चाहता हूं कि कानून में कमियां हैं, जमीन ली गयीं, चकबन्दी की कार्यवाही में जो जमीनें डोनेट की गयीं, कन्ट्रीब्यूट की गयीं या गिफ्ट की गयीं, जो भी ट्रान्जीशन की हालत थी, तो जो जमीनें उस वक्त पब्लिक परपज के लिये ली गयीं उन जमीनों का मुआवजा, कांस्टीटयूशन आफ इंडिया के मुताबिक दिया जाना जरूरी है और बिना मुआवजा कोई भी अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी बहुत सी कमियां ऐसी इसलिये हैं क्योंकि हम जिस संविधान के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और जिस शासन प्रणाली पर हमारा कांस्टीटयूशन खड़ा किया गया है, उस शासन प्रणाली की कमियों के कारण, बावजूद हमारी तमाम कोशिशों के वह कमियां दूर नहीं हो सकतीं। जिस शासन प्रणाली की आधारशिला पर आप अपना कांस्टीटयूशन चला रहे हैं उसको तब्दील करने के लिये जब तक आप तैयार नहीं हैं तब तक यह रोजाना की कमियां दूर नहीं हो सकतीं। लेकिन मजबूरी यही है कि "इवाट कैन–नाट बी क्योर्ड, मस्ट बी एन्डयोर्ड" या तो शासन प्रणाली में संशोधन आये और संविधान को बदला जाय, उसकी धाराओं में संशोधन हो और उसके ढांचे को ही बदला जाय और इस तरह से इन कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिये . . . . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—प्वाइंट आफ आर्डर। यह समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं, यह सूचना मैं चाहता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मुझे खेद है कि इतने समय के बाद भी माननीय सदस्य की समझ में यह बात क्यों नहीं आई कि डिबेट किस विषय पर चल रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में अपने विचार जाहिर करना चाहता हूं कि जो कमियां हमारे कानून में हैं जिनके खिलाफ, यहां आवाज उठाई जाती है, सरकार भी उनसे इनकार नहीं करती। हमारे संविधान में ऐसी धारायें हैं कि जिनको संशोधित नहीं किया जाता तो वह कमियां दूर नहीं हो सकतीं। अगर संविधान की वजह से कोई अड़चन है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है, सदन में उनका जिक्र करने से तो आप अपने को गुमराह करते हैं क्योंकि वह दायित्व केन्द्रीय सरकार का है। लेकिन जब तक हमारा मौजूदा संविधान लागू है तब तक हम उसके अन्तर्गत ही आगे बढ़ सकते हैं, चाहे जो कुछ भी उसमें खामियां हों। जो पहला ऐक्ट बना था उसमें कुछ खामियां थीं, उसमें एक कमी थी। वह खामी अब नजर आयी है। हाईकोर्ट में कोई रिट पेटीशन हुआ और हाईकोर्ट के जजेज को पता चला कि गांवों के अन्दर फार पब्लिक यूटिलिटी जमीनें ली गयीं जोकि कानून के मुताबिक बिना मुआविजा दिये हुये नहीं ली जा सकती हैं। इसलिए यह बात तो अच्छी है। हमारे भाइयों का फायदा होगा, जिस बात की कमी थी उसको दूर करने का एक कदम है और इसमें उन बातों का सपोर्ट होना चाहिए। यद्यपि उन किसानों की जमीनें बहुत छोटी हैं, नेगलिजिबिल एरिया की हैं लेकिन कानून की कमी थी। यह एक टेक्निकल मिस्टेक थी कानून की, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि जहां तक मुआविजा दिये जाने का इस विधेयक में प्राविजन लाया गया है उस कानून की कमी को दूर करने के लिए मैं समझता हूं कि सब माननीय सदस्य अपना सपोर्ट इस अमेंडिंग बिल को देंगे और इसको पास करने में कोई कमी न उठा रखेंगे। उसका कारण

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

है कि जिनके दुख दर्द से आप पीड़ित हैं, हम भी पीड़ित हैं, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। कौन ऐसा अभागा होगा जो अपने देशवासियों के दुःख और दर्द को दूर करने में टांग अड़ायेगा जबकि वह जनता से वोट लेकर इस सदन में दाखिल हुआ है और अपने को इलेक्शन में जनता के सामने रखा है। क्या आप समझते हैं कि ऐसा कोई अभागा माननीय सदस्य हो सकता है जो उसके विरोध में खड़ा हो और जो उसके विरोध में बोलने का साहस करे ? इसलिए मैं निहायत अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि बिना भेदभाव के इस बिल का सपोर्ट हम लोगों को करना चाहिए। दूसरे जो कमियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है, माननीय मित्रों का आग्रह बिल्कुल ठीक है। अगर माननीय मंत्री जी उचित समझें तो उन कमियों को दूर किया जा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं और इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जा सकता है। लेकिन सब का अधिकार है दरख्वास्त करने का, मंत्री महोदय करें या न करें, उचित समझें या न समझें। लेकिन अगर सदन उचित समझता है तो यह तो सदन का अधिकार है, वह एक सुप्रीम बाडी है। वह उसको कर सकता है अगर उसके साथ दूसरी कमियां दूर की जा सकती हैं और उन कमियों को दूर करने का मौका मिलना चाहिए।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अमेंडिंग बिल को सपोर्ट करता हूं और मैं समझता हूं कि हमें सारे सदन के माननीय सदस्यों का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस चकबन्दी संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने में मैं आपत्ति पाता हूं और मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि चकबन्दी संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजकर हम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करेंगे। अब मैं अधिष्ठाता महोदय, आप की आज्ञा से अपने माननीय सदस्यों के समक्ष इस संशोधन विधेयक का एक छोटा सा पोस्टमार्टम करना चाहता हूं। २१ खंडों में यह संशोधन यहां पर लाया गया है। इसमें चार पांच तो मूल धाराएं हैं और बाकी सब छाया खंड हैं, जो सरकमस्टेंशल और प्रभावकारी हैं। सिर्फ उनमें हमें देखना है कि वे भ्रष्टाचार को कितना प्रोत्साहन देते हैं क्योंकि इस सदन में चकबन्दी विधेयक और भ्रष्टाचार, यह दो शब्द सामने रख करके, एक चीज कही जाती है कि चकबन्दी को इस समय हमें स्थगित करना चाहिए। यद्यपि चकबन्दी की प्रशंसा हमारे सभी माननीय सदस्य करते हैं, पर कुछ तो नारदीय नीति से चाहते हैं कि उसका स्थगन हो जाय, कुछ तो स्पष्ट कहते हैं और कुछ प्रवर समिति को ले जाने का निहायत ईमानदारी के साथ प्रस्ताव लाना चाहते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि कुछ तो अवकाशभाव के कारण संशोधन विधेयक को पढ़े ही नहीं, कुछ इस प्रचार के धारावाही आवेश में बह जाते हैं। हमारे संशोधन में एक संशोधन आता है, वह पारिभाषिक संशोधन है। जिसे चाहे आप चकबन्दी समिति कहें और चाहे भूमि प्रबन्धक समिति कहें, इसमें कोई भ्रष्टाचार की गंध नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि धारा ११७ और १२१ जमींदारी विनाश कानून का हवाला देते हैं और धारा ४३ के खंड १ और २ का हवाला देते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं तो कोई कारण नहीं है कि कल्याणकारी क्यों न होगा ? यह एक बहुत ही निर्दोष संशोधन है और इसमें भ्रष्टाचार की किसी प्रकार की कोई बात दिखाई नहीं देती।

दूसरे मैं खंड १०-क को नये खंड के रूप में लेता हूं। उससे चकबन्दी के कार्य में सहायता मिलती है क्योंकि अभी तक चकबन्दी का रवैया ऐसा रहा है कि चकबन्दी के अफसरान बटवारे को प्रोत्साहन नहीं देते क्योंकि बटवारा करने के बाद वह एक जाल में फंस जाते हैं और उतने ही उनको चक बनाने पड़ते हैं। इस कारण वे प्रोत्साहन

नहीं देते। चकबन्दी अधिकारियों ने इस बात का ज्ञान प्राप्त किया और जो एक इनहेरेन्ट अधिकार सब कानूनों में होता है वहां के कार्य करने वालों को वही अधिकार धारा १०—क में दिया जा रहा है। चकबन्दी अधिकारी को डिस्क्रीशन दिया जा रहा है कि वह उचित समझे तो किसी स्थान के ऊपर खातेदारों में विभाजन कर देगा। माननीय राजनारायण जी को भ्रम दिखाई पड़ा, और शायद वे इसको अनावकाश के कारण न देखे होंगे। उसके आगे १५ रोज का लिमिटेशन रखा गया है। यदि कोई खातेदार परिवर्तन न करना चाहेगा तो नहीं भी हो सकता है। एक आपत्ति ला सकते हैं कि यदि कोई हठ के कारण खातेदारों का विभाजन कर दे तो उसके लिये १५ रोज का समय दिया हुआ है कि वह अपील कर दे। इसमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई गंध नहीं आ सकती।

भ्रष्टाचार के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि क्या चीज है। अभी तो मैं विधेयक की ४, ५ धाराओं को आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत ही निर्दोष हैं। आप खंड १२ के ऊपर दृष्टि करें। इसी सदन ने जमींदारी विनाश कानून में धारा ३३२—क को स्वीकार करके जो क्वेश्चन आफ टाइटिल के बारे में निश्चय किया था कि सिविल कोर्ट नहीं भेजेंगे तो क्वेश्चन आफ टाइटिल नहीं माना जायगा, उसी का एक स्पष्टीकरण १२ में है। जहां केवल "आगम का प्रश्न" लिखा हुआ था वहां अधिवासी, सीरदार और असामी शब्द ले आये हैं। माननीय राजनारायण जी किसी भ्रमवश उसमें भूमिधर शब्द भी जोड़ देना चाहते हैं। केवल सीरदार, अधिवासी और असामी के प्रश्न पर कोई आगम का प्रश्न नहीं माना गया है, क्योंकि हम उसे स्वीकार कर चुके हैं, आगे हम तो चल भी नहीं सकते। वह तो एक स्पष्टीकरण मात्र है। इसके अन्दर भी कोई भ्रष्टाचार की गंध नहीं दिखाई पड़नी चाहिए।

अब धारा १४ पर मैं आता हूं। धारा १४—ई० ई० के लिए जो हाईकोर्ट ने निर्णय कर दिया यह उपार्जन है, यह दान नहीं है। सार्वजनिक कामों के लिए है एक बिस्वे आधे बिस्वे जमींन जो चकबन्दी अधिकारियों ने लेकर के गांव का चक तैयार कराया उसके अन्दर जो हाईकोर्ट ने कांस्टीटयूशन का आश्रय लेकर के उसे उपार्जन माना है उसको हमें दुरुस्त करना है, क्योंकि कई हजार कर्मचारी बेकार हो जायेंगे। उन्होंने चकबन्दी कर दी है। उन्होंने कब्जे का ट्रांसफरेंस कर दिया है और कब्जा जिन लोगों को मिला है उन्होंने अपने चकों को बना लिया है, उसके अन्दर खाद डाल दिया है और मई और जून का महीना चकबन्दी के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। इसी माह के अन्दर वह देख रहे हैं कि आया हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें अगर एक गांव में एक व्यक्ति ने जाकर के हाई कोर्ट के अन्दर प्रार्थना-पत्र संचालित कर दिया और एक ऐसा वातावरण उपस्थित कर दिया तो उसको तो ठीक करना ही है। यह एक ऐसी भ्रमात्मक चीज है कि जिसे दुरुस्त करके उसकी त्रुटियों को दूर करना होगा, क्योंकि इसी विधान सभा ने स्वीकार करके उस विधेयक को बनाया और उस विधेयक के आधार पर २६ जिलों में चकबन्दी हुई। उनमें अनेक ऐसे जिले हैं जहां कि ऊपर स्टेटमेंट आफ प्रोपोजल स्वीकार हो चुका है और कब्जे का रद्दोबदल भी हो चुका है। आज वह किसान बड़ी आपत्ति में पड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में वे हैं और इस मई, जून के महीने में उन्हें बहुत ही कष्ट का अनुभव हो रहा है। इसलिए इसको हमें ठीक करना ही होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधान सभा बहुत ही क्रान्तिकारी विधान सभा है। इसके बनाये हुए कानूनों की छाया रूप-रेखा दूसरे प्रदेशों में ली जाती है।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भाइयों को भी इसकी जानकारी होगी कि हमारी चकबन्दी की रूप-रेखा मध्य प्रदेश को गई है, रियासत नेपाल को गई है, और कई जगह गई है। खैर, मैं विषयान्तर नहीं करना चाहता। तो यह १४—ई० ई० इस वक्त जैसी है उसके ऊपर माननीय सदस्यों को विचार करना होगा। कई हजार किसान ऐसे हैं जिनका कि भाग्य आज अधर में लटक रहा है, आकाश में लटक रहा है। उनको तत्काल सहायता आपको

[श्री रामलखन मिश्र]

देनी होगी और जितना ही आप विलम्ब करेंगे, जितना ही उसको इस मई और जून के महीने में आप आगे ले जायंगे उतनी ही इसके अन्दर ऐसी-ऐसी त्रुटियां उत्पन्न होंगी, ऐसी-ऐसी कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न होंगी कि जिससे उन सभी किसानों को परेशानियां होंगी। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और इसको आपको स्वीकार कर लेना चाहिए।

उसके पश्चात् एक संशोधन धारा १९ में आता है। वह बहुत ही आवश्यक है। एक बार जब आप यह कर देते हैं कि आगम का प्रश्न फिर नहीं लेंगे तो फिर वहां कोई प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। धारा २० में, धारा ३० में, धारा ३६ में कहीं भी प्रश्न उपस्थित हो तो वह प्रश्न फिर विचाराधीन नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार इस सदन ने स्वीकार किया था कि एक बार ही आगम का प्रश्न लिया जाना चाहिए। पुराने लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में भी ऐसा ही था कि एक बार आगम का प्रश्न उपस्थित हो जाता था तो वह फिर दुबारा उपस्थित नहीं होता था। उसी के आधार पर एक ही बार आगम के प्रश्न को रखा था और एक बार यह प्रश्न उपस्थित नहीं किया गया तो बाद की धाराओं में बार-बार आगम के प्रश्न को नहीं लिया जायगा। इस कारण से वह संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा एक बात और है कि स्टेटमेंट आफ प्रोपोजल जब तैयार हो जाय धारा २२ व २३ (१) के अन्तर्गत उस समय में ही हमको स्थगन करना चाहिए और उस समय में हम कब्जा दिलाने के ऊपर बाध्य हो जायेंगे। उसमें से एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मध्यस्थ के पास चले जायंगे। उनको तो हम अस्थायी रूप से छोड़ कर बाकी को हम कब्जा दिला देंगे। यह बहुत ही दोषपूर्ण है। सारे गांव का एक आदमी अगर ऊपर चला जाता था, अपेलेट कोर्ट को या किसी और तरह से तो सारा गांव टकटकी लगाये देखा करता था। बहुत कष्टदायक यह बात हो जाती थी। इसलिये इस बात को संशोधन के अन्दर रक्खा गया है जैसे २७, ३० और कुछ ऊपर की धाराओं में। १४ ई० ई० मुआविजे से सम्बन्धित है। भूमिधर को चार गुना, सीरदार को दो गुना मिलेगा। किसी को मतभेद हो तो संशोधन के द्वारा तर्क उपस्थित करके उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किसानों को कष्ट में डाल कर विलम्बकारी नीति अपना कर कुछ शोभनीय प्रतीत नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि जानबूझ कर यह किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रयोग चकबन्दी का डुमरियागंज तहसील में हो रहा है। वहां ७ सी० ओ० हैं, ४० ए० सी० ओ० हैं जो काम कर रहे हैं। १,२०० आफिसर्स वहां लगे हुए हैं, और वहां चकबन्दी हो गयी है। स्टेटमेंट आफ प्रोपोजल स्वीकार हो चुके हैं। लेकिन कहीं-कहीं जहां सारे गांव के लोग एक मत हैं एक व्यक्ति ऐसा है जो १४ इ० के मातहत हाई कोर्ट में गया और रिट दाखिल कर दिया और सारे गांव से रुपया लेना चाहता है। वहां कठिनाई होगी। कचेहरियों के दरवाजे लोगों को खटखटाने पड़ेंगे। १४ ई० ई० का प्रश्न लेकर लोग रिट दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनको इस प्रश्न से बड़ी दिक्कत होगी, आपत्ति होगी। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से यह विनम्र निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लें। लेकिन जैसी परम्परा हमारे माल मन्त्री जी ने स्थापित की है सदन के सभी सदस्यों को बुला कर जहां कहीं भी चकबन्दी होती है वहां के बारे में बहुत शान्तिपूर्वक उनकी कठिनाइयों को सुनेंगे और उनका आश्रय लेकर उनको एक रूप में—पांडुलिपि में—तैयार करके उन कठिनाइयों को दूर करेंगे, यह परम्परा कुछ दोषपूर्ण सिद्ध होगी। इसके लिए मैं यह उदाहरण दे सकता हूं कि आप भोजन पर बैठें, दूध भी अच्छा हो, कहीं-कहीं स्वादिष्ट चटनी भी हो, लेकिन सबको एक में मिला कर खाया जाय तो वह एक बहुत ही कष्टदायक चीज होगी और कुछ रुचिकर भी नहीं होगी और उद्देश्य भी सिद्ध नहीं होगा।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार बहुत ही बड़ा व्यापक शब्द है। प्रत्येक जिले

में करप्शन आफिसर्स हो गये हैं। सभी जगह भ्रष्टाचार की आवाज सुनाई पड़ती है। भ्रष्टाचार हमारे भाषणों में है, हमारे भावों के प्रकाशन में है। भ्रष्टाचार सर्वत्र है। चकबन्दी में भ्रष्टाचार किस कदर है ? चकबन्दी में भ्रष्टाचार है, लेकिन उसी मात्रा में है जिस मात्रा में भूमि से सम्बन्धित और मामलों में होता है। भूमि के बटवारे के सम्बन्ध में जितने मामलात होते हैं, उनमें भ्रष्टाचार की आवाज सुनायी पड़ेगी। जो रेकार्ड आप्रेशन्स चले उनमें भी भ्रष्टाचार की बड़ी आवाज सुनाई पड़ती थी। भ्रष्टाचार की आवाज करने वाले वही सत्ताधारी व्यक्ति हो सकते हैं और किसी नगर, ग्राम या उप-नगर में कुछ व्यक्ति, सौ, दो सौ, चार सौ होते हैं, जो आवाज कस देते हैं। वही दुर्बल मस्तिष्क वाले भी कहते हैं। यह चार-पांच महीनों के अन्दर जो यह विशेष रूप से भ्रष्टाचार के बादल मंडराते हुए लोगों को दिखायी पड़ रहे हैं, यह उन्हीं सत्ताधारियों को दिखलायी पड़ते हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि वहां पर चकबन्दी को ले जाने का कारण मैं ही हुआ था। मैं अपने क्षेत्र से केवल इस कारण से आया हूं कि मैं वहां पर चकबन्दी को लाने का कारण हुआ हूं। मैं माननीय सदस्यों से क्षमा चाहता हूं, यह मेरे लिए कोई अवसर नहीं है इस बात को कहने का, लेकिन मैं पहला सदस्य हूं जो अपने यहां के ६५ सदस्यों की सहायता से एक डेपुटेशन माननीय पूज्य पन्त जी के सामने ले गया और मैंने कहा कि हमारे यहां चकबन्दी अवश्य लागू की जाय। पूज्य पन्त जी ने बताया कि कंजरवेटिव किसान चकबन्दी के बिलकुल विरुद्ध है, वह अपने खेत को नहीं छोड़ना चाहता। बहुत सी कठिनाइयां हमारे सामने आयीं, लेकिन फिर भी हमने चकबन्दी पर जोर दिया। एक सरकारी कमेटी बैठी, सारे हेड आफ दि डिपार्टमेंट से राय ली गयी। पंजाब से भी छाया लायी गयी और जो पहली सरकारी कमेटी बैठी, उसमें मुझे भी ४३० मेम्बरों में रखा गया और वहां पर वाद-विवाद करने का अवसर दिया गया। उसके पश्चात् मैं उसी मोह और माया में पड़ा रहा और उसके अन्तर्गत अपने जिले के अन्दर और अपनी तहसील के अन्दर चकबन्दी लायी गयी।

मैं साहसपूर्वक कह सकता हूं कि इस कानून के अन्दर एक रोशनी है जिस में किसान पुराने बन्धनों को तोड़कर एक नये वातावरण में प्रवेश करता है। पता नहीं पश्चिमी जिलों के माननीय सदस्य क्यों आंसू बहाते हैं, इसको तो माननीय माल-मन्त्री ही अधिक समझ सकते हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सुल्तानपुर, का हवाला देकर यह कहा जाता था कि चकबन्दी में कितना आकर्षण है। अब पता नहीं किस परिस्थिति के अन्तर्गत वहां के किसान असन्तुष्ट हो गये हैं। यह कांग्रेस सरकार की ही विशेषता है कि जिसने चकबन्दी जैसी क्रान्तिकारी योजना के लाने के बाद चुनाव कराया। पहले फेडरल और हाईकोर्ट में मुकद्दमा चलता है तो फेडरल और हाईकोर्ट का जज जो है वह स्थगित कर देगा किसी प्रश्न को तो हमारी जो ५ वर्ष की एक्सपीरियंस्ड जूडिशियरी है वह निर्णय करेगी, तो वह कितनी क्रान्तिकारी हो जाती है, चकबन्दी की योजना। यह किस तरह से किस स्थान पर चोट पहुंचाता है। धारा ४९ को बनाकर सारे सिविल कोर्टों के अधिकारों को जो छीन लिया है कि कोई दावा नहीं हो सकता चकबन्दी के निर्णयों के सम्बन्ध में, यह कैसी धधकती आग होगी कुछ व्यक्तियों के दिलों में और इसी कारण भ्रष्टाचार का नारा लगाया जाता है। हमारा चकबन्दी का अफसर जिस समय किसी ग्राम में जाकर इन्वैस्टिगेशन करता है और निर्णय देता है कि उन सत्ताधारियों के खिलाफ, जो कहते हैं कि चकबन्दी नहीं हो सकती तो वह कहां चोट करता है, इसको भी आप समझ सकते हैं।

इस सदन में इस चकबन्दी योजना के ऊपर काफी वाद-विवाद हुआ है। इसमें कई लोगों ने भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की आवाजें लगायी हैं। मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूं। जैसे हमारे यहां प्राचीन-काल में वर्णाश्रम था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। यह वर्णाश्रम बहुत सोच समझकर बनाया गया था और सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छा था। लेकिन बहुत से लोग शब्दों को चांडाल भी कहा करते थे। इसी तरह से हमारे एम० एल० एज० का भी

[श्री रामलखन मिश्र]

उसी वर्णाश्रम का सा ही हाल है। उनके एरिया में भी चकबन्दी होती है, उसमें उनके रिश्तेदार भी होते हैं, वह स्पर्श करते हैं, उनको भी स्पर्श होता है। अगर वहां का चकबन्दी का कर्मचारी ज्यादा मजबूत न हुआ तो वह बेचारा चूहे की तरह इधर उधर घूमता है। उस चकबन्दी-कर्मचारी की बदनामी करना तो एक बहुत ही साधारण सा काम हो गया है। चकबन्दी के अन्दर काम करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें बड़े साहस तथा धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। उसको लोगों के साथ हिमालय जैसी टक्कर लेनी पड़ती है। चकबन्दी एक ऐसी क्रान्तिकारी योजना है जिसके अन्दर काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ेगा और हमारे माल विभाग के ऊपर को पत्थर की छाती बनाकर आगे चलना पड़ेगा।

हमारे माननीय नेता इसी लखनऊ नगर में आये थे और उनका बड़ा ओजस्वी भाषण १९३९ के ऐक्ट के सम्बन्ध में चकबन्दी पर हुआ था। उसके बाद चकबन्दी का विधान बनाया गया। चक बनाये गये और कुछ अमलदरामद हुआ, लेकिन वह स्थगित हो गयी। इसके बाद १९२६ में और फिर १९३९ के ऐक्टों में इस चकबन्दी विधान को आगे बढ़ाया गया। लेकिन यह भी आगे न चल सका या यों कहिये कि चकबन्दी योजना बनी, लेकिन वह आगे न चल सकी और जहां की तहां पड़ी रह गयी। चकबन्दी योजना को लोग कल्पना शक्ति से देखना चाहते हैं। वह इस तरह से नहीं देख सकते हैं। जो इसको देखना चाहते हैं उन्हें डुमरियागंज तहसील में जाना चाहिए। यह तो मानी हुई बात है कि किसी गांव में सब सन्तुष्ट हो जायं तो सब सन्तुष्ट कदापि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति भी उपस्थित रहते हैं जो लोगों को बुद्धि के भ्रम में डाल देते हैं। मैं आप से चैलेंज करके कहता हूं कि यदि किसानों से पूछा जाय, जहां कि चकबन्दी योजना लागू हो गयी है कि लाओ तुम्हारे यहां से चकबन्दी योजना को वापस ले लिया जाय तो किसान कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे और वह कहेंगे कि साहब जो हो गया सो हो गया। मैं आप को कई गांवों के नाम भी बतला सकता हूं जैसे भटुगवा आदि।

कुछ गांवों के बारे में यह कह दिया था कि यहां पर चकबन्दी योजना लागू नहीं होगी यानी वहां पर चकबन्दी योजना शुरू नहीं की जायगी तो वहां के लोग इस समाचार को सुनकर तड़पने लगे और उनको बड़ी बेचैनी हो गयी। उन्होंने माल विभाग में प्रार्थना-पत्र दे दिये और एक डेपुटेशन उनका यहां आया। सारे गांव परेशान हो गये। चकबन्दी के अन्दर धारा ६ बनी हुई है। इस धारा ६ के अन्तर्गत नोटिफिकेशन होने के बाद, गांव वाले १०, २०, २५ की संख्या में प्रार्थना-पत्र दे दें कि यहां पर यह कठिनाई है तो चकबन्दी अधिकारी उस चीज का स्वागत करता है। चकबन्दी के अन्दर जो कठिनाइयां हैं उनको देखना चाहिए और मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में जो सुझाव गवर्नमेंट को दिये जाते हैं उनका गवर्नमेंट स्वागत करती है। इसके अन्दर लैण्ड इरोजन भी है। फार्म १८ लागू करके, उसकी चकबन्दी पूरी करके सारे गांव की चकबन्दी कर देता है और कोई चकबन्दी की कठिनाई वहां पर उपस्थित नहीं होती है।

अब रह गया कि किसी जिले के अन्तर्गत भ्रष्टाचार की मात्रा इतनी बढ़ी हो कि जिलाधीश वहां का मूर्छित हो गया है, ऐन्टी करप्शन अफसर वहां का सो गया है, परगने का इन्चार्ज बिलकुल तटस्थ अवस्था में है, वहां का सी० ओ० मूर्छित हो गया है और इन सब के बीच रुपया बांटने का एक ऐग्रीमेंट हो गया है, वहां के कार्य-कर्त्ता अपनी जबान भी नहीं खोल सकते, तब तो मैं मान सकता हूं कि ऐसा हो सकता है। मैंने अपने श्रद्धेय दीपंकरजी के भाषणों को पत्रों में पढ़ा और उस दिन उनके भाषण को यहां सुना भी। यद्यपि संशोधन विधेयक की एक धारा का भी जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन धारा १४ का एक शब्द वे ले आये और उसके बाद उन्हें सारा भ्रष्टाचार ही सामने दिखायी पड़ा। वे मेरठ के निवासी हैं और वहां ही हमारे बड़े विशाल व्यक्ति रहते हैं, मगर अभी तक उन्होंने इस भ्रष्टाचार के बारे में जिलाधीश से नहीं बताया, ऐन्टी-करप्शन

अफसर से नहीं कहा। क्या वहां के सब अधिकारियों के बीच रुपया बांटने का एक ऐग्रीमेंट हो गया है? उनको चाहिए कि बाहर जाने के पश्चात् अधिकारियों का नामकरण करें जिससे सेन्टर के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का उन्हें सामना करना पड़े। सेन्टर ने एक कानून बना दिया है कि जिस अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो यदि वह धारा ५०० का प्रयोग नहीं करता है तो डिसमिस कर दिया जाय वरना उस व्यक्ति के ऊपर वह धारा ५०० लगनी चाहिए। चकबन्दी का आदि प्रवर्तक होने के कारण मेरा विश्वास है कि इससे कोई पोलिटिकल कैपिटल नहीं बनाया जा सकता, कोई डेपुटेशन नहीं लाया जा सकता। कोई भी भूमि सम्बन्धी कानून आप बनायेंगे तो उसके अन्तर्गत एक आवाज होगी, क्योंकि उसके कारण हमारे सत्ताधारियों से सत्ता जाती है। जो बड़े-बड़े लोग रहते हैं उनकी भूमि को जब स्पर्श किया जाता है तो शेष नाग की तरह वे अपना फन फैलाते हैं।

आज मुझे एक पर्चा मिला है जिसमें इतनी अशिष्ट और झूठी बातें लिखी हुई हैं कि मैं क्या बताऊं। कोई भी चकबन्दी अधिकारी जब तक सर्वे नहीं कर लेगा वह आगे चल ही नहीं सकता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से इस पर्चे की एक दो बातें पढ़ना चाहता हूं। इसमें दस प्वाइन्ट्स हैं और इसमें गाली दी गयी है। महात्मा गांधी की गाली की परिभाषा यह है कि जो मनुष्य जैसा न हो उसको वैसा कहना ही गाली है। इसमें एक तो यह लिखा है कि चकबन्दी की विभिन्न मंजिलों का प्रकाशन खुले रूप में नहीं किया गया। प्रकाशन तो गजट में किया गया। वहां के कन्सालिडेशन अफसर ने, वहां के एम० एल० एज० ने उसका प्रचार किया। वहां पर डमरू भी बजाया गया।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, यह जो पढ़ते हुए चले जा र हैं इसका क्या सम्बन्ध विधेयक से है, जरा इन्हीं से इसको दरियाफ्त कर लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अब इसको न पढ़ें और अब विधेयक के सम्बन्ध में कहना शुरू करें।

श्री रामलखन मिश्र—मैं चाहता था कि जिनके दिल व दिमाग ठीक नहीं हैं उनके लिए स्पष्टीकरण कर दूं कि क्या-क्या अनर्गल बातें कही गयी हैं। फिर भी आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके अब मैं नहीं कहता।

अब मैं विधेयक की कुछ बातों को कहता हूं। धारा ६ के अन्दर काफी प्रोटेक्शन है कि जो गांव या जिस गांव के लोग चकबन्दी न कराना चाहते हों उनके लिए प्रबन्ध है। धारा ८, भाग ४ के अन्तर्गत कोई काश्तकार अपील या निगरानी कराना चाहता है तो उसे इसका अधिकार दिया गया है कि वहां वह सेटिलमेंट आफिसर के यहां प्रार्थना-पत्र देकर के धारा ४८ के अन्तर्गत निगरानी के लिए मूव कर सकता है। धारा ८ और धारा १२ ऐसी धाराएं हैं जिनके अन्तर्गत अगर कुछ किसानों को कुछ कठिनाइयां दीख पड़ती हैं तो वह प्रार्थना-पत्र दे सकता है। और अगर सारे गांव को ए० सी० ओ० निगल जाय तो यह तो उस क्षेत्र के सुधारक लोग ही समझें कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा सम्भव नहीं दिखायी पड़ता।

हमारे माननीय पालीवाल जी ने कल इस बात का वर्णन किया कि इसके लिए जूडिशियरी की मात्रा कम है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत जो राजकीय पत्रों के शुद्धीकरण का प्रश्न है उसको नायब तहसीलदार और असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास करता था। आज भी ए० सी० ओ० और सी० ओ० करता है। तो उसके अन्दर फिर किसी तरह से जुडिशियरी की मात्रा कम नहीं है। उसमें भी है कि असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास सीरदार, अधिवासी, और आसामी के प्रश्नों का निर्णय करे। धारा ३३२ के अन्तर्गत उसको यह अधिकार दिया गया है। यहां भी सेटिलमेंट आफिसर को पूरा अधिकार है कि इस ऐक्ट की धारा १२ के अन्तर्गत जो अपील की जाय वह सुनता है। फिर इसके अन्दर जूडीशियरी की मात्रा कहां कम है? यह मुझे कहीं दिखायी नहीं पड़ती है।

[श्री रामलखन मिश्र]

रह गया कुछ बड़े आगम के प्रश्न, वे आर्बिट्रेशन के पास भेजे जाते हैं जहां पर पूर्ण-न्याय की आशा है । वहां पर पूर्ण जुडीशियरी का चित्र उपस्थित हो जाता है । वहां पर भी किसी प्रकार का की व्यवस्था की कमी नहीं है ऐसा जान पड़ता है । मालूम होता है माननीय पालीवाल जी ने पूरी तरह से इस चकबन्दी विधेयक को पढ़ा नहीं है यद्यपि उन्होंने बड़ी ही पांडित्यपूर्ण भाषा में इस विधेयक को नारदीय नीति से स्वीकार किया कि माननीय माल मंत्री जी के मार्ग में कोई कठिनाई उपस्थित न हो इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में परिधि के विस्तार के साथ भेजने की बात न उठायी जाय । लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह चकबन्दी का प्रश्न बड़ा व्यापक प्रश्न है । हमारे मित्र जो बारबार कठिनाइयों की बातें करते हैं वह तो एक दूसरी बात है । माननीय माल मंत्री जी इस संशोधन के बाद पृथक रूप से काफी शान्त होकर हर एक माननीय सदस्य से इस चकबन्दी के बारे में बात करें और किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंच कर वह अगर वहां चकबन्दी किसी दूसरे विधान के अनुसार कराना चाहते हैं तो करवायें अथवा यदि कोई और व्यवस्था कराना चाहते हों तो करायें, वही ठीक है । जो इतनी सारी बातें कही जाती हैं उनकी ओर माननीय माल मंत्री जी को ध्यान अवश्य देना चाहिये । लेकिन इस संशोधन विधेयक के संबंध में जो इतनी सब बातें हो चुकी हैं और हाईकोर्ट ने जैसा निर्णय दिया है और चार माह से चकबन्दी अधिकारियों क सामने धारा १४ ई० के संबंध में जो संकट पड़ रहा है और जिसका संबंध हजारों किसानों के जीवन से है उसके लिये मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि यह सदन इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करके किसानों के संकट को शीघ्रातिशीघ्र दूर करें । इसी विधान सभा ने उस धारा १४ ई० को स्वीकार किया था । यदि हाईकोर्ट ने अपना निर्णय देकर हमारे काम में कोई कठिनाई डाली है तो उसको दूर करके और जितनी दिक्कतें हैं उनको भी हमें दूर करना चाहिये । लेकिन इस संशोधन विधेयक के मार्ग में हम जितनी कठिनाइंया प्रस्तुत करेंगे वह हमारे किसानों के हित में एक बहुत ही अहितकर बात होगी ।

अब मैं ऐसा मानता हूं कि चकबन्दी के ऊपर हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को अपना भाव प्रकाश करना है । उनके हृदयों में बहुत सी बातें हैं । यदि मैंने बहुत समय ले लिया तो यह सदन के साथ अन्याय होगा और इन शब्दों के साथ मैं बैठ जाता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---अधिष्ठाता महोदय, एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी जो पहला संशोधन पेश है उसी पर विवाद चल रहा है जिसमें परिधि बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है । इसके पहले अध्यक्ष महोदय ने यह रूलिंग दी थी कि यदि यह प्रस्ताव नहीं पास हुआ तो फिर उस में संशोधन प्रस्तुत करने का मौका होगा । उसी को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन में संशोधन दिया गया है । यदि पहला संशोधन स्वीकार करता है तो इस संशोधन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

श्री अधिष्ठाता---मैं यह चाहता था कि अगर वह संशोधन कैरी आउट हो जाता है तो यह संशोधन एराइज नहीं होता । लिहाजा आप यह संशोधन पहले रख दें ताकि उस पर निर्णय लिया जा सके । अगर उसी संशोधन पर गुफ्तगू होती रहे, तो आपके अमेंडमेंट पर बात करने का कोई मौका नहीं मिल सकेगा । इसलिये मैंने मौका दिया कि आप अपना अमेंडमेंट पेश कर दें या अगर आप चाहें तो उसको पेश ही न करें ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---यह तो आप बाद में भी ले सकते थे ।

श्री अधिष्ठाता---नहीं, नहीं ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । इस असेम्बली के रूल्स आफ़ प्रोसीजर के रूल ८२ की ओर मैं सभापति जी का ध्यान दिलाना

चाहता हूं। इसमें यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि संशोधन हमेशा मूल प्रस्ताव में होगा। मेरे पास अंग्रेजी की कापी है, जिसमें में से मैं पढ़ रहा हूं :—

"When a resolution is under discussion any member may, subject to the rules relating to resolutions, move an amendment to such resolution"

अमेंडमेंट हमेशा किसी रेजोल्यूशन पर होता है। अमेंडमेंट टू एन अमेंडमेंट, यह श्रीमन्, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा नियमित नहीं है। कोई मूल प्रस्ताव लाये, उस पर जो अमेंडमेंट चाहें, पेश किया जा सकता है, लेकिन एक चीज जो अभी स्वीकार भी नहीं हुई है, उस पर अमेंडमेंट लेना असंगत मालूम होता है। इसी सिलसिले में इसी आदरणीय सदन के एक भूतपूर्व अध्यक्ष की रूलिंग भी है। इसलिये मैं यह गुजारिश करूंगा कि जो संशोधन, जिस पर इस समय विवाद हो रहा है, उसमें, कोई संशोधन नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता—मैं यह समझता हूं कि अमेंडमेंट इस तरीके से हो सकता है औ यों हो सकता है कि अगर एक सदस्य मूल बिल के ऊपर कोई तरमीम पेश करे और उस तरमीम को जायज दूसरा सदस्य मानता हो और एक उसको जायज नहीं मानता हो तो इसके मायने यह हैं कि दो तरमीम हमारे सामने मौजूद हैं और इन दोनों तरमीमों के ऊपर चर्चा हो सकती है। इसलिए मैं चन्द्रजीत जी से कहूंगा कि वे अपने अमेंडमेंट को पेश करें।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन जो है वह इस मूल संशोधन में प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है : "प्रवर समिति को यह भी अधिकार प्रदान किया जाय कि वह आवश्यकतानुसार परिधि को भी बढ़ा सकें" निकाल दिये जांय। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था मुझे इस संशोधन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि इसी प्रकार का एक संशोधन कल सदन में प्रस्तुत किया गया था और अधिष्ठाता महोदय ने उस संशोधन को अस्वीकार करते हुए इस मूल संशोधन पर विवाद की इजाजत दी थी। उस समय इधर से यह आपत्ति की गयी थी कि अगर वह पूर्ण ही अस्वीकार कर दिया जायेगा तो फिर कोई संशोधन सदन के सामने नहीं रह जायेगा और प्रवर समिति में जाने का प्रश्न भी समाप्त हो जायेगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है।

अब मैं माननीय माल मंत्री जी से जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है उस के विषय में कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरे पहले जो माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे उन्होंने जिस प्रकार से दिल खोल कर चकबन्दी कानून की भूरि-भूरि प्रशंसा की है यदि हम लोग भी ऐसे क्षेत्र से न आये होते जहां पर चकबन्दी इस समय चल रही है तो इसकी जानकारी हम लोगों को न होती तो हमारे मुंह में पानी भर आता और हम भी चकबन्दी अपने यहां लागू कराना चाहते कि ऐसा लगता है। माननीय सदस्य को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है या उन्होंने अपना कर्तव्य समझा कि चूंकि वह सरकारी बेंच की तरफ से खड़े हुए हैं इसलिये ऐसे जेड तक उसकी प्रशंसा करें चाहे वह कितनी ही गलत क्यों न हो।

माननीय माल मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक को पेश करते हुए स्पष्ट कहा था कि दो कारण हैं जिनके ऊपर यह संशोधन बिल सदन के सामने लाया गया है।

पहला कारण उच्च न्यायालय का निर्णय है और दूसरा कारण उन्होंने बतलाया कि पिछले दिनों में जो अनुभव चकबन्दी अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं और जो कठिनाइयां प्राविधिक या प्रोसिजिरल उनको हुई हैं उनको दूर करने के लिये यह संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है। मेरा निश्चित मत है कि दूसरी बात पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया है। यदि वास्तविकता को सामने रखा जाता तो इस कानून में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता थी।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

चकबन्दी के सिद्धांतों को हम अच्छी बात मानते हैं क्योंकि यदि किसानों की बिखरी हुई भूमि इकट्ठा हो तो बुआई, जोताई और सिंचाई करने में उनको सहूलियत हासिल होती है; लेकिन यह चकबन्दी कानून जिस प्रकार से लागू किया जा रहा है और जिस प्रकार से धान्धली और भ्रष्टाचार चकबन्दी के अन्दर फैला हुआ है, मैं तो बड़े अदब के साथ कहूंगा कि, चकबन्दी के भ्रष्टाचार ने पुलिस के भ्रष्टाचार को भी मात कर दिया है। इस के कारण आज जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं तो माननीय माल मंत्री से अपील करूंगा कि वह माल मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक साधारण नागरिक की हैसियत से उन क्षेत्रों में जांय, वहां के गरीब किसानों के बीच में जायं और उनकी भावनाओं को देखें तो उनको पता चलेगा कि इस योजना से किसान खुश है या नहीं, आज चकबन्दी व्यवस्था में जो धांधली फैली हुई है उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पंचायत कानून से हर गांव में दो पार्टियां सरकार ने करा दीं वैसे ही चकबन्दी से सरकार ने हर गांव में दो पार्टिया करा दी है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सरकारी अफसरों को प्रभावित करके अपने पक्ष में कर लेते हैं और दूसरी ओर ऐसे गरीब बेबस किसान हैं जिनके दिन दहाड़े खेत लूटे जा रहे हैं। किसान आता है और पूछता है चकबन्दी अफसर से कि उसका चक कहां है, मगर उसे कुछ नहीं बताया जाता है। कहा जाता है कि सूचना प्रकाशित की जाती है, नोटिस निकाले जाते हैं। लेकिन ये नोटिस और सूचनायें सारी, सरकार के कागजों पर ही रह जाते हैं। सही मानों में जब तक नोटिस हर आदमी पर व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हो जाता है उसे नोटिस नहीं मानना चाहिये। किसानों की आपत्ति करने का समय निकल जाता है और वे हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। किसी क्षेत्र में नये सिरे से सर्वे कराके, सैटिलमेंट कराके, चकबन्दी की व्यवस्था लागू करनी चाहिये थी। परन्तु ऐसा नहीं है। सरकार ने ए० सी० ओ० और सी० ओ० को अपरिमित अधिकार दे रखे हैं कि वे आन दी स्पाट इनक्वायरी करके जो मन चाहे वही कर डालते हैं। किसी का सैकड़ों वर्ष से इन्दराज चला आता है लेकिन उन्होंने लिख दिया कि मौके की जांच की और पता चला कि फलां आदमी का कब्जा है; चलिये, आपका सैकड़ों वर्ष का इन्दराज और कागजात गायब। जैसा हमारे एक माननीय सदस्य ने पहले बतलाया कि यह क्या कहा गया है कि चकबन्दी अफ़सर कुछ लोगों से गांव में गठबन्धन और अपनत्व स्थापित कर लेते हैं। ए० सी० ओ० की और सी० ओ० की जो आराधना करते हैं या जो लोग उनकी हां में हां मिलाया करते हैं, वे उनके यहां जाते हैं और वहीं बैठे हुये सारे गांव की सर्वे कर लिया और जिस खेत पर जिसका चाहा इन्दराज दर्ज कर लिया। ये सब बातें आपको वहां जाने पर मालूम हो जावेंगी।

सरकार को चाहिये था कि वह इस कार्य के लिये प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों को यह अधिकार देती कि वे मौके पर जाकर जांच करते। वहां प्रजातान्त्रिक ढंग से एक चकबन्दी समिति बनती और उसकी राय से यह काम किया जाता। एक माननीय सदस्य ने कहा कि चकबन्दी समिति, जो धारा ३ में है, वह कोई महत्व नहीं रखती है और उसमें वादविवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ चकबन्दी समिति में वर्तमान संशोधन से, उनकी संख्या सीमिति कर दी गई है कि वह ५ से अधिक न हो, पहले था कि वे ५ से कम न होंगे। धारा ४३ (१) (क) में चकबन्दी अफ़सरान को अधिकार है कि वह कुछ सदस्यों को नामांकित भी कर सकते हैं। तो यह बात खुली हुई है कि कैसे नाम निर्देशन किया जाता है। एक से चार सदस्य वे नामांकित कर सकते हैं। जो सरकार के पिट्ठू होगें या अधिकारियों की गलत काम करने में सहायता करते हैं वही नामजद किये जावेगें। कैसे उस समिति का निर्माण होगा, उसी पर विचार करिये। गांव सभाओं के चुनाव सरकार ने हाथ उठवा कर कराये। उनमें यह बात स्पष्ट है, पूरा सदन जानता है कि गरीब किसान, खासतौर से हरजिन, लोगों ने डर के मारे चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे बहुत से गांव है जहां हरिजनों की बहुत संख्या थी लेकिन भूतपूर्व जमीदारों के या प्रभावशाली लोगों के डर से वे खड़े नहीं हुए। वे प्रभावशाली लोग जानते थे कि समिति जो बनने वाली है चकबन्दी के समय उसको काफी अधिकार प्राप्त होंगे, इस लिये उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और उनको डराया,

धमकाया जिसकी वजह से जितने किसान थे, खासतौर से गरीब हरीजन, उस समिति के चुनाव में भाग नहीं ले सके जिसको सरकार ने जनता द्वारा चुनी हुई "चकबन्दी समिति" की संज्ञा दी है। आपने समिति को अधिकार दिया है कि वह वहां की जनता की राय से काम करे। सरकार को चाहिये था कि जिस क्षेत्र में यह चकबन्दी व्यवस्था लागू होने जा रही है वहां इमानदारी के साथ इसी मन्तव्य के लिये समिति का निर्वाचन होता।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—आन ए प्वायंट आफ आर्डर। अधिष्ठाता महोदय, माननीय मित्र जब शुरू में तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने एक बार पहले भी इस लफ्ज का इस्तेमाल किया था "अगर ईमानदारी की बात थी तो सरकार पहले वहां सर्वे कराती" और फिर उन्होंने यह बात कही कि "अगर ईमानदारी की बात है तो इस तरह का इलेक्शन कराना चाहिये।" मतलब यह है कि जो बात गवर्नमेंट करती है अगर वह उनके मन की बात नहीं है तो वह ईमानदारी की बात नहीं है। मैं अर्ज करता हूं कि ऐसा कहना अनपार्लियामेंटरी है, ऐसपर्शन है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें कि वे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल न करें।

श्री चन्द्रजीत यादव—अगर मैंने किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया तो मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं सरकार के ऊपर कोई बेईमानी का आक्षेप लगा रहा हूं।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार की समितियां जो बनायी गयी हैं वे प्रजातान्त्रिक ढंग की नहीं हैं। उन समितियों में प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। वे समितियां उनके प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं हैं जिस से उनके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती। चकबन्दी ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसानों की जिन्दगी का सवाल इसके साथ नत्थी है। आज उसकी भूमि के निकाले जाने अथवा, एक गलत जगह पर चक बन जाने का प्रश्न है। जब यह संशोधन प्रस्तुत किया गया तो ऐसी व्यवस्था होती कि जिन क्षेत्रों के अन्दर चकबन्दी होगी वहां इसी मन्तव्य के लिये ऐसी समिति का निर्माण करा लिया जायगा जो निर्वाचन के द्वारा होगा और वह निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा। अफसरों को नाम निर्देशन करने का अधिकार और हाथ उठा कर वोट लेने की व्यवस्था का अधिकार समाप्त कर दिया जाता।

दूसरी बात यह है कि जो टाइटिल का प्रश्न है उसके ऊपर भी संशोधन प्रस्तुत किया गया है। खंड १८ में है—"यदि इस नियम के अधीन किसी कार्यवाही में आगम का यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति किसी भूमि का सीरदार, अधिवासी अथवा असामी है, अथवा किसी विशेष दिनांक पर था तो इसे आगम का प्रश्न नहीं समझा जायगा।" इसका स्पष्ट अर्थ है कि सीरदार, अधिवासी और असामी जो हैं उनका निर्णय ए० सी० ओज० और सी० ओज० देंगे। हमारे प्रदेश की जो जनता है उसमें बहुमत ऐसे लोगों का है जो सीरदार हैं, जो अधिवासी हैं, जो असामी हैं और उनका निबटारा ये ए० सी० ओज० और सी० ओज० करेंगे, जिन पर जनता का विश्वास नहीं है।

हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इस संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ी। अधिष्ठाता महोदय, इस उच्च न्यायालय के निर्णय के पहले ही सरकार मूल अधिनियम के अन्दर कोई संशोधन लाती और इस प्रकार की कोई जमीन ली जाती तो वह वहां के किसानों की रजामन्दी से ली जाती और नहीं तो उसका उचित प्रतिकर दिया जाता। लेकिन जब हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया तो सरकार उसको मानने के लिये बाध्य हुई, जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में बतलाया गया है। "इस अधिनियम में इस भूमि के बदले में खातेदारों को प्रतिकर दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी क्योंकि सरकार की समझ में इस तरह भूमि का दिया जाना एक प्रकार का दान है।" जब यह दान होता तब तो इसके लिये इस बात की

[श्री चन्द्रजीत यादव]

जरूरत ही नहीं होती कि हाईकोर्ट में हजारों रुपये खर्च करके किसान रिट दाखिल करता। यह तो सरकार ने उनकी इच्छा के विरुद्ध काम किया है।

श्री चरणसिंह—प्वाइंट आफ आर्डर, आपकी इत्तला के लिये मैं बताना चाहता हूं कि वह रिट इस सम्बन्ध में नहीं है। हाईकोर्ट ने खुद जो फैसला किया है उसके १५ प्वाइंट्स में यह प्वाइंट नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—यह तो हाईकोर्ट ने अपना एक मत व्यक्त किया, लेकिन साधारण तौर से किसानों में यह असन्तोष था और इस प्रकार जो उनकी जमीन ली जा रही थी वह उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य था। वह उचित नहीं था। अब जो प्रतिकर देने की व्यवस्था की गई है उसमें २ प्रतिशत और ४ प्रतिशत देने की बात है। मेरी तो इच्छा थी कि अगर किसानों के हित में सरकार कोई कानून पास करना चाहती है तो वह इस तरह का कानून लाती और संशोधन करती कि अगर भूमि ऐसे किसानों से ली जाती है जिनके पास ६ एकड़ या ९ एकड़ से भूमि कम रहती है तो उनको या तो उसके बदले में दूसरी भूमि दी जाय या उनको उसके एवज में पुनर्वासन अनुदान दिया जाय। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैं बतला रहा था कि इस चकबन्दी की जो भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है उसके बारे में मैं बताऊं कि सन् ३९ में एक चकबन्दी कानून पास हुआ था। उस वक्त उस कानून के अनुसार काम किया गया लेकिन उस समय चकबन्दी असफल रही। उसके बाद यह जानने के लिये कि वह चकबन्दी योजना क्यों असफल रही, एक समिति का निर्माण किया गया था। उस वक्त समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें साफ तौर से कहा गया था कि चूंकि किसानों के सहयोग से वह व्यवस्था लागू नहीं की गई इसलिए वह असफल रही। परन्तु दुःख है कि इस बार भी सरकार ने किसानों का सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया।

हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने पहले भी कहा था कि अब भी बहुत से सदस्यों का विचार है कि चकबन्दी उसी जगह होनी चाहिये कि जिन गांवों के ७५ प्रतिशत लोगों का मत उसके पक्ष में हो, केवल उसी चकबन्दी से लाभ हो सकता है। अगर आप आज गांवों में जायं तो आपको २५ प्रतिशत भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि जो चकबन्दी के पक्ष में हों। यदि वर्तमान चकबन्दी व्यवस्था अच्छी चीज है जिसकी सरकार भूरि, भूरि प्रशंसा करती है, यदि वह किसानों के हित की व्यवस्था है, तो क्या कारण है कि आज २ साल के अन्दर जहां-जहां चकबन्दी हुई है वहां हाहाकार मचा हुआ है? कैराना के सैकड़ों किसान पचासों रुपया खर्च करके आये हुए हैं, मंत्री जी उनकी बातें सुनें और उनके दुःख-दर्द को समझें तब उनको पता चलेगा कि मौजूदा चकबन्दी व्यवस्था में किस तरह से गरीब किसानों को लूटा जा रहा है। जहां पर चकबन्दी हो रही है वहां उसके ३ स्टेजेज हैं कि जहां गरीब किसान लुटता है। पहला तो वह स्टेज है कि जब स्टेटमेंट प्रकाशित होते हैं, उसका उन्हें ठीक से नोटिस नहीं मिलता और ऐसी दशा में वे बहुत परेशान होते हैं। दूसरे, जब समिति बनती है कानून के मुताबिक, गुप्त मतदान कराया गया, उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया और इस तरह से अक्सर उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया; और तीसरे समझौता कराने जब अफसर जाते हैं तो उनके ऊपर तरह-तरह के दबाव डाले जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि अगर एक बीघा खेत है तो दस बिस्वा रख कर दस बिस्वा छोड़ दो, और इस तरह से किसान परेशान होता है। उसके पास मुकदमा करने के लिये पैसा नहीं है। पुलिस और दूसरे प्रभावशाली लोग उनके ऊपर तरह-तरह के दबाव डालते हैं, वह मजबूर हो जाते हैं और अपने हित को सरेंडर करके समझौता कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार गरीब किसानों और हरिजनों का विशेष ध्यान रखे। सरकार को प्रभावशाली लोगों के दबाव से उनको बचाना चाहिये।

घूसखोरी का भी, जहां पर चकबन्दी हुई है, बहुत जोर है, कुछ क्षेत्रों में मैंने देखा है। आजमगढ़ के जिस क्षेत्र में चकबन्दी हो रही है, वहां पर होता यह है कि जब किसानों के यहां लगन का दिन आता है तो ए० सी० ओ० और सी० ओ० किसानों के घर पर निमंत्रण-पत्र भिजवा देते हैं। लोग परेशान होते हैं, लोग समझते हैं कि अगर कहीं अफ़सरान नाराज हुए तो हमारा सारा खेत साफ हुआ। मजबूर होकर लोग चकबन्दी अफसरान के शादी विवाह का निमंत्रण-पत्र स्वीकार करते हैं और दैजा-दहेज करते हैं। यह हालत है। इसलिए सरकार को चाहिये कि जो मौजूदा हालत है उसमें निष्पक्ष जांच कराने के लिए इस समय चकबन्दी को स्थगित कर दे, पूरे प्रदेश के अन्दर चकबन्दी स्थगित की जाय और एक ऐसी समिति का निर्माण किया जाय जो सर्वदलीय समिति हो। उसमें विरोधी दल के लोग भी हों और सरकारी पक्ष के भी लोग हों। साथ ही स्वतन्त्र किस्म के लोग, इस कानून के बारे में जिनको जानकारी हो और अनुभव हो, उनको भी रखा जाय। निष्पक्ष जांच कराने के बाद कि, इससे किसानों का कैसे अधिक हित हो सकता है, कैसे इसे लागू किया जाय, तब इसके बाद, चकबन्दी शुरू की जाय।

तीसरी बात जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब तक गांव के ७५ प्रतिशत किसान, वहां के निवासी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि वहां चकबन्दी करायी जाय, तब तक उस गांव में चकबन्दी न करायी जाय।

इन शब्दों के साथ मैं यही आशा करता हूं कि माल मंत्री महोदय इसे मर्यादा का प्रश्न नहीं बनायेंगे। इस बात से कि, किसानों का हित हो, इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के अन्दर भेजें। प्रवर समिति को अधिकार दिया जाय कि वह, शुरू से आखिर तक इस पर विचार करे। इसके अलावा अगर वह समझते हैं, जैसा कि सदन की सम्मति उनके सामने जा चुकी है कि, मूल परिवर्तन की आवश्यकता इस ऐक्ट में है, वह भी संशोधन उन्हें ले आना चाहिये।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मूल विधेयक का अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे खेद है कि मैं अपने उन भाइयों के विचारों से सहमत नहीं हो पाया जो इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के पक्ष में हैं। जिन माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति के भेजने के पक्ष में जो युक्तियां दी हैं, उनको पूरा सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वैधानिक दृष्टि से उन्होंने कोई ऐसी बात अपने भाषणों में नहीं कही, केवल माननीय पालीवाल जी को छोड़ कर, जिससे यह आवश्यक समझा जाय कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना आवश्यक ही है।

माननीय भगवती सिंह ने, जिन्होंने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, अपने प्रस्ताव के पक्ष में उन्होंने सात बातें कहीं। नम्बर १—किसानों का असन्तोष। उन्होंने कहा कि यह असंतोष मौके पर जा कर देखना चाहिए। नम्बर २—भ्रष्टाचार के जरिये किसानों पर अत्याचार। नम्बर ३—भूमि का बटवारा। नम्बर ४—यह चकबन्दी जमींदारी उन्मूलन के साथ-साथ होनी चाहिए थी। पांचवीं बात उन्होंने यह कही है कि जब तक किसी ग्राम के तीन चौथाई किसान चकबन्दी कराने के पक्ष में न हों उस वक्त तक चकबन्दी नहीं होनी चाहिए, और छठी बात उन्होंने कही है कि मुआविजे में कमी होनी चाहिए। सातवीं बात उन्होंने एक रोगी का उदाहरण लेकर कही कि यदि रोगी यह नहीं चाहता कि उसके रोग का निदान हो तो रोग का इलाज नहीं होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त आचार्य दीपंकर जी ने भी, जो संशोधन के प्रस्ताव के पक्ष में बोले इसी से मिलती, जुलती बातें और करीब-करीब वही बातें जो उन्होंने गवर्नर महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव के विरोध में कही थीं, दोहरायीं।

इसके अतिरिक्त आज ही मेरे मित्र माननीय चन्द्रजीत यादव ने भी एक संशोधन रखा कि यह प्रवर समिति को भेज दिया जाय और यदि आवश्यकता न हो तो इसकी परिधि को न चढ़ाया जाय। और अन्त में उन्होंने अपने भाषण का नतीजा यह निकाला कि चकबन्दी

[श्री महीलाल]

को इस वक्त स्थगित कर दिया जाय और सदन की एक कमेटी बैठायी जाय जिसमें विरोधी दल के भी सदस्य हों। जब वह अपनी रिपोर्ट दे दे तब चकबन्दी का काम आरम्भ किया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे मित्र चन्द्रजीत यादव जी ने माननीय रामलखन जी के बारे में भी, जिन्होंने कि चकबन्दी योजना की वास्तविकता तथा व्यावहारिकता में जो कठिनाइयां सामने आई थीं, प्रकाश डाला था, उनके बारे में चन्द्रजीत यादव जी ने यह कहा कि शायद मिश्र जी को वास्तविकता का अनुभव नहीं है। मैं उनको आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जिसमें चकबन्दी हो रही है और मैं उन्हें यह भी जानकारी करा दूं कि मैं भी किसान परिवार का हूं और उन्हें जानकर यह भी खुशी होगी, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से हरिजनों का नाम लिया, मैं भी हरिजनों की सुरक्षित सीट पर ही आया हूं। इस के बाद जो मैंने अपना परिचय दिया उससे वह यह समझ गये होंगे कि मैं तो जो बात कहूंगा वह हरिजनों या किसानों के अहित की तो हो ही नहीं सकती।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा मैंने कहा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अप्रैल, १९५५ से चकबन्दी का काम आरम्भ हुआ है और मैंने उसी समय से लगातार यह कोशिश की कि मैं चकबन्दी के काम में अपना ज्यादा से ज्यादा समय व सहयोग दूं और मैंने अपना समय उसमें लगाया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में करीब ४३५ गांव हैं जिनमें से ३१६ गांवों में ३१मार्च तक चकबन्दी समाप्त हो गयी है और किसानों ने अपने चकों पर कब्जा ले लिया है।

श्री अधिष्ठाता— आप अभी और बोलेंगे ?

श्री महीलाल—जी हां।

अधिष्ठाता मंडल के शेष दो सदस्यों के नामांकन की सूचना

श्री अधिष्ठाता—मुझे एक सूचना देनी है। अधिष्ठाता मंडल के लिये जो मेम्बर्स नामजद हुए थे वे दस होने चाहिये थे। उनमें से आठ नामजद हो चुके हैं और दो बाकी थे, वे दो अध्यक्ष महोदय ने नामजद कर दिये हैं। एक तो श्री परमेश्वरी दीन और दूसरे श्री गयाबख्श सिंह। ये दोनों नामजद हो गये।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता श्री द्वारका प्रसाद मित्तल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

श्री महीलाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो विचार प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के सिलसिले में आये, उन विचारों से मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, इसलिए मैं इस राय का हूं कि इस मूल विधेयक पर ही विचार होना चाहिये और जो संशोधन माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं वह उनको वापस ले लेने चाहिये। उन्होंने स्वयं अपने व्याख्यानों में कहा है कि वह किसानों का हित चाहते हैं, गरीबों का हित चाहते हैं और मैं भी उनकी इस भावना में कोई संदेह नहीं रखता। मुझे तो यह विश्वास है, चाहे उन्हें यह विश्वास हो या न हो, कि शासक दल के साथ बैठने वाले सदस्य भी गरीबों के हमदर्द हो सकते हैं, और किसानों की भलाई भी चाह सकते हैं। परन्तु मैं उनके इन विचारों और उनकी भावनाओं में विश्वास करता हूं कि वह किसानों और गरीबों के हमदर्द हैं। जिन माननीय सदस्यों ने हरिजनों का नाम लिया, मैं उन पर भी यह विश्वास करता हूं कि, उनके हृदय में हरिजनों के प्रति प्रेम है। परन्तु देखना यह है कि, उनके इस प्रेम और उनकी जो यह सुन्दर भावना है वह

निर्धन और छोटे किसानों के प्रति, कार्य रूप में कहां तक परिणत हो पायेगी, यदि हम इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करें।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा मैंने यह कोशिश की कि मैं अपने उन माननीय सदस्यों के मत से सहमत हो जाऊं, जिन्होंने यह कहा कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द होना चाहिये और इसलिये कोशिश की। मैं भी चाहता था कि व्यावहारिकता में जो कठिनाइयां सामने आयी हैं, या भविष्य में जो आयेंगी, यदि प्रवर समिति में इस विधेयक के जाने से वह कठिनाइयां दूर हो जायं और हम कुछ ज्यादा अपने उन छोटे किसानों की, अपने उन निर्धन और कमजोर और अलाभकर जोत वाले किसानों की भलाई कर सकें इस संशोधन विधेयक के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा हो। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि कोई ऐसी बात भी आये जो मूल विधेयक पर सदन में विचार करके तो पूरी न हो सके और प्रवर समिति के सामने जाने से वह बात पूरी हो जाय। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने कल से लगातार अपने उन तमाम साथियों के व्याख्यानों को सुना, जो इस पक्ष के हैं कि यह विधेयक प्रवर समिति को जाना चाहिये। मुझे एक बात भी ऐसी समझ में नहीं आ पायी जिससे मैं उनकी राय का बनता या मैं इसी राय का हो सकता कि उनके साथ अपने विचारों को मिलाऊं और अपनी यह राय दूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय। दलील, जैसा मैंने शुरू में कहा, यह दी गयी,माननीय भगवतीशरण सिंह तथा माननीय दीपंकर जी और दूसरे माननीय सदस्यों की तरफ से भी, पर केवल माननीय पालीवाल जी के सुझावों को छोड़ कर कुछ उनकी तरफ से सुझाव आये जिन पर विचार होना ही चाहिये। बड़े जोर के साथ और बड़ी तेज आवाज से यह कहा गया कि किसानों में बड़ा असन्तोष है। बड़ा उन पर अत्याचार हो रहा है। हो सकता है और मैं भी मानता हूं कि कुछ किसानों में असन्तोष है, लेकिन क्या कोई मंत्र ऐसा है, कोई कार्यप्रणाली, कोई कार्यशैली ऐसी है कि किसी गांव के सब किसानों को खुश किया जा सके? कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी जोत पर चकबन्दी का प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर मेरे यहां ऐसे बहुत से गांवों में बहुत से किसान थे जिनके बड़े-बड़े फार्म थे, जिनके चक बने हुए थे, इसलिये चकबन्दी होने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनको कोई लाभ भी इस समय नहीं हुआ। हां, कुछ हानि अवश्य हुई, और वह यह हुई कि सार्वजनिक उपयोग के लिये जो जमीन ली गई, वह उनकी जोतों में से भी कम हुई। इसलिये उन्होंने शिकायत की कि चकबन्दी से हमें क्या लाभ हुआ? हमारी जोतों से उल्टी जमीन निकल गई। तो किस तरह से ऐसे लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है?

मुझे क्षमा करेंगे माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कहने के लिये कि दुर्भाग्य की बात यह हुई कि चकबन्दी माननीय चरण सिंह जी ऐसे समय पर लाये जब कि जनरल इलेक्शन के केवल दो वर्ष रह गये थे। यह मैं जनरल बात कह रहा हूं। किसी के उपर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। यह चकबन्दी एक नई चीज है जैसे कि किसानों के लिये सिंचाई के लिये ट्यूबवेल लगाया जाना भी एक नई चीज थी। मुझे याद है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को भी याद होगा कि जब शुरू-शुरू में सरकार की ओर से नलकूप लगवाये गये तो हमारे भोले भाले किसान घबरा उठे कि न मालूम क्या होने वाला है।

यह बात जरूर है और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है जो किसानों के बीच में रहता है या जो किसानों की भावनाओं को जानता है या स्वयं उन किसानों के परिवारों में से है कि उनमें शिक्षा का अभाव है। इसलिये हमारे बुजुर्ग किसान जिनमें शिक्षा का अभाव है, सोचने लगे कि सरकार इसलिये इनको लगवा रही है कि यह जमीन सरकार की हो जायगी। उन्होंने कहा कि हम नहीं लगवायेंगे। लोगों ने उल्टे रुपये दिये जिससे उनके खेतों में ट्यूबवेल न लगे।

[श्री महीलाल]

हमारे भोले भाले किसानों की इस भावना का, हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने चकबन्दी के मौके पर फायदा उठाया। जैसा कि मुझे स्वयं अपना अनुभव है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दोस्तों ने चकबन्दी को पार्टी का एक आधार बनाया और किसानों के बीच में यह भ्रम फैलाया कि चकबन्दी के बाद सरकार जमीन पर कब्जा करेगी और उसका नतीजा यह हुआ कि मैं खुद महीनों अपने यहां के बन्दोबस्त अधिकारी के साथ किसानों के बीच में चकबन्दी कमेटी बनाने के सिलसिले में मारा-मारा फिरा, लेकिन किसान तैयार नहीं होते थे। अप्रैल, मई और जून तीन महीने की लगातार कोशिशों के बाद हम अपने यहां चकबन्दी कमेटी को बना पाये। किसानों ने कहा था कि इसलिये यह कमेटी बन रही है कि हमारी जमीनें छीनी जायंगी क्योंकि प्रचार किया गया था कि चकबन्दी के बाद जमीनें छीनी जायंगी, सरकार जमीनों पर कब्जा कर लेगी। मुझे आश्चर्य है कि इतने विरोधी प्रचार होने के बावजूद भी किसानों ने सहयोग देकर इस काम में अपना हाथ बटाया है और इससे फायदा उठाया है।

अब जैसा मैंने कहा कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ४३५ गांव हैं। ३१ मार्च तक ३०० से ऊपर गांवों में चकबन्दी समाप्त हो गई है। श्री रामचन्द्र विकल मेरे दोस्त जो बुलन्दशहर के हैं उन्होंने मुझे बतलाया कि उनके यहां १२ गांव ऐसे हैं जहां किसानों ने स्वयं चकबन्दी कर ली है। मेरे यहां भी अनेक गांव ऐसे हैं जहां खुद लोगों ने चक बना कर अपने-अपने नये चकों पर कब्जा कर लिया और सरकारी कर्मचारियों को केवल कागजों पर ही दर्ज करने का काम करना पड़ा। उन्होंने मुझे बताया कि बुलन्दशहर में ४०० गांवों में से १०० गांव ऐसे हैं जहां के किसानों ने नये चक बनाये हैं। ऐसा ही मेरे यहां हो रहा है। किसान चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चक बनें और उनको उन पर कब्जा मिले और वह अपनी नई फसल नये चक में बोयें। मैं यह नहीं मानता कि चकबन्दी योजना पूर्णतया असफल रही है। और जब कि उसको असफल बनाने की पूरी-पूरी कोशिशें की गई हैं, एलेक्शन ज्यों-ज्यों करीब आये त्यों-त्यों उन क्षेत्रों में आम तौर से जिनमें चकबन्दी हो रही थी और उन क्षेत्रों में भी जिनमें चकबन्दी नहीं हो रही थी, यह बुलन्द नारा लगाया गया कि अगर हमें वोट दिये तो हम चकबन्दी को वापस करा देंगे, तुम्हारी जमीन को जब्त होने से बचा देंगे। जहां इस तरह का मिथ्या प्रचार हो और फिर भी यह आशा की जाय कि इस मिथ्या प्रचार का लोगों के मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं होगा, यह कैसे मुमकिन था, अवश्य उसका प्रभाव होना था।

हां, मैं एक बात से इन्कार नहीं करता कि कहीं-कहीं छोटे-छोटे किसानों पर कुछ ज्यादतियां हुईं। इस बात से मुझे इंकार नहीं कि छोटे किसानों को उतना फायदा नहीं मिल पाया जितना पहुंचना चाहिये था। इसका कारण वही प्रचार रहा जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि चकबन्दी योजना नाकामयाब है, उसके प्रति बड़ा असन्तोष है और इतना ही नहीं, कहने के लिये यह खड़े होते हैं कि चकबन्दी योजना अच्छी है और अन्त में उनकी बातें सुनने के बाद, अधिष्ठाता महोदय, आप भी उसी नतीजे पर पहुंचे होंगे और दूसरे सुनने वाले भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि वे चकबन्दी को मौलिक रूप से बुरा समझते हैं। वे कहते अवश्य यह हैं कि चकबन्दी योजना सही है, होनी चाहिये, लेकिन जितनी भी युक्तियां उसके पक्ष में दी जाती हैं उन सब से नतीजा यही निकलता है कि चकबन्दी योजना नाकामयाब है, इसको वापस होना चाहिये। लेकिन मेरा अपना विचार यही है कि जो उसमें खामियां हैं अनुभव के आधार पर हम उन खामियों को अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं। उनको दूर करने के लिये हमारा विधेयक आया हुआ है और मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक के जरिये हमारे किसानों को लाभ होगा और कार्य प्रणाली का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें हमारे अधिकारियों को कुछ सहायता मिलेगी।

एक दूसरी बात, अधिष्ठाता महोदय, असन्तोष के साथ-साथ बहुत बड़ी बात भ्रष्टाचार की कही गयी और ऐसे जोरदार शब्दों में कही गयी कि जैसे समाज में भ्रष्टाचार के अलावा ईमानदारी का नाम नहीं रह गया है। ९,६०० अधिकारी और कर्मचारी हैं जो इस चकबन्दी योजना में लगे हुए हैं और जब हम एक तरफ से यह कहते हैं कि इस योजना के जरिये, जैसा कि आचार्य दीपंकर जी ने कहा, नैतिक पतन हो गया, सामाजिक पतन हो गया, और न जाने क्या-क्या शब्द उन्होंने कह डाले कि समाज में अब ईमानदारी तो बिल्कुल है ही नहीं, कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है, यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ९,६०० अधिकारी और कर्मचारी जहां काम कर रहे हों, जाहिर सी बात है कि उनमें बेईमान भी हो सकते हैं, पक्षपाती भी हो सकते हैं और यह भी तय है कि उनमें से ईमानदार लोग भी हो सकते हैं, और हैं; और मैं यह बात जोर से साथ कह सकता हूं कि उनमें ईमानदार लोग भी बहुत हैं, उनकी कमी नहीं है। भ्रष्टाचार की बातें तो शासन उस जगह मान लेता है जब कि उसने चकबन्दी अधिकारियों और कर्मचारियों में से सूबे भर में करीब ४५० आदमी उनके स्थानों से हटा दिये हैं और उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया है। मैं जानता हूं कि मेरे अपने जिले में ही किसानों की शिकायत पर पहले ही वर्ष में एक सी० ओ० हटाया गया, जो बड़ी जिम्मेदार जगह होती है। इसके अलावा ६ ए० सी० ओ० हटाये गये मेरे अपने जिले में और ११ कानूनगो हटाये गए, ११ अमीन हटाये गए। करीब ३० आदमी मेरी अपनी ही कांस्टीटुएंसी में पहले वर्ष में ही भ्रष्टाचार के सिलसिले में दंडित किये गये हैं। जहां तक सारे सूबे का प्रश्न है, करीब ४५० आदमी, जिनमें ४५ सी० ओ०, १११ ए० सी० ओ०, ६० कानूनगो और १८० अमीन शामिल हैं, भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों पर हटाये गये हैं।

यह हटाये कब गये जब कि किसानों की ओर से किसानों के हितैषी, उनके बीच काम करने वाले लोगों ने उनके खिलाफ सबूत दिये। उनके हटने से वहां के किसानों को आराम मिला और काम में अच्छी प्रगति हुई। लेकिन ऐसे स्थानों पर क्या किया जाय जहां अपने को किसानों का नेता मानने वाले लोग, किसानों और हरिजनों के हितैषी उस समय के लिये ही सारी शिकायतों को रख छोड़ें कि, विधेयक पास करते समय ही सब बातें कहेंगे। मैं तो यह मानता हूं कि केवल प्रवर समिति में ही भेज देने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। भ्रष्टाचार तब दूर होगा जब किसानों के बीच में बैठ कर समय देंगे, उनकी मुनासिब और जायज शिकायतों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचा कर, सबूत दिलाकर उनको दंड दिलायेंगे और उनके स्थान पर अच्छे आदमियों को रखायेंगे, तभी काम अच्छा होगा और इसी से किसानों और गरीबों का भला होगा, लेकिन मेरा अनुभव है कि यह काम जरा महंगा पड़ता है। कुछ लोगों की भलाई और बुराई ेल लेनी पड़ती है, कुछ लोगों को मुखालिफ बनाना पड़ता है तब किसानों का भला किया जा कता है। मैंने जैसा कहा, कितने मेरे साथी ऐसे हैं कि जब किसी भ्रष्टाचारी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ क़दम उठाया जाता है तो अपने साथियों में से कुछ लोग नाराज भी होते हैं। जो लोग उस नाराजगी को लेने के लिये तैयार हों और इस बात के लिये भी तैयार हों कि अपने साथियों की तबियत के खिलाफ़ भी कुछ काम कर सकें तो यह भ्रष्टाचार की बात, जो इतने उच्च स्वर से कही गई है, बिल्कुल मिट जाय और किसानों में असंतोष की जो बात कही जाती है और उनको संतोष देने की कोशिश की जाय तो उनको भी संतोष मिले और देश की उन्नति भी ।

आज बड़े जोरों से मुजफ्फरनगर के किसानों की बात कही गयी है। आज सुबह जब मैं टहलने जा रहा था तो मेरी बातचीत उनमें से चार पांच भोले-भाले किसानों से हुई। उससे यह निष्कर्ष निकला कि उन बेचारों को मुजफ्फरनगर से दावत देकर बुलवाया गया कि तुम लखनऊ आओ और यहां बैठकर तुम्हारे चक तैयार व ठीक किये जायेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)——आन ए प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर। क्या आप नाम बतायेंगे कि किसने उनको दावत देकर बुलवाया, वे किस के यहां ठहरे हैं? किसी कांग्रेसी के ही यहां ठहरे होंगे?

श्री महीलाल—मैं ने यह नहीं कहा कि राजनारायण जी के यहां ठहरे हैं या उनकी पार्टी के किसी आदमी ने बुलवाया है। मैंने यह कहा कि मेरी आज सुबह उनसे बातचीत हुई और जो निष्कर्ष निकला वह यह था कि वे लखनऊ में बैठकर चक तैयार करायेंगे जब कि मुजफ्फरनगर में बैठकर वहां के अधिकारियों के जरिये से चक तैयार कराये जा सकते थे। ए० सी० ओ० चक बनाता है, सी० ओ० उज्रदारी सुनता है। उसके फैसले के बाद सेटिलमेंट आफिसर उस की अपील सुनता है। उसके बाद डी० एम० के पास रिवीजन के लिए मौका मिलता है। मेरे यहां इस तरह की चीज हुई कि जो लोग असन्तुष्ट हुए उन्होंने एतराज किये। मेरे यहां किसानों की कुल संख्या ३४,३१५ थी। जिन में से ७,९६९ ने अपने एतराजात किये। उनके एतराजों पर गौर हुआ। इन में सिर्फ १,४७२ किसानों ने अपील की। अपील में भी उन की बात सुनी गयी। उनके चक तैयार किये गये और उनको सन्तोष मिला। जो लोग असन्तुष्ट रहे उन के रिवीजन फिर ए० डी० एम० के यहां हो रहे हैं। किसानों को वहां सन्तोष मिला है। कुछ पूरे तरीके से सन्तुष्ट हो कर जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सन्तुष्ट हो कर जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है जब कि उसमें कुछ लोग रुष्ट भी हो सकते हैं। एक फैसला जब एक के हित में होता है तो दूसरे के लिए अहितकर हो जाता है। मैं यह कह रहा था कि हम यहां असेम्बली में खड़े हो कर कहें कि हमारे यहां बड़ा असन्तोष और भ्रष्टाचार है, तो इससे न हम अपने किसानों का ही हित करते हैं और न समाज का, जिन के हित के लिए हम यहां पर यह बात कहते हैं। किसानों का हित तो इसी में है कि हम उनको सही रास्ते पर डाल कर उन के साथ जो ज्यादती हुई है उसको दूर कराने में सरकार की मदद करें।

कुछ किसानों को राय दे दी गयी कि रिट दायर कर दिया जाय। सुबह ही वह किसान रो रहे थे कि हमारा रिटों में एक, एक हजार रुपया खर्च हो गया और हमें उससे कोई फायदा नहीं हुआ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन तमाम बातों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई भी ऐसी युक्ति सामने नहीं आयी कि जो इन तमाम चीजों का हल प्रवर समिति में विचार करने के बाद निकालती। या तो हम अपने इस सदन द्वारा यह निश्चय करें कि हम अपने प्रदेश में चकबन्दी कराना नहीं चाहते क्योंकि इसको अहितकर समझते हैं और चकबन्दी हितकर नहीं है, अथवा प्रगतिशील कदम नहीं है। अगर ऐसा हो जाय तब तो ठीक है। यह एक विचारणीय बात हो सकती है लेकिन जब हम इस बात को कहते हैं कि चकबन्दी एक प्रगतिशील कदम है, चकबन्दी होनी चाहिए, देश की पैदावार बढ़ाने के लिए, किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए चकबन्दी का होना जरूरी है, तो हमें वह रास्ता ढूंढना चाहिए कि जिस से जो कठिनाइयां हमारी चकबन्दी की योजना में हैं वह रास्ते में न रहें। जो कठिनाइयां और परेशानियां हमारे किसानों के सामने इस योजना में अब तक ह व आइन्दा न रहें और दूसरे किसान भी उन से फायदा उठायें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस बात की कोशिश की कि मैं माननीय मन्त्री महोदय के सामने एक सब से बड़ी परेशानी को रख सकूं जिसका अनुभव मैंने देहातों में काम करके किया है और जिसको कि मैं यह समझता हूं कि इस वक्त बड़ी आसानी से हल किया जा सकता था। मैंने यह विचारा कि मैं यह बात उन से कहूं कि इस वक्त यह जरूरी कर दिया जाय कि हमारे बन्दोबस्त अधिकारी जहां और जितनी जमीन जरूरी समझें गांव की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, अपनी मर्जी से छोड़ दें। लेकिन मैं मजबूर हो गया और इसलिए मजबूर हो गया कि मैं यह दरख्वास्त माननीय मन्त्री जी से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि इस समय कानून में यह व्यवस्था है कि यदि गांव वाले या चकबन्दी कमेटी चाहे तो सार्वजनिक कामों के लिए गांव की जोत में से जमीन रोकी जा सकती है। मैंने स्वयं प्रयत्न किया, मेरे यहां के सेटिलमेंट आफिसर ने प्रयत्न किया कि गांव में रहने वाले छोटे-छोटे किसान, भूमिहीन किसान, और जिनमें वह लोग अधिकतर आते हैं जिनका नाम हमारे भाई यादव जी ने लिया, जिसको हम हरिजन समाज कहते हैं, उनको ज्यादा जमीन की जरूरत है, उनका हित

हो जाय। लेकिन मैं जानता हूं कि राज्य अधिकारियों के और मेरे रास्ते में कितने कितने रोड़े आये। किस तरह से लोगों ने इस मांग को ठुकराया, मैं अधिष्ठाता महोदय, आप के सामने इसको बयान नहीं कर सकता।

इस मौके पर यह कहते हुए भी झिझक नहीं होती कि मुझे उन साथियों से भी सहयोग नहीं मिला कि जो अपने को हरिजनों, गरीबों तथा किसानों का हितैषी मानते हैं। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे लोगों से भी बिलकुल सहयोग नहीं मिला कि जो वहां के रहने वाले पीड़ित समाज के लोगों और भूमिहीनों के मसले को हल करने में मदद करते। मैं कैसे और किस मुंह से माननीय मन्त्री जी से यह कहूं कि वह यह अधिकार बन्दोबस्त अधिकारी को दे दें कि वह जितनी जमीन चाहे आबादी के लिए उतनी जमीन गांव की जोत में से छोड़ दे, जब कि माननीय मित्रों की ओर से यह सुझाव आ रहा है कि जब तक ३/४ किसान गांव के न कह दें उस वक्त तक चकबन्दी न हो। मेरे साथी यह भी जानते हैं कि गांव में कितने लोग उन की राय के हैं और कितने उनके तरीके से सोचते हैं। अगर हम एक बहुत बड़ा हित समाज का नहीं कर सकते तो इसके लिए यह भी दलील नहीं है कि हम जो छोटी भलाई आज करना चाहते हैं वह भी न करें। अगर हम आज भूमि-वितरण नहीं कर सकते, मेरे कुछ साथियों को भ्रम न हो जाय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं "भूमि-वितरण" का विरोधी नहीं हूं। जितने भी सदस्य आज भूमि वितरण के पक्ष में हैं उनमें से किसी से कम मैं भी भूमि वितरण के पक्ष में नहीं हूं। मेरे इस विचार को हमारे सभी पुराने साथी जानते हैं। मैं भूमि वितरण की मांग के सिलसिले में अपने उधर के बैठने वाले किसी साथी से पीछे नहीं रहा हूं।

जहां तक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का प्रश्न है, माननीय गेंदा सिंह जी इस बात को जानते हैं कि मैं भी उनसे कम दर्द भूमिहीन खेतिहर मजदूरों या गरीब किसानों का नहीं रखता हूं। मेरा यकीन है कि शासन दल में बैठने वाले ही नहीं हमारे दूसरे साथी समाज से बेरोजगारी, समाज में फैलती हुई गरीबी के अभिशाप को मिटाना चाहते हैं। लेकिन आज हमारी सामाजिक परम्परायें और मर्यादा में हमको मजबूर करती है कि इस भूमि वितरण के कदम को सोच समझकर उठायें और धीरे-धीरे उठायें। या तो हम यह तय कर लें, जैसा कि तिवारी जी बहुत तेज चलने की बात कहा करते हैं, बहुत तेज चलें और किसी दूसरे के विचारों की परवाह न करें और अपने विचारों को लेकर आगे बढ़ते चले जायं। उसका नतीजा तो अराजकता हो सकती है, उसका सामना करें और फिर उसी तरह के कानून बनायें; किन्तु इससे समाज का लाभ बहुत कम होगा और या इस तरह से चलें जिस तरह से आज धीरे-धीरे चल रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, आपकी जानकारी के लिए और अपने उन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए जिन्होंने आज और कल दोनों दिन भूमिहीन और छोटे किसानों की बात कही है, यह बताना चाहता हूं कि जमींदारी विनाश कानून के मातहत हमने जो पिछला संशोधित अधिनियम पास किया था जिसके मातहत अधिवासी को सीरदारी का हक दिया था, माननीय माल मन्त्री ने मेरे जिले में जाकर कहा कि हम अधिवासी को अधिकार दे रहे हैं उससे उसको फायदा पहुंचेगा। हमने काफी कोशिश की और काफी कोशिश के बावजूद बहुत से अधिवासियों ने इस्तीफा दे दिया। मैंने ही नहीं बल्कि माल मन्त्री ने भी कहा कि तुम्हारा हक है और तुम उस से फायदा उठाओ।

चकबन्दी योजना की जहां बहुत सी बुराइयों की बात कही गयी, वहां पर माननीय सदस्यों ने एक भी उसका फायदा नहीं बतलाया जो किसानों को पहुंचा हो। उदाहरण के लिए १३५६ फसली से अब तक जो लोग जिन जमीनों पर काश्त करते थे, और काबिज थे और उनके नामों पर जो जमीनें नहीं चढ़ीं थीं, अगर यहां से आंकड़े लिये जायं, तो मालूम होगा कि चकबन्दी योजना की बदौलत बिना खर्चे और परिश्रम के हजारों किसान ऐसे हैं जिनके नाम जोत पर आये हैं और आज वह उन जमीनों के मालिक बना दिये गये हैं। अगर आप किसानों के बीच में जायं, तो आपको मालूम होगा कि हजारों किसानों को सही मायने में कितना फायदा पहुंचा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बहुत थोड़े किसानों को छोड़कर चकबन्दी के लिए

[श्री महीलाल]

सभी लोग तैयार हैं। मैं जानता हूं और जो लोग किसानों के बीच में जाते हैं वह सभी जानते होंगे कि जब किसान अपने खाते की तकसीम कराता था उसको तकसीम के लिए बहुत सी कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और काफी रुपया उसके लिए खर्च करने के बाद भी निराश होना पड़ता था। आज हजारों किसानों के खाते बिना किसी परेशानी और दिक्कत के इस चकबन्दी योजना के मातहत तकसीम कर दिये गये हैं। मैं चकबन्दी के फायदों को गिनाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं।

मैं प्रसंगवश कुछ दूर चला गया, आप मुझे क्षमा करेंगे, उदाहरण के लिए यह बात कही गयी चूंकि भ्रष्टाचार और किसानों के असन्तोष की बात बार बार दुहरायी गयी थी। माननीय दीपंकर जी जहां यह कहते हैं कि हजारों वर्षों के पुराने खेत छिन्न-भिन्न कर दिये गये हैं, वहां एक दो फायदे तो चकबन्दी के बताते। उनकी नजर में तो एक भी फायदा नहीं हुआ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि सौ, सौ बीघे के चक छिन्न-भिन्न कर दिये गये। हमारे मूल अधिनियम में एक धारा, मुझे नम्बर तो इस समय याद नहीं है, ऐसी है जिसमें यह कहा है कि जहां तक मुमकिन हो सवा छः एकड़ के चकों को न हटाया जाय। जब ३६, ३७ बीघे के चक भी जहां तक मुमकिन होगा छिन्न-भिन्न नहीं किये जायेंगे, तो यह कैसे माना जाय कि सौ, सौ बीघे के चक छिन्न भिन्न कर दिये गये। बड़ी मजबूती के साथ कहा गया कि १८०, १८० कोने तक के चक बनाये गये हैं। मैं नहीं समझ सकता कि कैसे छोटे से कागज पर इसकी रूपरेखा तैयार हुई होगी और कैसे १८० कोने गिने गये होंगे। मेरे यहां का उदाहरण है कि कुल १,१९,८१४ खेत थे। जिनके केवल इस समय ४८,९४७ चक बने हैं जब कि किसानों की संख्या केवल ३४,३१५ है। प्रत्येक किसान को १.४२६ के करीब चक पड़ते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक किसान का एक ही चक है। ऐसे भी हैं जिनके चक ३ के बजाय ४ हो गये हैं लेकिन यह जब हुआ है जब कि किसानों को सन्तुष्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की गयी है, उनकी उज्रदारियों में जाकर जिला मैजिस्ट्रेट के यहां या ऐडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट के यहां, जो उसकी जगह काम करता है, वहां किसानों को सन्तुष्ट करने की कोशिश में बढ़े हैं। आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनका एक ही चक रहा होगा। समय कम होने के कारण मैं सही आंकड़े इकट्ठा नहीं कर पाया वर्ना मैं बताता कि ३४,३१५ किसानों में से कितनों के एक ही चक रह गये हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं आवश्यक समझता हूं कि हमें इस प्रस्तुत विधेयक को ही बिना किसी संशोधन के स्वीकार करना चाहिए ताकि परिषद् से शीघ्र ही पास होकर गवर्नर साहब तथा राष्ट्रपति के दस्तखतों के बाद यह शीघ्र ही कार्यरूप में परिणत हो जाय।

इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट लिखा है कि इस काम में जल्दी होनी चाहिए। इसमें है कि मुख्यतया खातेदारों द्वारा दी गयी भूमि के उपलक्ष्य में नकद प्रतिकर देने की व्यवस्था करने के प्रयोजन से यह संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है। अब तक इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाहियों को वैध करने के निमित्त प्रतिकर के भुगतान की व्यवस्था को पूर्वलक्षी रूप से कार्यान्वित किया गया है एवं एक वैधीकरण खंड भी जोड़ दिया गया है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं और जिनकी आवश्यकता के कारण हमारी कार्यशैली और प्रगति धीमी हो गयी है। हमारे सामने अड़चनें आ रही हैं। इसलिए इस विधेयक को जल्दी ही पास करना चाहिए। और प्रवर समिति में नहीं भेजना चाहिए।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि अभी थोड़ा सा टाइम और दे दिया जाय।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया है। इस चकबन्दी संशोधन विधेयक पर आज दो दिन से बहस चल रही है . . .

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--अधिष्ठाता महोदय, इस पर बोलने के लिए अभी बहुत से सदस्य उत्सुक हैं और यह विषय बड़ा ही गम्भीर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि समय मुकर्रर कर दिया जाय और हर सदस्य को १० मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--माननीय मन्त्री जी का कोई सुझाव है ?

श्री चरण सिंह--मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अब तक १२, १३ सज्जन बोल चुके हैं, दो सज्जन और बोल लें, तो १५ हो जायंगे। जितनी बार भी संशोधन आया है इस अधिनियम पर, तब बराबर सारे सवालों को कवर किया गया है। अगर सारे अधिनियम पर और उसकी स्कीम पर बहस करना चाहें, तब तो इसका मतलब यह है कि यह तीन चार दिन तक भी काफी हो सकता है, इसलिए मेरा सुझाव यह है कि एक सज्जन तो खड़े ही हुए हैं, एक और सज्जन को कांग्रेस बेंचेज की तरफ से इजाजत दे दी जाय और तब फिर मुझे जवाब देने का मौका दिया जाय।

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे केवल दो बातें निवेदन करनी हैं। अगर वे इस विधेयक को समाप्त करना उचित समझते हैं तो मेरी प्रार्थना माननीय मन्त्री महोदय से भी होगी कि विधेयक को जल्दी समाप्त करना कोई अधिक लाभदायक नहीं होगा। यह ऐसा विषय है कि जिस पर सभी दलों के लोग, पार्टी से परे होकर--कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी--अपने अपने यहां के किसानों की असुविधाओं और कष्टों को इस सरकार के सामने रखना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इससे उनको वंचित नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से आप या मिनिस्टर महोदय इस प्रार्थना को स्वीकार न करें तो मुझे भी यह उचित नहीं मालूम पड़ता कि कोई भी क्लोजर मोशन, जब तक कि विरोधी दल के नेता भी बोल न लें, पेश किया जाय या उसको स्वीकार किया जाय। दूसरी प्रार्थना यह है कि जिस वक्त आप क्लोजर मोशन स्वीकार कर लें तो उस समय माननीय मन्त्री महोदय सदन को यह बतला दें कि क्या वे कोई ऐसी इन्फारमल कन्सल्टेंट कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिस में ऐसी व्यवस्था हो कि सभी दलों के नेता पार्टी से परे होकर किसानों के कष्टों और असुविधाओं के सम्बन्ध में आपस में विचार विनिमय करके कोई हल निकाल सकें, जिससे उनकी कठिनाइयां दूर हो सकें। यदि माननीय मिनिस्टर महोदय, उन को सुनेंगे, और मान लेंगे तथा उन असुविधाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा वे करने जा रहे हैं और ऐसा उनका विचार है तो क्लोजर मोशन के स्वीकार करने में विरोधी दलों की सहमति भी मिल जायगी।

श्री राजनारायण--अधिष्ठाता महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जरा मेरी बात पहले सुन लें, उस के बाद माननीय मन्त्री जी कहें तो ज्यादा उचित होगा . . .

श्री अधिष्ठाता--(श्री राजनारायण से) आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री चरण सिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय पालीवाल जी ने यह फरमाया कि जब तक विरोधी दल के नेताओं को बोलने का मौका न मिले, तब तक क्लोजर मोशन नहीं आना चाहिए और उसे स्पीकर साहब को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। मैं भी इस राय का हूं कि विरोधी दल के जितने सज्जन हैं उन को बोलने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, लेकिन वहीं पर मैं इस उसूल को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर विरोधी दल के नेता बोलना ही नहीं चाहें ४ रोज तक, लिहाजा क्लोजर मोशन न हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--ऐसी बात नहीं है।

श्री चरण सिंह--यदि ऐसी बात नहीं है तो तीन चार पार्टीज हैं, उनके तीन नेता बोल चुके हैं। अगर माननीय त्रिलोकी सिंह बोलते, तो मुझे खुशी होती और उन के विचारों से यह सदन मुस्तफीज होता, लेकिन उन्होंने बोलना पसन्द नहीं किया। ६ माननीय सदस्य अभी तक विरोधी दल की ओर से बोले हैं और उनमें से ५ ऐसे हैं कि जिनके इलाके में चकबन्दी

[श्री चरण सिंह]

नहीं हो रही है, केवल १ उनमें से ऐसे हैं कि जो उस इलाके से आते हैं कि जहां चकबन्दी हो रही है, जब कि यहां २४ सदस्य विरोधी पार्टियों के ऐसे हैं कि जो ऐसे इलाकों से आते हैं कि जहां चकबन्दी हो रही है।

तीसरे, पालीवाल जी ने जो सुझाव रखा कि वह मेरी राय जानना चाहते हैं, इस बारे में, कि उन का जो सुझाव है कि सूबे के लेविल पर एक इन्फारमल कन्सल्टेंट कमेटी बनायी जाय, अगर मैं इस वक्त उस का एलान कर दूं तो वह कहते हैं कि सम्भव है कि विरोधी दल के दोस्तों को क्लोजर मोशन पर राय कायम करने में सहूलियत हो सके। मैं समझता था कि वह "सम्भव" शब्द का इस्तेमाल न करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो मैं भी सम्भव है उनके सुझाव को मान लूं, जब मेरा बोलने का मौका आयेगा और सम्भव है कि मैं उन की बात को उस वक्त मान लूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--अधिष्ठाता महोदय, केवल एक बात मुझे कहनी है कि सम्भव को अगर सम्भव कहें तो मुझे एतराज नहीं है और यदि किसी चीज से बजाय सद्भावना के विरोध बढ़े तो मैं उस काम में बाधा नहीं डालूंगा। लेकिन सदैव यहां एक स्वस्थ्य परम्परा रही है कि अगर क्लोजर मोशन मूव होने के पहले नेता विरोधी दल नहीं बोले हैं तो अधिष्ठाता या अध्यक्ष विरोधी दल के नेता को बुलाते हैं कि आप अपने विचार प्रकट कर लीजिये, उसके बाद क्लोजर आयेगा। यह चीज मैंने यहां और सेन्ट्रल असेम्बली में सब जगह देखी है और मैंने सब जगह अध्यक्ष को इस परम्परा का पालन करते हुए देखा है। अगर क्लोजर आता है तो वह कहते हैं कि अभी विरोधी दल के नेता बोल लें और बाद में यह मोशन क्लोजर का लिया जायगा।

श्री चरण सिंह--मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वह बोलें तो सही।

श्री राजनारायण--अधिष्ठाता महोदय, माननीय माल मन्त्री जी ने अपने सुझाव रख दिये . . .

श्री अधिष्ठाता--आप जरा ब्रीफ बोलें . . .

श्री राजनारायण--आप बोलने भी तो दें, मैं ब्रीफ ही बोल रहा हूं। अजीब तमाशा है, दूसरे खड़े हो जाते हैं तो बोलते रहते हैं और हम शिष्टाचार बरतते हैं, जो शिष्टाचार का व्यवहार होता है वह करते हैं तो उस के साथ सब को शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए।

पहले माननीय माल मन्त्री जी ने अपने सुझाव पेश कर दिये और श्री पालीवाल जी ने भी अपने सुझाव पेश कर दिये, अब क्लोजर कहां से आयेगा और कौन उस को स्वीकार करेगा, इसके बारे में भी कुछ गन्ध आ गयी। मैं अपनी राय स्पष्ट कर दूं, मैं चाहता हूं कि इस पर अभी खुलकर विचार हो . . .

श्री अधिष्ठाता--अभी क्लोजर नहीं आया है . . .

श्री राजनारायण--माननीय पालीवाल जी ने . . .

श्री अधिष्ठाता--आप तशरीफ रखिये।

श्री राजनारायण--पालीवाल जी ने कहा कि एक इन्फारमल कमेटी बने जिस में सब दलों के लोग पार्टी के ऊपर होकर काम करें, लेकिन मैं उन को बता दूं कि हमारी पार्टी तो अपने और किसानों के हित में कोई अन्तर नहीं समझती।

श्री अधिष्ठाता--वह प्रश्न हमारे सामने नहीं है, आप बैठ जायं।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो चकबन्दी संशोधन बिल सदन के सामने आया है, उस के विषय में हमें आशा थी कि २६ जिलों में चकबन्दी योजना

चालू करने के बाद और तीन चार साल के अनुभव के आधार पर और जो दिक्कतें किसानों के सामने इन वर्षों में आयी हैं और जो हजारों की तादाद में माल मन्त्री महोदय के पास दरख्वास्तें आयी हैं उन सब पर विचार करने के बाद एक विस्तृत रूप में संशोधन विधेयक इस सदन के सामने आयेगा, ताकि बाद में ऐसा मौका न आये कि सदन में और ज्यादा संशोधन लाकर चकबन्दी विधेयक को संशोधित करने की आवश्यकता हो। लेकिन मुझे दुख हुआ कि जो संशोधन सदन के सामने पेश है, वह इतना विस्तृत नहीं है, जो उन कठिनाइयों को, जो प्रान्त के किसानों के समक्ष चकबन्दी के सम्बन्ध में आयी हैं, उनका निवारण कर सके।

मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारे माननीय माल मन्त्री आदरणीय दीपंकर जी की वह चुनौती, वह खुली चुनौती, मंजूर करने को तैयार नहीं हुए जो कि उन्होंने इस सदन में गवर्नर महोदय के सम्बोधन की बहस के सिलसिले में दी थी। एक विशेष तहसील का तजकिरा करते हुए चकबन्दी में फैले हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में खुली चुनौती आचार्य दीपंकर जी ने दी थी कि अगर मैं एक तहसील के अन्दर दस लाख रुपये को घूस न साबित कर दूं तो मैं अपनी असेम्बली की सदस्यता को त्याग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसका भी कोई विचार हमारे माल मन्त्री महोदय ने नहीं किया। जो चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसके निवारण का कोई उपाय अगर इस संशोधन में होता, तो मैं उसका स्वागत करता। माननीय माल मन्त्री जी ने कहा कि चकबन्दी योजना जो हम चला रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अन्न की जो समस्या है, उस को हल करने के लिए हम यह योजना चला रहे हैं।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निहायत अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि हर मौके पर समाजवादी ढांचे की चर्चा की जाती है। लेकिन भूमि के पुनर्वितरण के सम्बन्ध में समाजवाद का जो मूल सिद्धान्त है, उस को हमारे माल मन्त्री जी ताक पर रख कर तब कोई बात करते हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा क्या यह पूछ सकता हूं कि सरकार से या माल मन्त्री जी से कि समाजवादी ढांचे में या किसी भी समाजवादी समाज में भूमि के वितरण . .

श्री चरण सिंह--मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। मैं यह अर्ज करना चहता हूं कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज ऐक्ट का जो मंशा है वह तो सिर्फ इतना है कि जो बिखरे हुये खेत हैं उनको इकट्ठा कर दें। उसका बुनियादी उसूल ही यह है। उसके सिलसिले में भूमि वितरण की कोई बात कही जाय तो वह बिलकुल अप्रासंगिक, गैरमुताल्लिक और इर्रेलेवेंट है। मैंने पहले भी यह ऐतराज किया था। मेरा एतराज अब होल्ड हुआ। मैं अर्ज करूंगा कि माननीय मित्र के समय का व्यर्थ का नाश होगा। भूमि वितरण के रेजोल्यूशन को लायें, कोई बिल ले आयें, फिर उस पर बहस हो, लेकिन कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज से इसका हरगिज वास्ता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि माल मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है उसमें बहुत वजन है, क्योंकि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज और डिवीजन आफ होल्डिंग्ज, यह दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस बात का लिहाज रखें।

श्री राजनारायण--यूनिटी आफ अपोजिट्स होती है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--अधिष्ठाता महोदय, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे जिले में चकबन्दी हो रही है और इस चकबन्दी योजना से भूमि का वितरण भी हो रहा है। यह हो सकता है और यह है भी कि इंसाफ पर यह वितरण नहीं हो रहा है, इसलिये मैं भूमि वितरण की बात कर रहा था। यह मानना पड़ेगा माल मंत्री महोदय को, कि भूमि का वितरण उनके इस चकबन्दी विधेयक के द्वारा प्रदेश के अन्दर हो रहा है। विस्तृत रूप में संशोधन उपस्थित नहीं हुआ है। सदन के समक्ष हमारे आदरणीय साथी ने जो संशोधन रखा है प्रवर समिति को भेजने के लिये, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसके सिलसिले में, अधिष्ठाता महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूं कि चकबन्दी ऐक्ट को पढ़ने के बाद और पिछले तीन साल का जो अनुभव है, उसके आधार पर बहुत सी

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

दिक्कतें ऐसी हैं जो कि इस संशोधन से दूर न हो सकेंगी। भ्रष्टाचार की बात अपनी जगह पर है। मैं एक एक करके, अधिष्ठाता महोदय, उनकी तफसील यहां पर देना चाहता हूं।

करेक्शन आफ रेकार्डस से संबंधित चकबन्दी ऐक्ट की धारा ८ है। उस धारा ८ के अन्तर्गत, श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि चकबन्दी के अधिकारियों, सी० ओ०, ए० सी० ओ० और कंसोलिडेशन अमीन को इतनी पावर मनमानी करने की, दी गई है कि आज हमारे माल मंत्री को जो यह गौरव है जमींदारी एबालीशन ऐक्ट को पास करने के बाद, कि सन् ५६ और ५९ के काबिज लोगों को उन्होंने बहुत बड़ा अधिकार दिया है, उनका यह गौरव चकनाचूर हो रहा है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इतनी विस्तृत पावर और मनमानी करने का नतीजा है कि सैकड़ों सालों की जोतें, सैकड़ों सालों के इन्दराज मौके मुआयने पर, मौके की तहकीकात पर, चकबन्दी के अहलकारान खारिज कर देते हैं और ज्यादातर उन किसानों का ही इन्दराज खारिज किया जाता है, जो कि गरीब हैं और चकबन्दी अहलकारों की खुशामद और सेवा नहीं कर सकते। उनके इस मनमानी करने के अधिकार पर जब तक कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा, तब तक इस प्रदेश के गरीब किसानों का कोई भला नहीं हो सकता। सन् ५६ और ५९ के इन्दराजात को वे कुछ समझते नहीं हैं और मौके की तहकीकात में खाली जबानी शहादत पर वह विश्वास करते हैं और उसी के आधार पर अपना फैसला आधारित कर देते हैं।

श्रीमन्, जबानी शहादत के मौके पर चकबन्दी के सिलसिले में जो इन्दराज दुरुस्तगी की तहकीकात होती है, उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब किसान देहात का रहने वाला, खास कर हरिजन, उसकी यह हिम्मत नहीं होती है कि भूतपूर्व जमींदारों के समक्ष खड़ा होकर जबानी शहादत दे। उसको दबाकर बैठा देते हैं, बोलने नहीं देते हैं और कुछ खास खास लोग, भूतपूर्व जमींदारों के तबके के लोग, कह दिया करते हैं कि अमुक भूमि पर अमुक व्यक्ति का कब्जा है। लिहाजा उस गरीब आदमी का नाम खारिज हो जाता है और भूतपूर्व जमींदारों का नाम दर्ज हो जाता है। इस तरह की व्यवस्था चल रही है।

हाईकोर्ट का फैसला अपनी जगह पर, सिविल कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर, बोर्ड आफ रेवेन्यू का फैसला अपनी जगह पर, बड़ी-बड़ी अदालतों का फैसला अपनी जगह, लेकिन चकबन्दी का एक ए० सी० ओ० उन तमाम फैसलों को बालायेताक रख देता है। सबसे बड़ा आफिसर व सबसे बड़ी अदालत वह अपने को समझ लेता है. इस तहकीकात के मामले में। आज तक ऐसा देखा नहीं गया है कि इतनी उच्च कोर्ट के न्यायालयों के फैसले की इस तरह से अवहेलना की जाय जैसी कि आज चकबन्दी के अहलकारान कर रहे हैं।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री जी इस तरह के संशोधन को लावें। प्रस्तुत संशोधन में प्रवर समिति में जाने के बाद लोकल एंक्वायरी के संबंध में यह साफ कर दिया जाय कि चकबन्दी के अहलकारान सी० ओ० और ए० सी० ओ० जब मौके की तहकीकात पर जायं तो खाली जबानी शहादत पर अपने को आधारित न करें, बल्कि किसानों के पास जो उनके टाइटिल के लिये फैसले हैं अदालतों के, उनके ऊपर भी विचार करें, डाक्यु-मेंटरी एविडेंस के ऊपर जिद करें। कागजात को देखने के बाद और थोड़ी सी जुबानी शहादत के ऊपर विश्वास करते हुये उनको फैसला करने का अधिकार रहे ; इस तरह का संशोधन होने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, दफा ९ चकबन्दी विधेयक में, कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट में, पब्लिकेशन का प्राविजन दिया गया है। पब्लिकेशन के सिलसिले में तीन शर्तें रखी गई हैं कि ये-ये काम होने चाहिये, लेकिन श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो उधर से बोल रहे थे, उनका यह कहना कि पब्लिकेशन के बारे में जो मुजफ्फरनगर के किसानों ने पर्चा छापा है बिल्कुल गलत है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। श्रीमन्, मेरा दावा है कि जितने भी पब्लिकेशंस होते हैं चकबन्दी के सिलसिले में, सब बिल्कुल फरजी, महज

कागज पर होते हैं। मौके पर कोई भी पब्लिकेशन नहीं होता है, कोई मुनादी नहीं होती है। गांव क लोगों को मालूम नहीं हो पाता है कि क्या कार्यवाही होने जा रही है और चकबन्दी के अहलकारान क्या कदम उठाने जा रहे हैं। श्रीमन्, यह बहुत ही जरूरी दफा है। मैं बताना चाहता हूं पब्लिकेशन की कार्यवाही बहुत ही जरूरी है। किसानों को अपील करने की मियाद वहीं से मिलती है। जब उनको पब्लिकेशन का पता नहीं चलेगा तो उनका हक मारा जाता है। मैं यह चाहता हूं, श्रीमन्, आपके द्वारा कि कोई ऐसा प्राविजन हो जिस के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां, चकबन्दी आफिसर के यहां, सेटिलमेंट आफिसर के यहां एक पर्टिक्यूलर गांव के लिये, एक गांव विशेष के लिये, जितने भी पब्लिकेशंस होते हैं, उनका एक तारीखवार ब्योरा और रेकार्ड रखा जाय ताकि हर व्यक्ति को, गांव के रहने वालो को, सुविधा हो जाय कि अमुक मौके पर, किस तारीख को इस तरह का पब्लिकेशन हुआ है, ताकि उसका फायदा वह उठा सकें, नहीं तो बिलकुल मनमानी हो रही है। पब्लिकेशन का पता नहीं, अधिकारीगण अपनी कार्यवाही चकबन्दी की किये जा रहे हैं, चक भी करीब करीब कम्पलीट होते चले जा रहे हैं और किसान को मालूम नहीं कि उसको भी कुछ करना है और अनपढ़ किसान क्या जान! उसको अगर मालूम रहे कि आज कोई ऐलान हुआ है, तो वह जाकर के किसी वकील से, मुख्तार से, कानून जानने वाले लोगों से राय लेकर, परामर्श करके तथा उचित कार्यवाही कर के फायदा उठा सकता है, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। चक बनता चला जा रहा है।

श्रीमन्, सेक्शन १२ कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट जो है, उसमें आर्बिट्रेशन का प्राविजन है। पंच निर्णय की चर्चा की गयी है कि पंच के पास मामला भेजा जा सके। जब कभी टाइटिल का सवाल, इस्तहकाक का सवाल उठाया जायगा तो वह पंच के यहां निर्णय के लिये भेज दिया जायगा। व्यावहारिक दुनिया में इस आर्बिट्रेशन के प्रावीजन का पूरा मजाक उड़ाया जा रहा है। श्रीमन, मेरा यह दावा है कि चकबन्दी के अफसर पंच निर्णय को भेजे जाने वाले जितने मामले हैं उनको हतोत्साहित करते हैं, उनको डिस्करेज करते हैं और उनकी हमेशा इस बात की कोशिश रहती है कि आर्बिट्रेशन में पंच निर्णय के लिये कोई भी मामला न भेजा जाय। मैं यह दावे क साथ कहता हूं कि आजमगढ़ जिले में सदर तहसील में चकबन्दी हो रही है। आज तक १२,००० से ज्यादा दरख्वास्तें पड़ी हैं किसानों की तरफ से कि हमारे इस्तहकाक का सवाल है, आर्बिट्रेशन को भेजा जाय, पंचों को भेजा जाय फैसले के लिये, लेकिन आज तक २०० मामले सिर्फ ऐसे हैं जो आर्बिट्रेशन में भेजे गये हैं और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो कि पंच के पास निर्णय के लिये पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से आर्बिट्रेशन को डिस्करेज किया जा रहा है। किसान जब अपने इस्तहकाक के सवाल को उठाता है तो चकबन्दी के अफसरान उसको रोक देते हैं, उसकी हिम्मत को दबा देते हैं, ताकि जल्दी से चकबन्दी का अपना कार्य वह समाप्त कर लें और सरकार की तरफ से बधाई का पत्र उनको मिल जाय। श्रीमन्, मैं इस सिलसिले में और भी बताना चाहता हूं कि ऐसे मौके भी आते हैं कि एक मामला इस्तहकाक का फैसला करने के लिये; आर्बिट्रेशन में भेज दिया गया उधर आर्बिट्रेटर यानी पंच के यहां मामला चल रहा है, फैसला नहीं हुआ है और दूसरी तरफ चक बनाने की कार्यवाही भी चल रही है। कुछ समझ में नहीं आता है।

चकबन्दी का ध्येय यह है कि फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग को रोका जाय। श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो आर्बिट्रेशन के सिलसिले में कार्यवाहियां चल रही हैं, उसका नतीजा यह होगा कि फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग बढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि माननीय माल मंत्री जी इसको मंजूर करेंगे। आपके ऐक्ट में कहीं भी ऐसा प्रावीजन नहीं है, कोई भी धारा ऐसी नहीं है जिससे यह हो सके कि जिस खेत के बारे में या जिस जोत के बारे में पंच के यहां निर्णय के लिये कोई मामला भेज दिया गया है, जब तक पंच का निर्णय न हो जाय तब तक उस सिलसिले में चकबन्दी की तमाम कार्यवाहियां रोक दी जायं, स्टे कर दी जायं। उस जोत विशेष के संबंध में ऐसा कहीं भी प्रावीजन नहीं है। एक तरफ तो चकबन्दी मुकम्मिल होगी, दूसरी तरफ पंच निर्णय होगा और पंच का निर्णय फाइनल होगा और

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

मान्य होगा। नतीजा क्या होगा ? चक फिर से टूटेगा। इस तरह से फ़्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स बढ़ता चला जायगा। कहीं भी आप यह प्राविजन रख देते कि अगर मामला आरबीट्रेशन में जाय, तो जब तक फैसला न हो जाय, तब तक उस विशेष जोत के बारे में चकबन्दी की सारी कार्यवाही रोक दी जाय। यह तो मजाक हो रहा है और इस तरह से फ़्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग्स बढ़ती चली जायंगी। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि.....

श्री चरण सिंह—फ़्रैगमेंटेशन बढ़ रहा है आपकी राय में। आप सैक्शन २२ को पढ़ने की तकलीफ फरमायें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—श्रीमन्, जिले का जो कलेक्टर होता है वही असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ होल्डिंग्स कहा जाता है और कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट में यह प्रावीजन है कि कलेक्टर के यहां रिवीजन हो सकता है। लेकिन, श्रीमन्, रिवीजन का क्या मखौल उड़ाया जाता है, वह मैं आपके द्वारा निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं। हम तो अपने यहां की मिसाल जानते हैं...

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य को यों तो अधिकार है कि चाहे जितनी देर तक बोलें—आपको हक है—लेकिन चूंकि मेरे पास कई परचे आये हैं और कुछ आदमी बोलना चाहते हैं और मेरी इच्छा है कि मैं उनको थोड़ा समय दूं, इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य संक्षेप में कहने की कृपा करें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—श्रीमन्, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातें खत्म करने का प्रयत्न करूंगा। जब किसान कलेक्टर के यहां जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर आफ होल्डिंग्स भी है, रिवीजन में जाता है तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक आफिसर, जो कि रिवाइजिंग अथारिटी की हैसियत से काम करता है, ऐसे रिमार्क उसके द्वारा पास किये जाते हैं कि "आप चकबन्दी चलने नहीं देंगे" यानी आप चाहते क्या हैं? इसका तो मतलब यह है कि जिस तरह से आप चाहें करते चले जाइये और हम न रिवीजन करें और न अपील करें और आप मनमानी चलाये जायं। इस तरह के मौके आते हैं।

श्रीमन्, यह कहा जाता है कि यह जनता की स्कीम है, यह योजना ग्रामवासियों के हित के लिये है। श्रीमन्, क्या मैं आपके द्वारा सरकार से पूछ सकता हूं कि कोई भी ऐसी योजना है जिसके लिये आप कहते हैं कि मद प्रदेश के हित में है, जनता के हित में है और ग्रामवासियों के हित में है और उसे सरकार ग्रामवासियों के ऊपर छोड़ दें कि वे उसे कार्यान्वित करें। जैसा कि पंचायत राज ऐक्ट में गांव पंचायतों को बहुत से काम करने का अधिकार दिया गया है उसी तरह से चकबन्दी योजना को भी उनके ऊपर छोड़ दिया जाय। अगर वह इसको पसन्द करते हैं तो अपने ऊपर इसको लागू करेंगे और इसको सफल बनायेंगे और अगर इससे अपना नुक्सान समझते हैं तो छोड़ देंगे और अपने यहां लागू नहीं करेंगे। यह मौका किसानों को मिलना चाहिये।

श्रीमन्, यह संशोधन जो आदरणीय सदन के समक्ष है उसमें पब्लिक यूटीलिटी की भूमि के संबंध में कहा गया है। इस संबंध में, श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं, और शायद माननीय माल मंत्री जी को मालूम हो और अगर न मालूम हो तो मैं उनको बतला देना चाहता हूं, कि एक तरफ एक फीसदी और दो फीसदी जमीन चकबन्दी योजना के अन्तर्गत किसानों से आप सार्वजनिक उपयोग के लिये लेने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ जो गांवों में सैकड़ों बीघे ऊसर, बंजर और परती जमीन पड़ी है और जो गांव समाज की सम्पत्ति है वह सार्वजनिक उपयोग की जमीन गांव समाज के प्रधानों द्वारा नष्ट की जा रही है, यह मैं बता देना चाहता हूं। सरकार की यह हिदायत है कि कोई भी प्रधान बिना परगनाधीश, तहसीलदार या जिलाधीश की स्वीकृति के गांव समाज की सम्पत्ति का

इन्तजाम नहीं कर सकता तथा सुलह नहीं कर सकता, लेकिन मेरा यह दावा है कि चकबन्दी योजना जहां लागू है, खासकर आजमगढ़ जिले की बात मैं बता रहा हूं कि सैकड़ों बीघे जमीन गांव समाज की सम्पत्ति प्रधानों ने लोगों को बगैर स्वीकृति के दे दी है और इस तरह से गांव समाज की सम्पत्ति बरबाद होती चली जा रही है।

इसके अलावा श्रीमन्, यह जो संशोधन पेश किया गया है इसमें मुआविजे की बात कही गयी है। सार्वजनिक उपयोग के लिये जो जमीन ली जायगी उसका मुआविजा किसानों को दिया जायगा। शब्द जो प्रयोग किया गया है, श्रीमन्, वह है "कांट्रीब्यूशन"। यानी किसान जो जमीन कांट्रीब्यूट करेगा उसके लिये उसको मुआविजा दिया जायगा। पहली बात तो श्रीमन, यह समझ में नहीं आती कि कांट्रीब्यूशन के लिये क्या कभी कोई मुआविजा दिया गया है? कांट्रीब्यूशन दान को कहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—'कांट्रीब्यूशन' दान को तो शायद नहीं कहते।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—श्रीमन्, किसान जो जमीन स्वतः अपनी इच्छा से देगा उसी को कांट्रीब्यूशन कहेंगे न ?

श्री राजनारायण—कांट्रीब्यूशन स्वतः होता है, कम्पलसरी नहीं होता है।

श्री अधिष्ठाता—कांट्रीब्यूशन कभी दान नहीं होता।

श्री राजनारायण—पर वह स्वतः ही होता है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—आपकी आज्ञा से मैं प्रस्तावित संशोधन सदन के सामने रख दूं तो साफ हो जायगा। अंग्रेजी बिल के पेज ५ पर वह इस प्रकार है :—

"In respect of land contributed or to be contributed by any tenure holder for public purposes under and in pursuance of the consolidation scheme framed under Chapter III there shall be paid to the tenure holder in cash, in the manner prescribed, compensation which shall be of amount equal to....."

तो, श्रीमन्, "कांट्रीब्यूटेड आर टु बी कांट्रीब्यूटेड" यह तो बिल्कुल एक वालेंटरी कांट्रीब्यूशन है और जब कोई स्वतः जमीन देगा तो वह दान होगा और दान का कहीं भी मुआविजा नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा कहने से मेरा मतलब यह नहीं है कि किसानों से जो जमीन ली जाती है उसका मुआविजा देने का विरोध करता हूं। मुआविजा मिलना चाहिये। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मुआविजा का जो अन्यायपूर्ण तरीका बरता जा रहा है वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। जब दूसरे सार्वजनिक उपयोग के लिये किसान की जमीन ली जाती है, जैसे नहर या अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिये, तो उसके मुआविजे का दूसरा रेट है और चकबन्दी ऐक्ट के अन्दर जब सरकार सार्वजनिक उपयोग के लिये किसान की जमीन लेगी तो उसके मुआविजे का दूसरा रेट रहेगा। इस तरह का अन्याय कहां तक बरदाश्त हो सकता है, यह सोचने की चीज है।

इसमें जो रेट रखा गया है वह चौगुना और दो गुना है जबकि इसके विपरीत जब नहर या ट्यूबवेल के लिये सरकार जमीन लेती है तो उसके मुआविजे की दर ४० गुना और २० गुना है। कहां एक तरफ ४० और २० और कहां दूसरी तरफ ४ और २! यह कहां का सामंजस्य और कहां का न्याय है? यह मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं। किसानों की जमीन यदि ली जाय तो मुआविजे की दर इंसाफ की कसौटी पर उतरनी चाहिये, यह हम चाहते हैं और इस तरह का संशोधन इसमें आना चाहिये।

एक बात कहीं भी साफ नहीं है। पब्लिक यूटिलिटी की जमीन का तजकिरा किया गया है। लेकिन उस सिलसिले में जो नहर योजनायें हैं उनके लिये जो जमीन सरकार किसानों से ले रही है उसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। मिसाल के तौर पर, टांडा पम्प कैनाल

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

इस वक्त चालू है। वह आजमगढ़ जिले में भी जाती है और उस क्षेत्र से होकर जाती है जहां पर चकबन्दी योजना लागू है। एक गांव से नहर जाती है, चार पांच किसानों के खेत उसमें पड़ जाते हैं- किसी का १० बीघा, किसी का ४ बीघा, और यह भी मिसाल मेरे पास है कि एक किसान को १५ बीघा खेत में कुल के कुल नहर के नीचे पड़ गये। तो मैं पूछता हूं कि इस चकबन्दी से क्या फायदा? इस सिलसिले में यह होना चाहिये कि एक गांव में नहर के नीचे जितनी जमीन पड़ गई है उन दो चार इने-गिने किसानों पर ही इसके नुकसान का बोझा न पड़े बल्कि जितने खाते हैं सबके ऊपर इसका बोझ डालना चाहिये। हिस्सा बांट देना चाहिये चाहे चार बीघा हो या एक बिस्वा ही पड़े, लेकिन सबको बराबर का नुक्सान हो, क्योंकि नहर से तो फायदा सभी लोग उठायेंगे तो फिर नुक्सान दो ही चार आदमी क्यों उठावें? जितनी जमीन नहर के नीचे पड़ी है उसका इक्विटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये, नहीं तो मैं निहायत अदब से कहूंगा कि एक तरफ तो आपकी कंसालिडेशन स्कीम चल रही है, दूसरी तरफ कितने लोग बगैर खाते के हो रहे हैं और उनके जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं रहा।

श्रीमन्, चक जो बन रहे हैं, जो उनका अलाटमेंट हो रहा है, उसकी अद्भुत मिसालें हमारे पास हैं। एक किसान ने अपने दरवाजे पर कुंआ बनवाया, दो चार पेड़ अपने आराम और आसायश के लिये लगवाये, अपने मवेशियों को बांधने के लिये, और पानी के लिये कोई और इंतजाम किये। लेकिन जब चक का अलाटमेंट होता है तो उसके ठीक दरवाजे की जमीन दूसरे के चक में अलाट कर दी जाती है। नतीजा क्या होता है? उसका उठना बैठना दुर्लभ हो जाता है और उसने जो पैसा खर्च किया है कुंये में तथा बाग में वह सब बरबाद हो जाता है। इसका इंतिजाम होना चाहिये। किसानों ने जो अपने खर्च से कुंआ बनाया है दरवाजे के सामने, वह उसकी सम्पत्ति है। उसके दरवाजे पर जो उसका बाग है, वह उस संबंधित किसान को मिलना चाहिये, इस बात का इन्तजाम अवश्य हो।

श्रीमन्, इस संशोधन में आसामी, अधिवासी और सीरदार का शब्द इस्तेमाल किया गया है। मुझे यह पढ़कर हंसी आयी और मैं इस फैसले पर पहुंचा कि बिल ड्राफ्ट करते समय ड्राफ्ट करने वाले का दिमाग किसी और जगह था। जो कानून इस वक्त है उसको बिलकुल नजरअंदाज कर दिया गया है। ३० अक्टूबर, १९५४ के बाद, श्रीमन्, इस सूबे में कोई अधिवासी नहीं रह गया है, लेकिन वह इस संशोधन विधेयक में रख दिया गया है।

श्री चरण सिंह—आप इतना अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि इवाकुई लैन्ड में अधिवासी अब भी हैं? अगर आपको मालूम नहीं था तो क्या आप अपने बयान को वापस लेंगे?

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि ३० अक्तूबर, १९५४ के बाद अधिवासियों को सीरदारी का हक़ दे दिया गया है। अब अधिवासी नहीं हैं और माननीय माल मंत्री जी ने जो इवाकुई प्रापर्टी ऐक्ट का तज़किरा किया उसमें भी लगान का कुछ जमा कर के सब लोग सीरदार हो गये हैं...

श्री चरण सिंह—सब नहीं हुए हैं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—तो उनके लिये तमाम कार्यवाही आपने रोक दी है।

श्रीमन्, यह जो विधेयक आया है संशोधन का, उसके सम्बन्ध में मैं यह समझ पाया हूं कि माननीय माल मंत्री जी ने या सरकार के लोगों ने अपने तमाम गैरकानूनी कामों को कानूनी जामा पहनाने के लिये पेश किया है और उनके सामने जरा भी किसानों की बहबूदी का, भलाई का या उनकी दिक्क़तों को दूर करने का सवाल नहीं है। अब तक जो भ्रष्टाचार और अन्याय फैल चुका है उसको दूर करने की कोई नीयत सरकार की नहीं है। सिर्फ यही नीयत रही है कि

उनके जितने भी काम आज तक हाईकोर्ट के जरिये, गैरकानूनी करार दिये गये हैं उनको कानूनी जामा पहनाया जाय, सिर्फ इसीलिये यह संशोधन, श्रीमन्, लाया गया है।

ऐसी दशा में, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करूंगा कि चकबन्दी योजना, हो सकता है कि अच्छी हो, लेकिन जिस तरह से व्यावहारिक रूप में इसका काम चल रहा है, अमली दुनिया में जिस तरह से काम हो रहा है चकबन्दी योजना का, वह बर्दाश्त के लायक नहीं है। श्रीमन्, बातें इस तरह की की जाती हैं कि अच्छे काम के लिये सबको मदद देनी चाहिये। हम इसको मानते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा काम हो तब। जब अच्छा काम करने के लिये कोई सुझाव दिया जाता है विरोधीदल की तरफ से, तो उसके लिये कान में तेल डाल लिया जाता है और अच्छा काम करने के लिये जरा भी विचार नहीं किया जाता।

मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, श्रीमन्, कि अभी हमारे एक पूर्व वक्ता ने कह दिया कि मुजफ्फरनगर के किसानों को दावत देकर बुलाया गया है। मैंने जानने की कोशिश की कि वह दावतनामा किसकी तरफ से गया था और उनको यहां आने का खर्चा किसने दिया। एक पर्चा उन किसानों की तरफ से छपा है। यह उस बात के लिये काफी है जिसका तज-किरा कर रहे थे। उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम ३०, ४० रुपया खर्च कर के विधान सभा के सदस्यों के सामने अपनी शिकायतें लेकर आये हैं। आप सोचिये कि मुजफ्फरनगर की दशा क्या है? वे लोग पैदल चल कर आये हैं, ३०, ४० रुपया खर्च करके आये हैं। क्यों? पागल तो नहीं हो गये। वे अपनी मुसीबत की कहानी ले कर आये हैं और हमारा फर्ज है कि हम उनकी मुसीबत की कहानी को सुनें। जब हम कानून बनाने बैठे हैं तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उनकी मुसीबत को भी सुनें। आज तो केवल १००, १५० की तादाद में किसान आये हैं, लेकिन ऐसे गरीब किसान भी हैं कि जो यहां तक नहीं पहुंच सकते, उनकी भी मुसीबतें हैं, उनकी भी मांगें हैं, उनकी भी तकलीफें हैं और हमें उन पर भी विचार करना है। हमें उनके कष्टों का निवारण करना होगा। तो, श्रीमन्, यह कह देने से काम नहीं चलेगा और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि मुजफ्फरनगर के किसानों की तरफ से जो यह पर्चा दिया गया है उसमें दी गई एक-एक बात अपनी जगह पर सच मिलेगी। मैं तो चुनौती देने के लिये तैयार हूं कि जितनी बातें मुजफ्फरनगर के किसानों ने लिखी हैं वह सब आजमगढ़ के बारे में भी सच हैं। मैं इसको साबित करने के लिये तैयार हूं।

तो, श्रीमन्, जो सुझाव विरोधी दल की तरफ से आते हैं उनको अच्छे कामों के लिये, कल्याणकारी कामों के लिये मान लेना सरकार का कर्त्तव्य है। लेकिन सरकार का रवैया जैसा चल रहा है उसका भुगतान इस प्रदेश की जनता कर रही है। श्रीमन्, ऐसी दशा में मेरा निवेदन है कि यह जो संशोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है वह नाकाफी है। अभी तक जितनी परेशानी और अनुभव प्राप्त हुये हैं, जो अनुभव इन ३, ४ सालों के अन्दर २६ जिलों से प्राप्त हुये हैं, उनके आधार पर वह सब दिक्कतें अभी तक अपनी जगह पर कायम हैं और निवारण उनका नहीं हुआ है, जो निवारण करना निहायत जरूरी है। इसलिये यह जरूरी है कि यह संशोधन विधेयक प्रवर समिति के पास जाय और वहां पर इसकी परिधि को भी बढ़ाया जाय ताकि तमाम समस्याओं पर कार्यवाही हो सके और उसका माकूल इन्तजाम हो सके।

(श्री उदयशंकर को बोलने के लिये बुलाने के उपरान्त)

श्री अधिष्ठाता—क़ब्ल इसके कि आप तकरीर शुरू करें, मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यही रफ्तार चली तो शायद मुझे, जो एक साहब ने क्लोजर मूव किया था, उसको लेना पड़े। मैं चाहता हूं, आप १५ मिनट से ज्यादा न बोलें और अब चार मेम्बर से ज्यादा न बोलें ताकि ५ बजे तक यह बिल खत्म हो जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अभी तो इसको चलने दें, बाद में देखा जायगा।

श्री उदय शंकर (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, मैं कल से बड़े ध्यान से इस विधेयक पर जो बहस चल रही है उसको सुन रहा हूं। मुझे अफसोस है कि मैं अपने को उन सभी माननीय सदस्यों से जो विरोधीदल की ओर से बोले, तथा कुछ, जो सरकारी बेंचों की ओर से बोलें उनसे भी अपने को सहमत नहीं कर पा रहा हूं। मेरी राय में इस विधेयक के प्रवर समिति में जाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इस विधेयक के विषय में प्रायः हरएक ने, चाहे वह किसी ने दबी जबान से ही सही, यह कहा है कि जहां तक चकबन्दी के औचित्य का प्रश्न है, उसको सभी ने कबूल किया है कि चकबन्दी अच्छी है और चकबन्दी होनी चाहिये। यह सबके भाषणों का लुब्बोलुबाब था लेकिन मेरे कुछ साथियों ने कुछ विशेषण लगाये कि इस वजह से वह खराब है। यह समाजवादी दल की ओर से कहा गया कि जमींदारी उन्मूलन के साथ-साथ चकबन्दी जब हो तो उस समय भूमि के बटवारे का प्रश्न भी तय हो। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्या फर्क पड़ता है। आप भूमि के बटवारे को जब चाहें तब कर सकते हैं। उसका इस चकबन्दी के प्रश्न से क्या सम्बन्ध है? भूमि के बटवारे का प्रश्न तो सामने आ सकता है अगर आप उसके साथ और चीजें भी कबूल करें और वह इस सदन के किसी विधेयक के द्वारा तय हो, बल्कि उस वक्त वह चीज आसान हो जायगी और आप को भूमि के बटवारे में सहूलियत हो जायगी और आपको कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। तो उनकी भी यह दलील कुछ समझ में नहीं आती है। यहां पर सिवाय यह मानने के कि चूंकि वह समझते हैं कि इससे उनके आन्दोलन को एक बल मिलेगा इसीलिये वह उनकी खाली मुखालिफत के खयाल से एक अड़ंगे की नीति है।

अब रही दूसरी चीज कि इस चकबन्दी कानून के अमलदरामद होने के बारे में जो बातें कही गई उनमें अंशतः कुछ सत्यता है। उससे न सरकार इन्कार करती है और न कोई आदमी इन्कार कर सकता है कि इसके अमलदरामद करने वालों में कुछ गड़बड़ी है। इनमें कुछ थोड़े से मौक़ा पा कर भ्रष्टाचार की नीति अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन यह अजीब बात है कि अगर भंडारी चोर है तो इसलिये खाना न बने, यह दलील कुछ अच्छी नहीं मालूम पड़ती है। भंडारी बरखास्त किया जा सकता है, उसके रखवाले मुक़र्रर किए जा सकते हैं। मगर इन चीजों का सम्बन्ध कानून से विशेष नहीं है। इनका सम्बन्ध चकबन्दी की मशीनरी से है, न कि विधेयक से, जैसा कि आपके सामने हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि जिनकी जरा भी शिकायत होती है और वह साबित हो जाती है तो ऐसे कर्मचारियों के साथ कोई रिआयत नहीं की जाती है। वे एकदम नौकरी से अलग किये जाते हैं। जमीन की समस्या ऐसी है जिसके बारे में एक नीति अख्तियार करनी पड़ती है। जब यह नीति अख्तियार कर ली गई कि मुल्क में ग़ल्ले की पैदावार बढ़ानी है, जनता की हालत को ठीक करने के लिये यह जरूरी है कि जमीन को इकट्ठा किया जाय, बजाय छोटे-छोटे टुकड़ों के उन्हें अच्छे टुकड़ों में एक जगह करके खेत बनाये जावें, तो उधर कहीं-कहीं गांव के भीतर कुछ कन्जरवेटिव तरीके लोगों में रायज हैं। जब १९३९ ई० का चकबन्दी का कानून बना तो मैंने अपने जिले में देखा कि उसका अमल कैसे हुआ। मैंने देखा कि बहुत से लोग तो इस वजह से चकबन्दी नहीं चाहते थे कि वह कहते थे कि अब तो सारे सिवान में कहना पड़ता है कि हर गांव में चारों ओर हमारे खेत हैं और अगर एक जगह हो गये तो दिक्कत पड़ेगी कि हमारी मिल्कियत में कभी समझी जायगी। इसलिये उन्होंने चकबन्दी की मुखालिफत की। चकबन्दी वहां मेरी ग़ैरहाजरी में हुई जबकि मैं सन् ४२ में नजरबन्द हुआ, लेकिन जब मैं लौट कर आया तो गांव में एक भी आदमी उसकी मुखालिफ़त में नहीं मिला, बल्कि सब लोगों ने यह कहा कि उन्होंने गलती की कि उसकी मुखालिफत की; हालांकि मेरे गांव में तो कोई आदमी भी उनमें से अदालत तक नहीं गये। नतीजा यह हुआ कि उस चकबन्दी के फलस्वरूप आज उस गांव के सारे आदमी उसका सुख भोग रहे हैं और उन्हें पूरा-पूरा आराम है।

चकबन्दी कानून की दफ़ा ६ के अनुसार कलेक्टर को यह अधिकार था कि वह किसी गांव को चुन लें और हमारा गांव चुने हुये गांवों में से एक था। पिछले दो सालों से हमारे जिले में चकबन्दी हो रही है। इत्तिफाक़ से उस हिस्से में हो रही है, जिसका मैं इस सदन में आने से पहले नुमायन्दा था। उस हिस्से में मुझे देखने का अवसर मिला। मेरे गांव से मिले हुये गांव चकबन्दी के हिस्से में हैं। वहां भी मैंने उसे देखा है।

विरोधी दल के सदस्यों ने सुपरलेटिव का ही इस्तेमाल किया है कि "हाहाकार मच गया है, हजारों गांवों में इस तरह की चीजें हो रही हैं" इन सब शब्दों से उन्होंने सम्बोधन किया है। मुझे बड़ा दुःख हुआ यह देख कर कि एक चीज को बेमतलब ज्यादा बढ़ा दिया जाय और इतना ज्यादा उसे कहा जाय कि उसकी जो सत्यता है, उसकी जो असलियत है, उसी के ऊपर पर्दा पड़ जाय। इस तरह की बात कोई उचित नहीं जान पड़ती। मेरी समझ में तो जो मैंने देखा, आपके सामने आंकड़े मौजूद हैं, गांव के भीतर जितनी चकबन्दी अब तक पूरी हो चुकी है उसके विभिन्न स्टेजेज आपने देखे, कितने लोग गये अपील में, कितने लोग गये निगरानी में ? कहा गया कि साहब, जमीन का सर्वे नहीं हुआ, पड़ताल नहीं हुई। मेरी समझ में या तो उन माननीय सदस्यों ने चकबन्दी योजना को पढ़ने की पूर्ण तकलीफ नहीं उठाई या मैं कैसे कहूं कि वे जानबूझ कर इसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? करीब-करीब इस चकबन्दी योजना का आधा के करीब समय तो इन्दराज के ठीक करने में ही लग जाता है और इन्दराज को ठीक करने के बाद ही चकबन्दी की बात हो पाती है और तब बाकी दूसरी कार्यवाहियां उसमें की जाती हैं। इसलिये यह कहना कि उन्हें मौका नहीं मिलता, ठीक नहीं। उनको मौका तो पर्याप्त रूप से मिलता है।

अब यह कि कुछ लोग गांवों में जो जमीन से सम्बन्धित हैं, काफी होशियार लोग हैं, काफी अवसरवादी लोग भी हैं, वे अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और हमेशा करेंगे। अब यह हमारा और आप का काम है कि हम इस विधेयक के जरिये, अपनी मशीनरी के जरिये, देखें कि वे अनुचित लाभ न उठा सकें और इस ओर आप जितनी भी सख्ती कर सकें, इसके लिये जितनी भी पाबन्दियां लगा सकें वे जायज होंगी और उनका लगाना ही मुनासिब होगा।

अब जो मुआवजे के बारे में कहा गया है वह यह कि साहब, नहरों के लिये जमीन लेनी पड़ती है या सड़कों के लिये जमीन लेनी पड़ती है, तो उसके लिये तो बीस गुना और चालीस गुना मुआवजा रखा गया है, लेकिन यह क्या तमाशा है कि इसके लिये इस कानून में केवल दुगुना और चौगुना ही रखा गया है ? असल में इस कानून का मकसद जो था वह गांव के लिये था। नहरों और सड़कों में जो चीज चली जाती है उसे सरकार ले लेती है। ये जो चीजें लेनी हैं वे उन्हीं गांव वालों के हित के लिये ही लेनी हैं। इससे किसी दूसरे का कोई हित नहीं होना है। एक कानूनी दिक्कत की वजह से जो हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि कांस्टीट्यूशन की दफा ३१ के मुताबिक कोई एक्वीजिशन नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका मुआवजा न दिया जाय, तो यह चीज कानून के अल्फाज के भीतर, अपनी इस स्कीम को लाने के लिए की गयी है। वर्ना गांवों की जमीन जो सार्वजनिक परपजेज के लिये ली जाती है, जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, जैसे हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, जाहिर है कि आप गांव को किसी न किसी दिन बदलने की कोशिश करने जा रहे हैं, और किसी न किसी दिन उसको सुन्दर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सड़कों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें स्कूलों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सार्वजनिक बच्चों के खेलों के स्थान बनाने पड़ेंगे, उसके भीतर आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे गांव वालों का फायदा हो। अगर गांव को अच्छी तरह से बसाना है तो उसके लिये थोड़ी सी जमीन छोड़ दी जाय और उन्हीं के लिये एक मुआवजे की रकम नाममात्र की रख दें तो वह कानून के दायरे में भी आ जाय और उसका पूरा पूरा उपयोग भी हो। तो इसमें क्या गलती हुई, इसमें कौन सा

[श्री उदय शंकर]

आसमान टूट पड़ा या क्या अन्याय हुआ, यह मेरी समझ में नहीं आता मैं समझता हूं वह जायज ही है ।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि भूमिधर को ४ गुना और सीरदार को २ गुना मुआवजा दिया जाय, तो अगर आप जोड़ें और हिसाब लगायें, तो दोनों का रुपया बराबर ही आयेगा उसमें कोई कमी नहीं होगी। दो गुने के हिसाब में जितना सीरदार को मिलेगा, भूमिधर को भी ४ गुने के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं मिल सकेगा; थोड़ा बहुत फर्क भले ही हो लेकिन लम्बा फर्क नहीं होगा ।

एक जगह यह भी कहा गया कि बड़े बड़े चक जो हैं वह बाईफरकेट हो रहे हैं, उनके टुकड़े हुये जा रहे हैं। लेकिन उनका रकबा जब बड़ा है तो वह एक जगह से कम होगा तो दूसरी जगह बढ़ेगा, उनके कम होने का कोई सवाल नहीं है । तो इस तरह की जो चीजें इसके मुताल्लिक कही गयी हैं, वह ऐसी नहीं हैं कि जिनको ले कर कहा जाय कि जनता तबाह हुई जा रही है या हाहाकार मचा हुआ है । मैं समझता हूं कि यह हाहाकार तो विरोधी दल के सदस्यों के दिमाग से है, हो सकता है कि असेम्बली के हाल के बाहर भी हो क्योंकि कुछ लोगों ने तो उन्हें यहां भेजा ही है । वह समझते हैं कि चकबन्दी योजना पूरी हो जाने के बाद उनके पास ज्यादा कहने को नहीं रह जायगा, क्योंकि इसके बाद लैंड रिफार्म्स की एक शक्ल पूरी हो जाती है ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा पहला मौका है आप सब भाइयों के यहां पर दर्शन करने का। मैं एक शुद्ध किसान की हैसियत से आया हूं और मेरा यहां बोलने का भी पहला मौका है। बाहर की बातों को तो मैं जानता हूं लेकिन अन्दर की बातों को मैं नहीं जानता, इसलिये सब भाई मेरी सहायता करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल दो चार बातें बतलाऊंगा।

हमेशा वन्दना ईश्वर की या बनाने वाले की होती है । परमात्मा सृष्टि को और तमाम पदार्थों को बनाता है, उसकी हम सब बन्दना करते हैं और पूजा करते हैं। मां बाप औलाद को पैदा करते हैं और फिर औलाद अपने बनाने वाले, पैदा करने वाले मां बाप की पूजा करती है, सेवा करती है । जो किसान मजदूर खाद्य पदार्थ और उपयोग की चीजें हमारे लिये बनाते हैं, हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिये और अपने धर्म का पालन करना चाहिये । हमने एलेक्शन में जो उनसे वायदे किये हैं वह हमें पूरे करने चाहिये । हमें अपनी कथनी और करनी एक रखनी चाहिये । हम सब सदस्य, चाहे किसी पार्टी के क्यों न हों, चाहे सोशलिस्ट हों, चाहे प्रजा सोशलिस्ट हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे स्वतंत्र दल के हों या कांग्रेस पार्टी के ही क्यों न हों, हम सब अपने किसान और मजदूर भाइयों से वायदे करके यहां आये हैं कि हम चकबन्दी के कार्य को ठीक करायेंगे और गड़बड़ नहीं होने देंगे, मजदूर किसानों के दुख दूर करायेंगे, जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दिलवायेंगे, नहर के पानी का ठीक-ठीक प्रबन्ध करेंगे, चोर बाजारी, डकैती खत्म होगी और पंचायत टैक्स खत्म करेंगे। यह सब वायदे हम कर के आये हैं और उनको हमें पूरा करना है । हम सब यहां पर पुराने साथी हैं और बहुत से हमारे पुराने साथी हैं। सन २१ से ४२ तक बहुत लोग हमारे साथ रहे हैं, कुछ सन् २१ के कुछ सन् ३० के, कुछ सन् ३२ के और कुछ सन् ४२ के हमारे साथी हैं और आज भी हमारे साथी हैं लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो कि पूज्य बापू के बताये रास्ते को छोड़ कर दूसरे रास्ते पर चले गये हैं।

मैं देहात का रहने वाला सादाबाद तहसील का एक किसान हूं । वहां चकबन्दी हो रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार वहां है वह मुझको भी अच्छा नहीं लगता। भ्रष्टाचार की यहां बहुत बातें होती रही हैं। भ्रष्टाचार मत कहो, चकबन्दी में तो मौतचार कहो। चकबन्दी में कहां है भ्रष्टाचार? चकबन्दी में कहा जाय मौतचार।

समदपुर के बुद्धा किसान का एक चक बारह बीघे का बम्बे के पार और एक चक बम्बे के वार था। जब वे दोनों क्यार छिन गये तो उसके बेटे ने कहा कि दोनों क्यार गये। तो बुद्धा का यह मौतचार हो गया।

दूसरी चीज आप के सामने रखूं कि रामचन्द्र किसान, हुसैनी के रहने वाले, का चौबीस बीघा चक कुवें के आसपास, उसका १६ बीघा चक कुएं के पास का छीन कर सात पट्टियां बराबर-बराबर कर दी गयीं।

श्री चरण सिंह—मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे कोई बहुत बड़ी शिकायत तो अपने मित्र से नहीं है क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि बाहर का उनका तजुर्बा है यहां का तजुर्बा नहीं है। लेकिन तजुर्बा हो या न हो, कुछ नियमों का पालन करना ही होगा। जब हम किसी कानून पर बहस कर रहे हैं तो इंडिविजुअल इंस्टैंसेज को अगर देना चाहेंगे तो इस तरीके से तो एक दिन में अगर वह अपने यहां के सिर्फ इंस्टैंसेज देना चाहें तो भी खत्म नहीं होंगे। इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उसूली कोई बात हो और महज इस बिल तक महदूद हो तब तो मंशा पूरी होगी वर्ना डिबेट का कोई फ़ायदा नहीं होगा।

श्री राजनारायण—इसमें प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य इस बात का लिहाज रखें कि जो गुफ्तगू हो वह मोशन की मुताबिकत में होनी चाहिए।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं जरा सा इशारा करना चाहता हूं, वह यह कि जब कोई माननीय सदस्य बोलने खड़े हों और वह यहां की परम्पराओं से अनभिज्ञ हों, कभी सदन में नहीं आये, सदन की नियमावली से और उठक बैठक से अनभिज्ञ हों और वह सच्ची बात कहना चाहते हैं तो खड़े होकर माननीय मंत्री महोदय सिर्फ इसलिए डिस्टर्ब कर दें कि वह अपनी बात से अलग हो जायं और भूल जायं यह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मालूम होता है।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है। मैंने अपने कहने में इस बात की काफी गुंजायश रखी है और उनसे दरख्वास्त यह करता हूं कि जहां तक हो सके नियमों का पालन करें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमारा प्रश्न यह है कि क्या किसी सदस्य का यह अधिकार है कि बिना प्वाइंट आफ आर्डर का विषय बनाये हुए अनावश्यक विषय पर लम्बी चौड़ी तकरीर करे जैसा कि माननीय चरण सिंह जी का व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन एक बात को रखने के लिए व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर खड़े हो गये?

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने मेरा अटेंशन डाइवर्ट किया है। मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि नियमों के अनुसार उनको भाषण करना चाहिए। इसलिए जहां तक हो सके वह नियमों के भीतर बातें करें। जो मोशन है उसकी मुताबिकत में उनकी गुफ्तगू होना चाहिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान पार्लियामेंटरी परम्परा की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब कभी यहां मेडन स्पीच होती है तो सारा सदन उसे ध्यान-पूर्वक सुनता है और जब तक नियमों का उल्लंघन न हो रहा हो तब तक उनको रोका नहीं जाता। अगर माननीय मंत्री इधर ज्यादा ध्यान दें तो अच्छा ही होगा।

श्री अधिष्ठाता—लेकिन सीखेंगे भी तो इसी तरीके से। अगर उनको तवज्जह न दिलायी जायगी तो सीखना मुश्किल हो जायगा।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मेरी मोटी भाषा है। मैं किसान हूं। मगर सरकार विचार कर जो काम करती है वह उल्टा हो जाता है। वह उल्टा कैसे होता है? जैसे कब्ज वाले को भोजन दिया जाता है और भूख वाले को जुलाब। यह फर्क

[श्री टीकाराम पुजारी]

है जिसको कब्ज है उसको मलाई रबड़ी दी जाती है और जिसको भूख है उसको जुलाब दिया जाता है। मुझे भय है कि कहीं ऐसा नई पंचवर्षीय योजना में न हो जाय, तो न भोजन करने वाला बचेगा न जुलाब देने वाला बचेगा।

मैं चकबन्दी के ऊपर बोल रहा था। वह चकबन्दी नहीं हो रही है, चकबन्दी हो रही है। चकबन्दी उसी तरह से है जैसे एक सोने का मटका है लेकिन उसमें जहर भरा हुआ है। ऊपर चमक और भीतर मौत है। इस तरह की चकबन्दी है। भीतर देखा जाय तो जहर और बाहर देखा जाय तो सोने के मुलम्मे की चमक।

हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है। यह तो सिद्धान्त की बात है। मैं तो दो एक बातें बताने आया हूं। मैं तो एक शुद्ध किसान के रूप में आज आपके बीच में खड़ा हूं। मैं तो चकबन्दी के माने यही समझता हूं कि बिखरे खेतों को एक जगह कर दिया जायगा। एक हार, दो हार को खत्म करके एक हार कर दिया जायगा। इससे किसान को सुभीता होगा। माता बहिनें जो रोटी ले जाया करती हैं अब उनको मीलों नहीं जाना पड़ेगा।

मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप मेरी बात जरा सुनें। मैं बहुत दिनों से बाहर काम करता रहा हूं। यहां आने का कोई मौका नहीं मिला। जब खड़ा होता था तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन अबकी मर्तबा हम लोगों को किसानों ने भेजा है। हमको २०० रुपये माहवार, १० रुपये दैनिक भत्ता और फर्स्ट क्लास का किराया किसानों की तरफ से मिलता है। ३० रुपये का नौकर गांव में रहता है। हमें आपको सोचना चाहिये कि किसान जो हमको २०० रुपये माहवार और १० रुपये रोज भत्ता देता है उसको हम हलाल नहीं करेंगे नहीं तो किसान भगवान रूठ जायगा, फिर हमारा आपका दुनिया में कोई ठिकाना नहीं रहेगा।

चकबन्दी पर बोलते हुए मुझे एक बात गांधी बापू की याद आ जाती है। मैं याद दिलाऊंगा बापू जी कहा करते थे:—

सत्य, अहिंसा धारी हो पशु बल व्योपार बदल डालो,
नाच रहा अन्याय जहां पर वह संसार बदल डालो।

मेरे और बहुत से भाई चकबन्दी के बारे में बोलने वाले हैं। मैं आपका अब अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि वक्ता बहुत हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर....

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य जरा समय का ध्यान रखें।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, मैं आश्वासन देता हूं कि अधिक समय नहीं लूंगा। मैं बोलने से पूर्व माननीय मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनको यह शिकायत थी कि लोग बगैर इस विधेयक के अध्ययन के इस सदन में बोलना चाहते हैं और बोलते हैं। मैं उनको केवल यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैंने अध्ययन किया है और आपके द्वारा मैं उनसे इतना चाहूंगा कि, उनके मुखारविन्द पर लालिमा न हो, क्रोध के आवेश में वह अपना संतुलन न खो बैठें और मैं आशा करता हूं कि वह धीरज और धैर्य का आसरा लेकर सुनने की कृपा करेंगे।

मान्यवर, यह ठीक है कि बालकों की तरह समझाने के लिए जो यह विधेयक आया है, यह वास्तविकता और सत्यता पर आवरण डाला गया है। यह हो सकता कि मैं इस विधेयक के बारे में उतना न जानूं, मुझे उतना परिज्ञान न हो, जितना कि हमारे माननीय मंत्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री महोदय को है, परन्तु इतना मैं अवश्य सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या हमारे माल मंत्री महोदय, जो वकालत से भी परिचित हैं, जो वकील भी रह चुके हैं, उनको अर्जन और दान में अन्तर नहीं मालूम है ? क्या उनको यह नहीं मालूम है कि कंट्रीब्यूशन क्या है और अक्वीजीशन क्या है ? यही नहीं, बल्कि वह कंट्रीब्यूशन और अक्वीजीशन को समझते थे , लेकिन इन दोनों चीजों को न करके उन्होंने एक तीसरा रास्ता अपनाया, जिसको अपहरण करना कहते हैं, वह "कानफिस्केशन" था ।

मान्यवर, यह भारतीय संविधान जैसी पवित्र पुनीत वस्तु पर जिस तरह से कुठाराघात माननीय माल मंत्री द्वारा हो रहा है , बारम्बार इस सदन में, वह विधान सभा के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा, कभी नहीं भुलाया जा सकता है । वह विधान, जिसको कि आपने बनाया, आज उस अनुच्छेद ३१ से कौन बेहरा है, किसको उस अनुच्छेद का ज्ञान नहीं है कि जब कोई भूमि आप अर्जित करना चाहते हैं , वह चाहे व्यक्तिगत भूमि हो, चाहे पब्लिक यूटिलिटी की चीज हो, लेकिन साथ ही साथ आप इससे इन्कार नहीं कर सकते कि उसका प्रतिकर मिलना चाहिये । जब तक कि भारतीय संविधान अपनी जगह पर मौजूद है और इस तरह से अगर माल मंत्री महोदय वास्तविकता पर और सत्यता पर आवरण छोड़ कर, अज्ञान का एक हमारे सामने बहाना लेकर वह अक्वीजीशन को, बल्कि कानफिस्केशन को कांट्रीब्यूशन करने का दावा करते हैं, तो मैं समझता हूं उनके लिए शोभा नहीं देता । ऐसी बात अनाड़ी, अनपढ़ भले ही कह सकता है, लेकिन जो कि वकील रह चुके हैं, और मेरठ जिले में रह चुके हैं, जिनकी वकालत चलती रही हो, उनके लिए यह तीन लफ्जों का फर्क अगर नहीं मालूम है तो मैं उनके लिए क्या कहूं ?

मान्यवर, यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जमींदारी अबालीशन और लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के लिए अगर उन्होंने मुआविजा और प्रतिकर नहीं दिया, तो अगर प्रेसीडेंट की असेंट की आड़ में उसको उन्होंने वैलिडेट कराया तो यह न भूले कि प्रेसीडेंट की असेंट हर विधेयक पर नहीं मिल सकती है और उसके लिए प्रावीजन नहीं है । आप उन छोटे किसानों की नुमाइंदगी करने के लिए आये हैं । यह उन जमींदारों का मसला नहीं था, जिनके लिए एक दलील और तर्क हर तरफ से आता था कि उसका भुगतान कर दिया गया है, वह उचित तथा अनुचित लाभ उठा चुके हैं । आप आज उन किसानों की नुमाइंदगी करने के लिए आये हुए हैं—वह छोटे किसान, जिनकी भूमि का आप अपहरण करना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन के नाम पर । यह किस लिए हो रहा है और उन्होंने किस भूमि से क्या उचित लाभ उठाया है ? मैं यह दावे के साथ आज मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मैं विधेयक के अन्तर्गत ही उनसे अनुरोध करता रहूंगा । प्वाइंट आफ आर्डर पर एक मर्तबा नहीं, हजार मर्तबा अगर बोलना चाहें तो उठें । मैं केवल यह कहूंगा कि आज हमको दान की परिभाषा बतायी जा रही है, आज अर्जन की परिभाषा बतायी जा रही है और साथ ही साथ जो मुआविजा, प्रतिकर दिया गया है, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य ने इस भवन में कहा है कि आज दो गुना, चौगुना देकर, यदि उसको प्रतिकर कहते हैं तो कृपया प्रतिकर का बहाना और उसका मजाक न उड़ायें । अगर प्रतिकर देते हैं तो उचित दिया जाय । अगर कम्पेंसेशन देते हैं तो जस्ट दिया जाय । अगर प्रतिकर के नाम पर सत्यता के ऊपर एक परदा डालना चाहते हैं तो यह एक अन्याय करने का उदाहरण है और मैं कहूंगा कि सरकार समझ ले कि वह बहुत दिनों तक इस तरह से नहीं टिक सकती है ।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के मुखारविंद पर लालिमा आने लगी है और वह शायद क्रोध के आवेश में आ रहे हैं, लेकिन मेरा यह धर्म है कि जो सत्य है उसको भवन के समक्ष अवश्य रखूं । मान्यवर, अभी सदन में कहा गया कि दो गुना और चौगुना बहुत ज्यादा है । उनका कहना यह था कि अगर सड़क के लिये जमीन ली जाती या नहर के लिये जमीन ली जाती तो बात दूसरी थी । अगर वह गांव के लिये ली जाती है तो बात दूसरी है यानी इस तरह से वह डिसक्रीमिनेशन पैदा करना

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

चाहते थे जिसको मैं नहीं समझ पाया कि उनका आधार क्या था ? क्योंकि नहर बनती या सड़क बनती तब भी गांव वालों का फायदा होता ।

आज हमारे मित्र मिश्रा जी ने यह कहा था कि यह भ्रष्टाचार शब्द जो है, इसकी व्याख्या अनेक ढंग से की जा सकती है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को एक फोबिया हो गया है कि जब कभी वह करप्शन का नाम चकबंदी अधिकारियों के बीच में होने की बात सुनते हैं तो उनका एकदम से खून धमनियों में से बाहर निकलने लगता है । मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि उनके सब कर्मचारी बेईमान हैं । हर जगह ईमानदार और बेईमान आदमी हुआ करते हैं ।

श्री चरण सिंह—मैं पूछना चाहता हूं कि आज क्या आप किसी से नाराज होकर आये हैं ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, मंत्री महोदय न जाने कितनी गालियां दे डालते हैं जिसके वह आदी हैं । मुझमें क्रोध नहीं है, बल्कि मैं तो उन बातों को कह रहा हूं जो उनके लिये अप्रिय हैं, मगर हैं कटु सत्य ।

मान्यवर, फेडरल कोर्ट का हवाला दिया गया है । जब विरोधी दल के लोग बोलते हैं तो कहा जाता है कि अध्ययन नहीं किया है । लेकिन अब बताइये कि फेडरल कोर्ट कहां है, वह कौन सी कोर्ट है, वह सुप्रीम कोर्ट की जगह पर फेडरल कोर्ट कहा करते हैं । कोई साहब कह रहे हैं कि उसूलन यह हो नहीं सकता कि मताधिकार के अनुसार चकबन्दी लागू की जाय । श्रीमन्, जिस चीज के अधार पर हम लोग इस सदन में आये हैं, यदि सोचा जाय, तो जनतांत्रिक प्रणाली के अनुसार मताधिकार पर ही किसी चीज को लाना चाहिये । कहा यह जाता है कि ३/४ लोग सहमत हैं, फिर क्या हर्ज है । मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह कृपया सुनते रहें मेरी बात वह मेरी बात मानेंगे तो नहीं और न मैं ऐसी गलती कर सकता हूं कि मैं उनको अपनी बात मनवा सकूं । लेकिन इतना अवश्य चाहता हूं कि वह मेरी बात सुन लें ।

मान्यवर, महीलाल जी बोल रहे थे । उनका फरमाना यह था कि छोटे किसानों को तकलीफ है । तो आखिर वह नुमाइन्दगी जो करते हैं वह छोटे किसानों की ही तो करते हैं । छोटे किसान बहुत अधिक हैं । वे हर माने में हमसे सहमत हैं लेकिन बैठना वह मंत्री महोदय के पीछे ही चाहेंगे । मैं कहता हूं, श्रीमन्, कि यदि उनका विश्वास उधर नहीं है, तो कृपया इधर आयें, हमारे साथ आयें, हम उनका स्वागत करते हैं ।

श्रीमन्, इस विधेयक के द्वारा चकबन्दी अधिकारियों को अधिकार दिया जा रहा है । हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन यह मैं अवश्य सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि उनके कर्मचारी इतने ईमानदार नहीं हैं कि ठीक ढंग से उनकी पालिसी एग्जीक्यूट कर सकें तो वे इस स्कीम को वापस लें या इतने धीमे-धीमे चलें जिससे जिस उद्देश्य से चकबन्दी इस प्रदेश में चालू की गई है उसका फायदा किसानों को पहुंच सके । हमारे मंत्री महोदय हठवादिता और हठधर्मी के लिये विख्यात हैं इसलिये इस समय मैं उनसे कुछ और अधिक नहीं कहना चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—(माननीय माल मंत्री से) आप कितना समय लेंगे ?

श्री चरण सिंह—राजनारायण जी ने जितना वक्त लिया उससे कुछ कम, कोई डेढ़ घंटा ।

श्री अधिष्ठाता—(श्री त्रिलोकी सिंह से) आप कितना समय लेंगे ?

श्री त्रिलोकी सिंह—मैं मुश्किल से २० मिनट लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—तो मेरे खयाल में एक घंटा टाइम बढ़ा दिया जाय ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यवाही एक घंटे के लिये और बढ़ा दी जाय ।

श्री राजनारायण—मैं इसका विरोध करता हूं और मेरे विरोध करने का कारण सुन लें, अब तो बाकायदा प्रस्ताव आ गया ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—श्रीमन्, सबसे पहले प्रस्ताव का समर्थन होता है, उसके बाद विरोध होता है । मैं समर्थन करता हूं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, पांच वर्ष तक हमारे साथ इस सदन में शुक्ल जी रहे । वे बस्ती के रहने वाले हैं । उनको यह भी पता नहीं चला कि इस सदन में प्रस्ताव का समर्थन नहीं होता और बिना आपकी इजाजत के बोलना नहीं चाहिये तो बोलने खड़े हो जाते हैं । प्लेटफार्म की आदत पड़ी हुई है । केवल एक मैं ही निर्वाह करता हूं ।

तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं, श्रीमन् कि माननीय चौधरी साहब ने आपको बता दिया कि राजनारायण ने जितना समय लिया उससे कुछ कम समय वे लेंगे और समय बता दिया कि डेढ़ घंटा और एक घंटा समय बढ़ाने का प्रस्ताव माननीय विष्ट जी ने रखा है और २० मिनट माननीय त्रिलोकी सिंह जी बोलना चाहते हैं । उसके बाद यहां और भी बहुत से सदस्य हैं जैसा मैंने आपको लिख कर दिया कि हमारे सदस्य ५–५ और १०–१० मिनट में निपट लेंगे और ये तमाम किसानों के खाते लेकर आये हैं । नक्शे इनके पास हैं और आप देखेंगे कि मुजफ्फरनगर वगैरह में ८–८ और ९–९ जगह उनको खाते मिले हैं । इसलिये एक घंटे का समय बिल्कुल नाकाफी रहेगा और एक घंटे का समय बढ़ाना बिलकुल अनुचित होगा ।

इसके अलावा, श्रीमन्, हमने अपनी मीटिंग सवा पांच बजे से रख दी है और हमारे यहां आल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आये हुये हैं । आज यह विषय समाप्त नहीं होगा । इसलिये आज समय बढ़ाने की क्या जरूरत है । कल के लिये हम लोग अपना दिमाग ताजा करके आयेंगे कि शायद समय बढ़े, इसलिये यह कल के लिये ही रखिये, मगर आज समय न बढ़ाइये । आज का समय बढ़ाने से हम लोगों का कार्यक्रम भी बरबाद होगा और यहां का विषय भी समाप्त नहीं होगा ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—मैं, श्रीमन्, आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सवाल बड़ा गम्भीर है और लाखों आदमियों की जिन्दगी से ताल्लुक रखता है और जल्दबाजी में हम इस पर फैसला नहीं दे सकते । आपसे दरख्वास्त है कि कल इसके लिये टाइम रखें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय विष्ट जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें । इसका मुख्य कारण यह है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस चकबन्दी के प्रश्न पर अपनी राय को प्रस्तुत करना चाहते हैं । यह कार्य संशोधनों के विवाद के समय सम्भव नहीं होगा और इस सैद्धांतिक विवेचना के समय ही सम्भव होगा । तो हमारे दल की भी राय यही है कि आज इस प्रस्ताव को विष्ट जी वापस ले लें और कल जितना समय लगे उतना समय लगा कर इस पर विवाद जारी रहे ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—इस पर बहस दो दिन तक हो चुकी है और वह काफी है । कल अनाज की समस्या पर भी विवाद होगा तो कल भी समय नहीं रहेगा । इसलिए जरूरी है कि एक घंटे का समय बढ़ाया जाय और बहस आज ही खत्म की जाय ।

आचार्य दीपंकर—श्रीमन्, एक घंटे के बढ़ाने के बाद भी तो माननीय मंत्री को समय पूरा नहीं मिल सकता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं । एक घंटा बढ़ाने की बात तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आज नहीं कल ।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

यदि ऐसा हो जाय तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी । कल एक घंटा इसमें विवाद में ले लिया जाय और दिन भर में न हो तो एक घंटा कल बढ़ा लिया जाय तो हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि पांच बजे के बाद हम लोग अपनी पार्टी की मीटिंग बुला चुके हैं और दूसरे इंगेजमेंट्स भी कर चुके हैं । इसलिये हम चाहते हैं कि अगर इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें तो अच्छा होगा ।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, माननीय पालीवाल जी का जो सुझाव है उसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि कल तक यह बिल पास हो जाय । कल अगर यह पास हो जाता है तो ६ मई को हम इसे कौंसिल की टेबिल पर रख सकते हैं और ६ को या ७ या ८ तक वहां उस पर विचार करें तभी जाकर पास होगा । तभी गवर्नर की एसेंट के लिये और प्रेसीडेंट की ऐसेंट के लिये जायगा और तब कहीं मई के आखीर तक जाकर यह अधिनियम का रूप धारण कर लेगा । अब इसमें जल्दी है क्योंकि कार्यवाही बहुत से जिलों में रुकी हुई है और कर्मचारी खाली बैठे हुये हैं, इसीलिये यह बिल लाया गया है । वरना गवर्नमेंट के कानूनी सलाहकारों की राय है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें हुई हैं अगर उन पर बहस हो तो गवर्नमेंट का पक्ष सबल है और वह जीत जायगी । लेकिन चूंकि देर होने की बात थी इसलिये जल्दी करने की वजह से ही यह बिल लाया गया है । तो अगर जितने माननीय विरोधी दल के नेता हैं वे इसके लिये तैयार हों कि तब तक बैठेंगे जब तक इसकी थर्ड रीडिंग न हो जाय तो मुझे इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री त्रिलोकी सिंह--श्रीमन्, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कल पांच बजे के बाद भी अगर सदन का समय बढ़ा दिया जाय और जो संशोधन इस बिल पर आये हैं उन पर पूरा विवाद करने का मौका दिया जाय ।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, माननीय विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह जी बहुत अनुभवी आदमी हैं और लफ्ज तौल-तौल कर इस्तेमाल करते हैं । उनको बहुत तजुरबा भी है, लेकिन मैं अपनी नावाकफियत की बिना पर यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि कल जब तक थर्ड रीडिंग न पास हो जाय तब तक हम बैठेंगे ?

श्री त्रिलोकी सिंह--श्रीमन्, यह मेरी बदकिस्मती रही है कि माननीय माल मंत्री जी के करीब बहुत दिनों तक नहीं रहा, इसलिये उनका पूरा असर मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा है कि यह बिल पास कर दिया जाय तो उसमें और थर्ड रीडिंग के बजाय फोर्थ रीडिंग भी होती होगी तो वह भी शामिल है । श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से . . . .

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था जानना चाहता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने यहां बोलने के लिये कौन सी व्यवस्था बना कर रखी है । आप यहां जो लोग खड़े होते हैं उन्हीं को अनुमति देते हैं अथवा उन लोगों को अनुमति देते हैं कि जो अपनी स्लिप आपके पास भेजते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--जिन पर मेरी निगाह पड़ जाती है और जो लोग मेरी निगाह को आकर्षित कर लेते हैं उनको मैं बोलने का अवसर देता हूं ।

श्री मलिखान सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छः बार खड़ा हुआ था आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिये, लेकिन आपने मेरी ओर देखा नहीं और उसके साथ ही मैंने एक स्लिप भी भेजी थी श्रीमन् के पास, आपने उस पर भी गौर नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--उसका इंतजाम कर रहा हूं ।

श्री मलिखान सिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी आपने जो समय माननीय विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह जी के लिये दिया, मैं जानना चाहता हूं कि उस के बाद हम लोग बोल सकते हैं या नहीं।

श्री अधिष्ठाता---जरूर, आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---प्वाइन्ट आफ आर्डर। अभी श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट का प्रस्ताव भवन के सामने उपस्थित है....

श्री अधिष्ठाता---यह बात तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने शायद अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---लिया नहीं है। मैं अपना प्रस्ताव वापस ले रहा हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया जाय।)

श्री त्रिलोकी सिंह---सभापति जी, मेरा इरादा इस वाद-विवाद में भाग लेने का नहीं था और उसका प्रत्यक्ष कारण था। मेरा अनुमान था और अभी भी है, मेरी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है कि जिस कानून का लाखों और करोड़ों आदमियों से वास्ता हो उस कानून के संबंध में जब कोई तरमीम या संशोधन इस सदन में पेश किया जाय तो उस में बहस मुबाहिसे के लिये पूरा मौका होना चाहिये। मुझे यह भी मालूम हुआ है, और अगर मेरी इत्तला सही न हो तो माननीय माल मंत्री उसकी सेहत कर देंगे और उसके लिये मैं उनका मशकूर होऊंगा, कि सन् १९५३ में यह कानून बनाया गया। सन् ५७ तक चार बार ऐसी नौबत आ चुकी है कि इस कानून में संशोधनों के लिये दूसरे विधेयक इस सदन में उपस्थित किये जायं।

एक ऐसा कानून जिसका करोड़ों आदमियों से वास्ता हो और हर ६ महीने में उसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ जाय, और जब संशोधन की जरूरत पड़े तो केवल उन्हीं लोगों की राय के अनुसार संशोधन किया जाय, उन्हीं धाराओं पर, उन्हीं विषयों पर, जिनको सरकार के समर्थक उचित समझें तो, मान्यवर, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह बात इस आदरणीय सदन को शोभा नहीं देती। चार बार विधेयक को यहां पर लाया गया और हर बार यह हुआ कि उतना ही संशोधन किया गया जितना मुनासिब सरकार ने समझा। पूरे कानून पर गौर करने का मौका नहीं दिया गया और न इस बात को मुनासिब समझा गया। फिर भी विधेयक हर ६ महीने के बाद हाजिर है। तो इसीलिये मेरा विचार इस विवाद में हिस्सा लेने का नहीं था, लेकिन यह बात इतनी प्रत्यक्ष थी कि जिसका वास्ता करोड़ों लोगों से हो और जिसको तीन बार यहां पर हाजिर किया गया और चौथी अब नौबत आयी तो उस समय भी सरकारी पक्ष के लोग यह उचित नहीं समझते कि इसकी परिधि को बढ़ा दिया जाय और यह सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय। लेकिन यहां जिस ढंग से विवाद चला उसमें थोड़ा सा मुझे भी संदेह पैदा हुआ। फिर भी मैंने अपनी राय को अभी नहीं पलटा है। मैं अभी भी समझता हूं कि सरकार की ओर से, यह प्रस्ताव कि इसका स्कोप बढ़ा दिया जाय और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, यह स्वीकार किया जायगा। मिसाल के तौर पर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितने भी ऐसे काम हों जिनका वास्ता तरक्की से हो, जिनका वास्ता विकास से हो, तो जिनका विकास किया जाय उनसे भी राय लेना जरूरी है।

उत्तर प्रदेश में सन् ५३ से पहले भी कानून चकबन्दी का था। उस कानून में धारा रखी गयी थी कि जिस गांव में चकबन्दी की जायगी, और जिस इलाके में की जायगी, वहां के लोगों से राय हासिल की जायगी। इस कानून में ऐसी

[श्री त्रिलोकी सिंह]

कोई गुंजायश नहीं है। तरक्की होगी गांव वालों की। फायदा होगा उनका जिनके खेतों की चकबन्दी होनी है लेकिन उनकी राय नहीं ली जायगी। यह प्रदेशीय सरकार का ऐलान होगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत मामूली बुनियादी सवाल है। तरक्की के मामले में भी अगर जिसकी तरक्की की जाय उसे राय देने का हक नहीं है तो फिर किस विषय में उनको सरकार को राय देनी है। भलाई तो उनकी होगी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ऐलान होगा। इस विधेयक के अन्दर इसकी कोई गुंजाइश नहीं रखी गयी है। इसी प्रकार जो मौजूदा कानून है उस पर विचार किया जाय तो देखने को मिलेगा कि जिस समय प्रपोजल्स बनाये जायंगे चकबन्दी के सिलसिले में तो गांव की लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी से उसका मशविरा लिया जायगा। लेकिन जब बाद को प्रपोजल्स (उजरात) की समाअत की जायगी तो होगी उसी गांव में और वही अधिकारी करेगा जिसने गांव की कमेटी के मशविरे से वे प्रपोजल्स बनाये हैं लेकिन उजरात की समाअत में उसकी सलाह नहीं लेगी। सारी स्कीम यह है, इसके पीछे यह मनोवृत्ति है कि गांव वाले अपनी भलाई की बात को नहीं समझते, गांव के नुमाइन्दे गांव की भलाई की बात नहीं समझते। सिर्फ भलाई की बात समझते हैं यह हमारी प्रदेशीय सरकार और उसके कर्मचारी। यही मूल कारण है कि भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आयी है। इसलिये श्रीमन्, मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि इस आदरणीय सदन में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को इस प्रकार टाला न जाय और हर छठे महीने यह रिवाज कि कनसालिडेशन के कानून में संशोधन लाया जाय, इसे खत्म करना चाहिये। हमें इस पर नये तौर पर विचार करना चाहिये। मेरा बोझ माननीय पद्माकरलाल जी ने हलका कर दिया। थोड़ा सा भाषा का ज्ञान मुझे भी है। जब दान दे दिया गया तो फिर कमपैन्सेशन काहे का? लेकिन कमपैन्सेशन और कन्ट्रीब्यूशन दोनों का जिक्र इसमें है। यह फिर हाई कोर्ट में जायगा क्योंकि यह डिस्क्रीमिनेटरी लेजिस्लेशन है। नहर के लिये जमीन ली जाती है तो ४० गुना मुआविजा मिलता है और इसमें केवल ४ गुना देंगे। तो ये बातें ऐसी हैं जिनमें उजलत नहीं करनी चाहिये।

कहा जाता है कि किसी ने गौर नहीं किया। इस संशोधन विधेयक को पढ़ा ही नहीं। तीन लाइन का तो यह बिल है। इस पर शिकायत है कि पढ़ा नहीं। जो पढ़ते हैं उनको तो हर छठे महीने संशोधन लाने की आवश्यकता होती है। एक डेढ़ सफे का बिल पेश कर दिया और कह दिया कि पढ़ा नहीं। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि इम्तिहान ले लिया जाय तो इसमें ९० फीसदी से कम नम्बर नहीं मिलेंगे और पढ़ा है कुल ५,७ ही मिनट। है क्या इसमें? हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ जिसके बमूजिब काम करना है।

एक बात यह भी है कि चकबन्दी कराने का हामी कौन? उत्तर प्रदेश की सरकार गांव वालों से मशविरा नहीं करेगी कि उनके गांव में चकबन्दी हो या न हो। हुकुम यहां से निकलेगा जब्राती, कि चकबन्दी होगी, गजट में छप जायगा। लेकिन चकबन्दी का खर्चा देंगे गांववाले। हम कहते नहीं कि हमारे खेत का चकबन्दी करो। लेकिन हमसे खर्चा लिया जाता है। पहले यह खर्चा वहां के मुकामी अधिकारी तजवीज करते थे लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार तजवीज करेगी। खुदा मालूम कि कितना खर्चा लगा दें। यह उचित नहीं है कि ऐसा अधिकार सरकार ले।

यह भी कहा गया है कि अफसरान बहुत इंसाफ के साथ काम करते हैं। ज्यादातर न्याय हुआ है क्योंकि बहुत थोड़े उज्र हुये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक-एक गांव में १००,१००, २००,२०० और ३००, ३०० गलत इन्दराज हैं। एक ओर तो यह है कि १३५६ फसली में जो लिखा हुआ है वही आयतें हदीस है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। दूसरी तरफ माल मंत्री जी ने स्वयं, मैं उनका मशकूर हूं कि २,३ दिन पहले उन्होंने कुछ लोगों को

इकट्ठा करने की कृपा की और मुझे भी इज्जत बख्शी कि चकबन्दी के कानून के सिलसिले में राय दूं और जब भी वह फरमावेंगे मैं उनकी खिदमत में हाजिर हूंगा, इशारा किया, तसलीम किया कि हजारों इन्दराज गलत लिखे हुये हैं। वहां सरकार यह मानती है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां सैकड़ों गलत इन्दराज न हों, वहां सारी अथारिटी एग्जीक्यूटिव को दे देना करप्शन की बुनियाद है।

एग्जीक्यूटिव अथारिटी क्या है मैंने नियमों को बहुत उलटा है। यद्यपि ५ साल बाद मुझे सदन में आने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरी आदत यह कभी नहीं है कि किसी ऐसे मामले का हवाला दूं जो जेरेगौर अदालत हो, लेकिन एक पर्चा बांटा गया है सदन के बाहर जो सदन के मेम्बरों को मिला। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके बारे में यह कहा गया कि उनको दावत देकर लखनऊ बुलाया गया है। मुमकिन है लखनऊ आने की दावत इधर बैठने वाले सदस्यों ने दी हो, लेकिन मालूम नहीं कि इलाहाबाद हाई-कोर्ट में जाने की दावत किन लोगों ने दी थी। गालिबन यह दावत उधर के बैठने वाले लोगों ने दी थी। एक अपील नहीं बल्कि पचासों अपीलें हैं। और एक दफ़ा १०७ के मुकदमें में जमानत ३० हजार रुपये की मांगी गयी है। और उस गांव के रहने वाले से मांगी गयी है जहां कि चकबन्दी है। मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्य इस सदन के ऐसे हैं जिनका वकालत के पेशे से सम्बन्ध है। एकाध सदस्य तो ऐसे हैं, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, जज भी रह चुके हैं। गरीब किसान से ३० हजार रुपये की जमानत लेना और जमानत तसदीक महीने-महीने भर तक न होना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि पूरी सरकार की ताकत लगी हुई है कि जबदस्ती चकबन्दी करो, चाहे कोई कितना ही पक्का, सही और मुनासिब उज्र क्यों न करें। उसे न सुना जायगा। यह हमारा सौभाग्य है कि इस वक्त अध्यक्ष के आसन पर भी ऐसे सज्जन विराजमान हैं जिनका सम्बन्ध उस जिले से है जहां के मामले हाईकोर्ट में गए हैं और जहां ३०, ३० हजार रुपये की जमानत मांगी गयी है ऐसे गरीब किसानों से जिनकी हैसियत सौ, दो सौ से अधिक जमानत देने की नहीं है। और जब कि हाई कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि अनेक बार यह फैसला दिया है कि १०७ की जमानत मुलजिम की हैसियत के मुताबिक मांगी जायगी। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से और माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दें कि चकबन्दी का कोई विरोधी है। चकबन्दी को मैं समझता हूं कि इससे देश का हित है, इससे गांव वालों का हित है। मैं यह भी समझता हूं कि चकबन्दी करना जरूरी है। लेकिन साथ साथ मेरा उतना ही जबरदस्त यह भी यकीन है कि चकबन्दी करने में, जिस गांव की चकबन्दी की जाय वहां के बासियों का मशविरा, उनकी राय लेना जरूरी है। उनकी राय से चकबन्दी होनी चाहिये।

इस गरीब मुल्क में, यह सरकार खुद मानती है कि हमारे देश के रहने वाले, खासकर गांव के रहने वाले ऐसे गरीब हैं जिनके पास भर पेट खाने को भी नहीं है तो चकबन्दी करोड़ों रुपये का बजट प्लानिंग का है, खर्चा सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये। गांव वालों को नहीं बर्दाश्त करना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करूं कि चकबन्दी के सिलसिले में ए० सी० ओज० यानी सहायक चकबन्दी अधिकारी को जो इतने जबरदस्त अधिकार दिये गये हैं उस पर कोई अंकुश होना चाहिये और हर अवसर पर जहां तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी का प्रश्न है, उसके काम में गांव की लैंड मैनेजमेंट कमेटी का मशविरा जरूर होना चाहिये।

मुझे यकीन है कि इसी मौके पर जो कानूनी अड़चनें हैं उनको दूर करने के हजारों उपाय हो सकते हैं और उन उपायों के लिये सरकार को जो उनके कानूनी सलाहकार हैं उनकी मदद मिलने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिये क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस मास के अन्त तक अथवा जून महीने के शुरू में वे इसको लागू कर सकेंगे। यह सदन अभी ९ मई तक बैठने वाला है, कौंसिल भी थोड़े दिन बैठने वाली है। अगर कोई ऐसी आफत आये

[श्री त्रिलोकी सिंह]

या कोई ऐसी बात हो, जिसके बिना किये हुए तमाम योजना में कोई फर्क आता हो तो बीसों तरीके उनके लिये खुले हुए हैं, वे लेजिस्लेट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनको मौका देना चाहिये, खासकर जो तजुर्बा इस सदन को हुआ है और जो सदन पहले था उसको हुआ था। हर ८, ९ महीने के बाद एक न एक बिल अवश्य पेश है। कोई हद है इसकी, कोई सीमा है, कुछ समय बीता और फिर नया संशोधन बिल पेश।

मैं यह गुजारिश कर रहा था कि यह इतना महत्वपूर्ण मसला है कि इसको खिलवाड़ में न डाला जाय और यह न समझा जाय कि इधर के बैठने वाले इस चकबन्दी के काम में कोई रोड़ा अटकाना चाहते हैं। मैं तो इसको दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि चकबन्दी हो और सफलतापूर्वक हो और उससे किसानों का पूरा फायदा हो। लेकिन यह जरूरी है कि जब विरोधी दल के सदस्यों ने और उस तरफ के बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्यों ने तमाम भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें कीं, कुछ ऊटपटांग तरीकों की शिकायतें कीं जो करते जाते हैं तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उनको दूर करने का प्रयास करें। हम समझते हैं कि हमारी बात मानी जायगी और एक बार मौका दिया जायगा कि पूरे कनसालिडेशन ऐक्ट पर हम सेलेक्ट कमेटी में रिव्यू कर सकें। मैं, श्रीमन्, आप का मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि इस वादविवाद में हिस्सा ले सकूं।

श्री मलिखान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक दिन पूर्व से इस चकबन्दी विधेयक पर बराबर बहस होती रही। मैं इस सम्बन्ध में श्री भगवती सिंह जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हमारे सामने माननीय सदस्यों ने बड़ी-बड़ी दलीलें पेश कीं जो कि सरकार के पक्ष में दी गई थीं किन्तु वह, जो वास्तविकता थी और जिसको हमारे विरोधी पक्ष के लोग बार-बार बता रहे थे उसकी तह तक नहीं पहुंचे। बहुत से सदस्य तो यहां तक कहते गये कि यदि हम यह समिति बना देंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ जायगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां हम सरकार के प्रति सद्भावना बरतते हैं वहां सरकार सदस्यों की इच्छा रहते हुये भी कमेटी बनाने को मना करती है और उस समय हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि वह कमेटी बनाई गई है तो भ्रष्टाचार बढ़ जायगा। भ्रष्टाचार का शब्द उधर से ही आता रहा और यह दलीलें बराबर दी जाती रहीं कि चकबन्दी बड़ी सत्यता के साथ, बड़ी न्यायप्रियता के साथ हो रही है और उससे किसानों की भावना को ठेस नहीं पहुंची है और वह बड़ी सफलता से चल रही है। इसमें कहा गया है कि इसमें जो सीरदार हैं या जो भूमिधर हैं, उनको मुआवजा देना जरूरी है क्योंकि हाईकोर्ट ने रिट के द्वारा जरूरी कर दिया है।

मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां पर वह एक स्थान पर ऊंच और नीच का भेद खत्म करना चाहते हैं वहां पर वह उसी स्थान पर सीरदार और भूमिधर के प्रश्न को लेकर यह दो प्रकार की भावना को हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं। भूमिधर आज तक केवल वही लोग बन सके हैं जिन्होंने दस गुना दाखिल कर दिया है या जो सरमायेदार हैं, जो रईस हैं और सीरदार वह हैं जो गरीब किसान हैं और खेती में मेहनत करने के बाद अपने बच्चों का मुश्किल से पेट भरते हैं। उसी स्थान पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय माल मंत्री जी ने उस गरीब किसान के लिये केवल दो गुना मुआवजा देने के लिये लिखा जब कि एक सरमायेदार जो कि दस गुना दे कर भूमि का मालिक बन जाता है तो उसको चार गुना रखा गया। साथ ही जहां भूमि-व्यवस्था के संबंध में बात होती है, तो अधिवासी जो आज भी पटवारी के कागजों में दर्ज है जोकि छः छः साल से कब्जा किसी का है और जमीन जोत कोई और रहा है, कागज में किसी का नाम दर्ज है, आज तक वह इन्दराज ठीक नहीं हुए। जो हमारे बीच में एक बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित हो रही है वह यह है कि कब्जा किसी का है और नाम किसी का दर्ज है। इसके ऊपर आज भी अदालत में हजारों केस जाते हैं, लाठियां चलती हैं, लोग घायल होते हैं, कत्ल होते हैं। यही एक

कारण है कि हम अपने-अपने कागजों को आज भी माल मंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा ठीक नहीं करा सके।

साथ ही मैं अपने उन भाइयों का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिन्होंने यह दलील दी कि नहर और बम्बा जो है उनके लिये जो जमीन ली जाती है उस जमीन के सम्बन्ध में और इसमें बहुत अन्तर है। वहां बीस गुना और चालीस गुना देते हैं जब कि किसी स्थान पर सार्वजनिक निर्माण के लिये यदि स्कूल बनायेंगे तो गांव के पास बनायेंगे। सड़कें निकालेंगे तो गांव के पास निकालेंगे। हमेशा यह देखा गया है कि नहर जो होती है, बम्बा जो होता है वह गांव से दूर होता है और स्कूल जो हैं वह गांव के पास होते हैं। तो क्या उन्होंने दूर की जमीन के और पास की जमीन की एक ही मार्केट वैल्यू बतलायी है? इसमें मुझे दुख हुआ और साथ ही हर्ष हुआ उनकी बातों पर, उन्होंने क्या सोचकर हमारे सामने इस प्रकार का प्रस्ताव लाकर, सिर्फ दो और चार गुना जमीन की मार्केट वेल्यू का कोई भी प्रश्न हमारे सामने उपस्थित नहीं किया। बहुत से लोगों ने इस भ्रष्टाचार के बारे में कहा और बड़ी-बड़ी सैद्धांतिक दुहाई दी। अपने-अपने क्षेत्र के बारे में बड़े-बड़े अच्छे उदाहरण दिये। यह कहा कि हमारे गांव में चकबन्दी इस प्रकार हो रही है कि चकबन्दी को बड़ी सफलता से करते जा रहे हैं।

लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज मुजफ्फरनगर के सैकड़ों की तादाद में किसानजो कि सदन के सामने उपस्थित हैं, अपने प्रार्थना-पत्र जिन्होंने सभी माननीय सदस्यों को दिये हैं, यह आकर आखिर क्यों यहां पड़े हुये हैं? मैं उनकी कठिनाई के बारे में बता देना चाहता हूं। एक मुजफ्फरनगर के श्री खजानसिंह जी हैं। दस एकड़ जमीन थी। उस जमीन को चकबन्दी योजना में ले लिया गया। लेकिन २५ नम्बर का फार्म जोकि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से वितरण किया जाता था कि आपको फलां जमीन पर कब्जा मिला है, फलाँ जमीन पर नहीं मिला है उसको नहीं लिया गया, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये। उन्होंने अपना रिट इलाहाबाद में दायर किया उसका उनको परिणाम यह मिला कि न उनको पुरानी जमीन मिली और न नयी मिली। न आज वह खेती कर रहे हैं। आज वह निराश्रय हो कर इधर-उधर-मारे-मारे फिर रहे हैं। वह सभी सदस्यों के सामने अपनी शिकायत पेश करने आये हैं। हालांकि श्री खजान सिंह जी हमारी कांस्टीटुएंसी के नहीं हैं लेकिन हमारे माननीय सदस्यों ने यह दलील पेश की थी कि उन्होंने यह कहा कि सरकार की जो चकबन्दी चल रही है हम उससे सहमत हैं और बड़े खुश हैं।

मुझे यहां पर इस बात पर कहते हुये बड़ा हर्ष होता है कि यदि वह खुश होते तो यहां पर इस प्रकार की यह बातें लाने की आवश्यकता क्यों आयी? यदि वह दुखी हैं तो उन्होंने यहां पर जो शिकायत की उसका क्या परिणाम है? साथ ही मैं अपने माननीय सदस्यों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें वहां के सैकड़ों की तादाद में लोग घर छोड़ कर वतन छोड़ कर के यहां पर आये, इलाहाबाद रिट दायर करने गये और उस समय भी उनकी शिकायतों को नहीं सुना जाता। हमको बतलाया जाता है कि वह बड़े खुशहाल हैं। चकबन्दी बड़े ढंग से चल रही है। इस प्रकार की योजना हमारे सामने रख कर सिर्फ हमें संतुष्ट करने के लिये यह दिखाना चाहते हैं कि हमारी योजना बड़ी सफलतापूर्वक चल रही है और हम इसको कार्य रूप में करें तो हम इस बिल को अमेंड कर के ही इस बात को कर सकते हैं।

मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक कि भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है उसमें मनुष्य की भावनाओं का प्रश्न भी आता है। भावनायें जो हैं वे मनुष्य के संस्कारों से बनती हैं। जैसे संस्कार होते हैं, वैसी मनुष्य की भावनायें होती हैं। हमारी सरकार ने आज जितना भी कार्य किया है वह सिर्फ कानून के द्वारा जनता के ऊपर लादने के लिये किया है, उसकी भावनाओं को बदलने के लिये नहीं किया है। जिस प्रकार पहले उदाहरण में कह देते थे "यथा राजा तथा प्रजा" आज उसी प्रकार से कहना पड़ेगा उनके दुख व दर्द को देख कर "यथा नेता तथा प्रजा"। इसके कहने में मुझे कोई संकोच नहीं।

[श्री मलिखान सिंह]

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय सदस्यगण बड़े चरित्रवान, धैर्यवान और शीलवान होने की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि हमने इस प्रकार अपने क्षेत्र में चकबन्दी कराई है या कराने जा रहे हैं, मैं उनकी उस भावना को, उस आवाज को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे एक मित्र ने यह कहा कि मैं रिजर्व सीट से आया हूं। मैं परिगणित जाति के दुख व दर्द को जानता हूं। मुझे उनकी उस बात पर हंसी आ गई। आप उस परिगणित जाति से सम्बन्ध रखते हैं, उस सीट से चुन कर आये हैं किन्तु साथ ही साथ आप प्रान्त के पूरे जिलों.....

श्री अधिष्ठाता--क्या आप अपना भाषण जारी रक्खेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--जी हां।

श्री अधिष्ठाता--तो कल भाषण पूरा कीजियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
सोमवार, २९ अप्रैल, १९५७ ई०।

पी० एल० यू० पी० ए० पी० ३० एल० ए०--१९५७--७२६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा